लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[सोलहवाँ सत्र
Sixteenth Session]

Preservation Unit
18-6-84
Fumigated
On 4/1/84
Parliament Library

[खंड 60 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LX contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

2045 (Ai) LS—1

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 2—बुधवार, 2 नवम्बर, 1966/11 कार्तिक, 1888 (शक)

No. 2 —*Wednesday, November* 2, 1966/*Kartika* 11, 1888 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
31.	पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Journalists	121–124
32.	मद्य निषेध	Prohibition	124–128
33.	जम्मू तथा काश्मीर का पुनर्वास संगठन	Jammu and Kashmir Rehabilitation Machinery	128–130
34.	श्रमिकों की शिक्षा का कार्यक्रम	Workers Education Programme . . .	130–132
35.	बेरोजगारी बीमा योजना	Unemployment Insurance Scheme . .	132–134
36.	पंजाब का पुनर्गठन	Reorganisation of Punjab	134–140

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तारांकित प्रश्न संख्या		**Starred Questions Nos.**	
37.	अगस्त-अक्तूबर, 1966 में हड़तालें और बन्द	Strikes and Bandhs during August—October 1966	140
38.	बैंक कर्मचारियों की मांगें	Bank Employees' Demands	141
39.	सी०एस०गैस	C.S. Gas	141
40.	काश्मीर में गिरफ्तारियां	Arrests in Kashmir	142
41.	सिविल कर्मचारियों को संरक्षण	Protection to Civil Servants	142–143
42.	हल्दिया तेल शोधक कारखाना	Haldia Refinery	143

---

*किसी नाम पर अंकित यह+चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign+marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
43. दिल्ली में मकानों का गिर जाना	House Collapse in Delhi . . .	143-144
44. गोआ	Goa	144
45. महंगी शिक्षा	Costlier Education	144-145
46. जासूसी कांड	Espionage Case	145
47. सरकारी कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष	Discontent among Government Servants .	145-146
48. मजूरी स्थिरीकरण	Wage Freeze	146
49. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर (केम्पस) में हुई घटनायें	Incidents in Banaras Hindu University Campus	147
50. विधायकों तथा प्रसासको के बीच सम्बन्ध	Relations between Legislators and Administrators	147-148
51. अमझोर पाइराइट्स से मूलरूप (एलीमेन्टल) गन्धक	Elemental Sulphur from Amjhore Pyrites	148
53. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की सूचना	Strike Call by Central Government Employees	149
54. विदेशी तेल समवायों में छंटनी	Retrenchment in Foreign Oil Companies	149
55. शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन	Report of the Education Commission	150-151
56. जासूसी के मामले की जांच	Espionage Case Enquiry . . .	151
57. प्रौढ़ साक्षरता	Adult Literacy	151-152
58. शैख अब्दुल्ला के बारे में श्री जयप्रकाश नारायण का वक्तव्य	Shri J.P. Narayan's Statement re: Sheikh Abdullah	152
59. संघ लोक सेवा आयोग की सभी भाषाओं में परीक्षा	U.P.S.C. Examination in all Languages .	153
60. निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा	Free and compulsory Education . .	153-154

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
107.	राजस्थान में वनस्थली विद्यापीठ	Vanasthali Vidyapeeth in Rajasthan	15
108.	केरल में एडाचेरी में टेलीफोन की सुविधायें	Telephone Facilities at Edacherry, Kerala .	155
109.	केरल में काफी हाउस के लिये भूमि	Land for Coffee House in Kerala . .	155
110.	श्रीकाडापुरम, केरल में टेलीफोन तथा तार सुविधायें	Telephone and Telegraph Facilities at Shrikadapuram, Kerala	155–156
111.	अमीन चन्द प्यारे लाल सार्थ समूह	M/s. Aminchand Pyarelal Group of Firms.	156
112.	गुजरात में जलाई गई गैस	Gas burnt in Gujarat	156
113.	बिहार के समाचारपत्रों के कर्मचारियों की मांगें	Bihar Newspaper Employees Demands .	156-157
114.	काशी नागरी प्रचारिणी सभा का विश्वकोष	Kashi Nagari Pracharini Sabha Encyclopaedia	157
115.	दिल्ली में उच्च न्यायालय	High Court at Delhi	157–158
116.	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन	Salaries of High Court Judges . . .	158
117.	सिंदरी उर्वरक कारखाना	Sindri Fertilizer Factory	158
118.	राज्यों के शासकों के विरुद्ध याचिकायें	Petitions against Rulers of States . .	159
119.	पाटस्कर प्रतिवेदन	Pataskar Report	159–160
120.	एक केन्द्रीय मंत्री के चौकीदार पर हमला	Attack on the Guard of a Central Minister .	160
121.	पंजाब तथा हरयाना की आर्थिक स्थिति	Financial Position of Punjab and Haryana .	160
122.	पश्चिमी बंगाल में कालेजों के प्राध्यापकों के वेतन क्रम	Salary Scales of College Teachers in West Bengal	161

अता० प्र० सं०

U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
123.	दत्त केन्द्रीय कजोरा कोयला खान	Dutta Central Kajora Colliery . . .	161
124.	दिल्ली में कारों की चोरी	Car Thefts in Delhi	161
125.	तरल ईंधन	Liquid Fuel	162
126.	मिट्टी के तेल के पम्प लगाना	Installation of Kerosene Oil Pumps . .	162
127.	कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान	Employees Provident Fund Contributions .	163
128.	अशोधित तेल को लाने ले जाने का खर्च	Handling Charges of Crude Oil . .	163–164
129.	केरल के कालेजों में प्रोफेसरों की कमी	Shortage of staff in Colleges in Kerala .	164
130.	केरल में अतिरिक्त विश्वविद्यालय	Additional University in Kerala .	164–165
131.	नागाओं/मिजों-लोगों द्वारा सीमा पार कर वर्मा में प्रवेश	Nagas/Mizos crossing over to Burma . .	165
132.	दिल्ली महानगर परिषद	Delhi Metropolitan Council . . .	165
133.	कार चुराने वाले	Car Lifters	166
134.	कृत्रिम वर्षा	Artificial Rain	166
135.	हैदराबाद के निजाम की सम्पत्ति	Property of Nizam of Hyderabad . .	166–167
136.	मिहिर सेन द्वारा दरेदानियाल जलडमरूमध्य को तैर कर पार करना	Swimming of Darrdanelles Straits by Mihir Sen	167
137.	प्रयुक्त स्नेहक तेल को पुनः प्रयोग करने योग्य बनाना	Reclamation of used Lubricating Oil . .	167–168
138.	वैज्ञानिकों का स्वदेश छोड़ कर बाहर जाना	Scientific Brain Drain . . .	168
139.	आसाम-नागालैंड सीमा	Assam Nagaland Boundary . . .	169
140.	खासी युवकों द्वारा सीमा पार कर पाकिस्तान जाना	Crossing over to Pakistan by Khasi Youngmen	169–170

अता० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
141.	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित सूक्ष्म तरंग उपकरण	Microwave Equipment Manufactured by the Indian Telephone Industries . .	170
142.	महाराष्ट्र में भाषायी अल्पसंख्यक	Linguistic Minorities in Maharashtra .	170
143.	प्रत्येक जिले में केन्द्रीय स्कूल	Central School in every District . .	170–171
144.	जवाहरलाल नेहरू पर यूनेस्को गोष्ठी	UNESCO Symposium on Jawaharlal Nehru	171
145.	होम गार्ड	Home Guards	172
146.	मुख्य कल्याण अधिकारी का पद	Post of Chief Welfare Officer . . .	172
147.	नेफ्था का उत्पादन	Production of Naphtha	173
148.	मिट्टी के तेल के खाली टीन	Empty Kerosene Oil Tins . . .	173–174
149.	गृह-कार्य मंत्रालय में दिल्ली सम्बन्धी कार्यों का विभाग	Delhi Affairs Wing in the Ministry of Home Affairs	174
150.	ट्राम्बे कारखाने में जमा हो गया उर्वरक	Fertilizers accumulated at Trombay Plant .	174
151.	सिनेमा के गन्दे पोस्टर	Obscene Cinema Posters	174–175
152.	उर्वरक कारखाना, कानपुर	Fertilizer Factory, Kanpur . . .	175
153.	टेलीफोन बिलों पर छूट	Rebate on Telephone Bills . . .	175
154.	विदेशों से भारतीय इंजीनियरों, वैज्ञानिकों तथा चिकित्सकों को स्वदेश बुलाना	Repatriation of Indian Engineers, Scientists and Doctors from Abroad . . .	175—177
155.	कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनक्रम	Pay Scales of College and University Teachers	177
156.	प्रशासनिक सुधार आयोग	Administrative Reforms Commission . .	177–178

अता० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
157.	उड़ीसा की लोक लेखा समिति द्वारा विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर विचार	Consideration of Special Audit Report by Orissa P.A.C.	178
158.	उखरूल चौकियों पर आक्रमण	Attack on Ukhrull Check posts . .	178–179
159.	अश्लील इश्तहार	Obscene Poster	179
160.	पटना उच्च न्यायालय रांची	Patna High Court, Ranchi . . .	179–180
161.	बंकुरा में सुसुनिया पहाड़ियों के इर्द गिर्द जीवाश्म (फासिल) अवशेषों का पाया जाना	Fossil Remains around Susunia Hills, Bankura	180
162.	विदेश जाने वाली खेल की टीमों के साथ न खेलने वाले लोग	Non-Players with Sports Teams going Abroad	180
163.	श्रीलंका से स्वदेश लौटे भारतीय लोग	Repatriates from Ceylone . . .	181–182
164.	भारत अमरीकी शिक्षा संस्थान	Indo-US Foundation	182
165.	तेल कम्पनियों में नौकरी की सुरक्षा	Job Security in Oil Companies . . .	182–183
166.	मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene Oil . . .	183
167.	सहायकों के लिये चुनाव ग्रेड (सलेक्शन ग्रेड)	Selection Grades for Assistants . . .	184
168.	आसाम में पाकिस्तानियों की घुसपैठ	Pak. Infiltration in Assam . . .	184
169.	मिजो नेशनल फ्रन्ट के विद्रोहियों द्वारा किये गये अपहरण	Kidnapping by Mizo National Front Rebels	185
170.	हल्दिया उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory, Haldia . . .	185
171.	नामरूप उर्वरक परियोजना	Namrup Fertilizer Project . . .	186

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
172. गोहाटी तेल शोधन कारखाना	Gauhati Refinery	187
173. दिल्ली के पूसा पोलिटेक्निक में हड़ताल	Strike in Pusa Polytechnic, Delhi . .	187
174. गवर्नमेंट कालेज, कीर्तिनगर, दिल्ली	Government College, Kirtinagar, Delhi .	188
175. शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of Education Ministers . .	188–189
176. पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के लिए मजरी बोर्ड	Wage Board for Port and Dock Workers .	189
177. एयरलाइन्स उद्योग में मजदूर संघों की बहुतायत	Multiplicity of Trade Unions in Air Lines Industry	189–190
178. नई अश्रु गैस	New Tear Gas . . .	190
179. उप-राज्यपाल की शक्तियां	Powers of Lt.-Governor .	190–191
180. उत्तर प्रदेश में तेल की खोज	Exploration of Oil in U.P..	191
181. पाकिस्तान के घसपैंठिये	Pak. Trespassers	191–192
182. तटवर्ती क्षेत्रों में खोज	Exploration in Off Shore Areas	192
183. दूरवर्ती सार्वजनिक टेलीफोनों के बीच रेडियो सम्पर्क	Radio Links for Long Distance P.C.Os. .	192–193
184. हिन्दी सलाहकार समिति	Hindi Advisory Committee . .	193
185. पंजाब विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ	Punjab University Employees Association	
186. अल्पसंख्यकों का निष्क्रमण	Exodus of Minorities	194
187. सिंदरी उर्वरक कारखाना	Sindri Fertilizer Factory . . .	194–195
189. कृषक परिवारों का पुनर्वास	Rehabilitation of Agriculturist Families	195
190. उर्वरक कारखाने	Fertilizer Factories . .	195
191. सीमा क्षेत्रों के लोगोंके लिए लाइसेंस	Lincences for Border Area People	195–196
192. पंजाब में पैट्रोलियम उत्पादों की खपत	Consumption of Petroleum Products in Punjab	196

अता० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
193.	पंजाब में विश्वविद्यालयों को अनुदान	Grant to Universities in Punjab	196
194.	सड़क परिवहन उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड	Wage Board for Road Transport Industry .	196–1978
195.	केन्द्रीय तार घर, नई दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा अकस्मात हड़ताल	Lightening Strike by staff of C.T.O., New Delhi	197–198
196.	विज्ञान और इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए सस्ती किताबें	Cheaper Books for Science and Engineering Education	19
197.	कर्मचारी संघों को मान्यता	Recognition of Unions	198
198.	केरल में बागान श्रमिकों की हड़ताल	Plantation Workers' Strike in Kerala	199
199.	सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच	Enquiry against Government Employees	199
200.	गुरुवायुरप्पन कालेज (केरल)	Guruvayurappan College (Kerala)	199–200
201.	अनाकयम (केरल) में दुर्घटना	Accident at Anakayam (Kerala) .	200
202.	बिना लाइसेंस के रेडियो	Unlicensed Radio Sets	200–201
203.	फ्रांस के सहयोग से तेल शोधक कारखाने	Oil Refineries with French Collaboration	201
204.	तकनीकी शिक्षा के लिए पत्राचार पाठ्य क्रम	Correspondence Course for Technical Education	201
205.	सरकारी विभागों में सफाई कर्मचारियों और मालियों को दूसरे शनिवार की छुट्टी	Second Saturday "Off" for Scavengers and Gardeners in Government Employment .	201
206.	कलकत्ता में खोपरा और सुपारी की बिक्री मे मुनाफाखोरी	Profiteering in sale of Copra and Betelnut in Calcutta	202
207.	डाक तथा तार कर्मचारियों को चिकित्सा सम्बन्धी बिलों की प्रतिपूर्ति	Re-Imbursement of Medical Bills of P. & T. Department Employees .	202

अता० प्र० सं०

U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
208.	शिक्षा मंत्रालय में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारी	Class I and II Employees in the Education Ministry	202—203
209.	भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा के लिए अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार	Scheduled Castes Candidates I.A.S., I.P.S. and I.F.S.	203
210.	भारत रक्षा नियमों के अधीन गिरफ्तार किये गये व्यक्ति	Persons arrested under D.I.R.	203
211.	एशियाई खेलों के लिये भारतीय टीम	Indian Team for Asian Games . .	203-204
212.	उड़ीसा में बरहमपुर और सम्बलपुर में विश्व-विद्यालय केन्द्र	University Centres at Berhampur and Sambalpur in Orissa .	204
213.	ग्रामीण संस्थाएं	Rural Institutes	204—205
214.	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	Central Industrial Security Force .	205-206
215.	जम्मू और काश्मीर में रोजगार दफ्तर	Employment Exchange in Jammu and Kashmir	206
216.	डाकघर बचत बैंक खाते	Post Office Savings Bank Accounts.	206
217.	एक दम्पत्ति द्वारा आत्म-हत्या	Suicide by a Couple . .	206-207
218.	त्रिपुरा में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	Police Firing in Tripura	207
219.	त्रिपुरा में मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene Oil in Tripura .	207
220.	त्रिपुरा में भारत प्रतिरक्षा नियमों का प्रयोग	Use of D.I.R. in Tripura	208
221.	पश्चिमी जर्मनी की सहायता से पुस्तक संस्थान	Book Establishments with West German Aid	208

अता० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
222.	ग्रामीण शिक्षा संस्थाओं को विश्वविद्यालयों के अनुरूप समझना	Rural Institutes Demand as Universities	209
223.	सेना डाक सेवा	Army Postal Service . .	209
224.	उच्च न्यायालय	High Courts	209–210
225.	केन्द्रीय सरकार में नियुक्त पंजाब पदाली के भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी	Punjab Cadre I.A.S. Officers posted in Central Government	210
227.	मिजो और नागा लोगों की हिंसात्मक कार्रवाइयां	Hostilities in Mizos and Nagas . .	210–211
230.	पिंजौर के हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने में हड़ताल	Strike in H.M.T. Factory, Pinjore	211–212
231.	भूतपूर्व पंजाब के तीनों एककों में सामान्य सम्पर्क	Common Links in three Units of Erstwhile Punjab . . .	212–213
232.	नागाओं के हिंसात्मक कार्य	Naga Hostiles	213
234.	नई दिल्ली में क्वार्टरों की लागत का समायोजन	Adjustment of Cost of Quarters in New Delhi	213–214
235.	पंजाब सर्कल में डाकघर बचत बैंक की सुविधाएं	P.O. savings Bank facilities in Punjab Circle	214
236.	"स्टैट्समैन" के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by "Statesman" Employees .	214
237.	इलेक्ट्रानिक संगणक यंत्र	Electronic Computer Machine .	215
238.	दिल्ली पुलिस पर खर्च	Expenditure on Delhi Police .	215
239.	बरौनी तेल शोधक कारखाने में पेट्रोलियम कोक का जमा हो जाना	Accumulation of Petroleum Coke at Barauni Refinery	215
240.	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती	Recruitment of Class IV Staff . . .	216
241.	पेट्रो रसायन उद्योगों के लिये नेपथा	Naptha for Petro-Chemical Industries .	216–217

U. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
242. प्राकृतिक गैस की कीमत	Price of Natural Gas	217-218
243. केरल में इलायची के कारखाने के लिये भूमि	Land for Cardamom factory in Kerala	218
244. त्रिपुरा में डाक व तार विभाग के कर्मचारियों द्वारा वेतन का न लिया जाना	Pay Boycott by P. & T. Employees in Tripura	218-219
245. त्रिपुरा में पुलिस के मामले	Police cases in Tripura	219
246. कोयला खानों द्वारा लाभ साझा बोनस की अदायगी	Payment of Profit Sharing Bonus by Collieries	219-220
247. कोयला खानों में दुर्घटनायें	Accidents in Coal Mines	220
248. कोयला खानों द्वारा लाभ सहभाजन बोनस की अदायगी	Payment of Profit Sharing Bonus by Collieries	220
250. कोयला खानों द्वारा लाभ साझा बोनस का न दिया जाना	Non-Payment of Profit sharing Bonus by Collieries . . .	221
251. पंजाब इंजीनियरिंग कालेज, चंडीगढ़	Punjab Engineering College, Chandigarh .	221
252. पाकिस्तान से आये विद्रोही मिजो लोग	Mizo Rebels from Pakistan . .	221-222
253. गायों को विष दिया जाना	Poisoning of cows .	222
254. हुसैनीवाला सीमा पर भारतीय नागरिकों का लापता हो जाना	Disapperance of Indian Nationals on Hussaniwala Border	222
255. महाराष्ट्र मैसूर विवाद	Maharashtra—Mysore Dispute . .	222-223
256. पश्चिमी बंगाल के प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता	PSP Leader of W. Bengal .	223
257. नागाओं की हिंसात्मक गतिविधियां	Naga Hostilities . . .	223
258. शिक्षा सम्बन्धी योजना	Planning on Education	224
259. लड़कियों की शिक्षा	Education of Girls	224

अता० प्र० सं० U. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
260. बुनियादी शिक्षा	Basic Education	225
261. त्रि-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम	Three year Degree Course	225
262. कोयला खानों का बन्द होना	Closure of Collieries	225
263. अगरतला जेल में भूख हड़ताल	Hunger strike in Agartala Jail	225-226
ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)	Re. Calling Attention Notices	226—228
सभा पटल पर रखे गये पत्र	PAPERS LAID ON THE TABLE	
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to Bills	234-235
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Member Bills and Resolution	235
छियानवेंवां प्रतिवेदन	Ninety-sixth Report	235
विशेषाधिकार समिति	Committee of Privileges	235
दसवां प्रतिवेदन	Tenth Report	235
दिल्ली में हाल में हुई त्रिराष्ट्रीय बैठक के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Recent Tripartite Meeting held in Delhi	235-239
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	235-239
मंत्रिपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव	Motion of No-Confidence in the Council of Ministers	239
श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U.M. Trivedi	239
श्री मी० रू० मसानी	Shri M.R. Masani	241
श्री च० का० भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharyya	244
श्री म० प्र० मिश्र	Shri M. P. Mishra	245
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	Shrimati Renu Chakravartty	246
श्री पें वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	248
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	250
श्री अ० प्र० शर्मा	Shri A. P. Sharma	250
श्रीमती सावित्री निगम	Shrimati Savitri Nigam	251

U. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री शिंकरे	Shri Shinkre	252
श्रीमती कमला चौधरी	Shrimati Kamala Chaudhuri	253
श्री मुहम्मद ताहिर	Shri Mohammad Tahir	254
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	254
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	251
पचासवां प्रतिवेदन	Fiftieth Report	251

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक सभा

LOK SABHA

बुधवार, 2 नवम्बर, 1966/11 कार्तिक, 1888 (शक)

Wednesday, November 2, 1966/Kartika 11, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पत्रकारों के लिए मजूरी बोर्ड

+
*31. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :
श्री जं० ग० सिं० बिष्ट :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री 27 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 66 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमजीवी पत्रकारों तथा गैर-श्रमजीवी पत्रकारों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका मोटा ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने उनके सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) अभी तक नहीं ।

2045(Ai) LSD—2.

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी मजूरी बोर्ड ने टिप्पणियां प्राप्त करने के उद्देश्य से मजूरी-विन्यास सम्बन्धी अपने प्रस्ताव प्रकाशित किए हैं। गैर-पत्रकार सम्बन्धी मजूरी बोर्ड द्वारा विचार-विमर्श जारी हैं। मजूरी बोर्ड को जटिल मामले तय करने पड़ते हैं जिनमें विस्तृत तहकीकात की आवश्यकता होती है; इसे विभिन्न पक्षों की विचार-धाराओं पर भी विचार करना पड़ता है।

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : पिछले सत्र में 27 जुलाई को सरकार की ओर से बताया गया था कि समिति के कार्य की प्रगति सन्तोषजनक है और यह कि प्रतिवेदन शीघ्र ही मिल जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्री शाहनवाज खां : श्रमजीवी पत्रकारों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड 12 नवम्बर, 1963 को तथा पत्रकारों से भिन्न लोगों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड 25 फरवरी, 1964 को नियुक्त किया गया था। जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया लगभग 9000 यूनियनों का परामर्श लेना पड़ा था। क्योंकि मजूरी बोर्ड का पिछला निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उलट दिया गया था, इसलिए एक निर्धारित प्रक्रिया अपनानी पड़ी थी। वे इसको यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह तैयार है और आशा है कि अन्तिम निर्णय अगले महीने के अन्त तक घोषित कर दिया जायेगा।

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : क्या मजूरी बोर्ड ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन दिया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार पत्रकारों के लिए शीघ्र न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने की वांछनीयता और इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए उनको अन्तरिम प्रतिवेदन देने के लिये कहेगी ?

श्री शाहनवाज खां : अन्तरिम राहत दी गई थी। उनको अन्तरिम प्रतिवेदन देने के लिये कहने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जैसा कि मैं ने बताया, आशा है कि अन्तरिम प्रतिवेदन अगले महीने के अन्त तक मिल जायेगा।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : मजूरी बोर्ड की अन्तिम सिफारिशों के आने तक क्या सरकार ने स्टेट्समैन के कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच झगड़ा निबटाने के लिए कोई कदम उठाया है ?

श्री शाहनवाज खां : यह बिल्कुल अलग प्रश्न है। जब कोई विवाद उठता है तो समझौता और मध्यस्थ निर्णय करने वाली सामान्य व्यवस्था अपना काम करती है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि मजूरी बोर्ड के पंचाट के सम्बन्ध में श्रमजीवी पत्रकारों में गम्भीर असन्तोष है और सिफारिशों के प्रकाशित न किये जाने के कारण गैर-पत्रकार भी समान रूप से क्षुब्ध हैं। क्या पंचाट को अन्तिम रूप से क्रियान्वित करने से पूर्व उस पर श्रमजीवी पत्रकारों से चर्चा की जायेगी ?

श्री शाहनवाज खां : पंचाट का प्रारूप तैयार है। इसको राय जानने के लिये परिचालित कर दिया गया है। क्रियान्विति के लिये निर्णय करने से पूर्व उनको अपना दृष्टिकोण बताने के लिये निश्चय ही अवसर दिया जायेगा।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री को पता है कि प्रतिवेदन के अन्तिम रूप से क्रियान्वित किये जाने तक श्रमजीवी पत्रकारों का शोषण प्रत्येक स्थान पर चल रहा है और गैर-सरकारी समाचारपत्रों के कर्मचारियों को बिना किसी कारण के नौकरी से निकाला जा रहा है ? क्या प्रतिवेदन के क्रियान्वित किये जाने तक उनको कुछ संरक्षण देने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री शाहनवाज खां : जब कोई विवाद उठता है या जब कोई कर्मचारी असन्तुष्ट होता है तो उस विवाद को निपटाने के लिए एक व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था से लाभ उठाया जा सकता है ।

श्री वारियर : क्या सरकार ने पिछले मजूरी बोर्ड के निर्णय की त्रुटियों को दूर करने की सम्भावना पर विचार किया है जिसका सर्वोच्च न्यायालय ने गहरा विरोध किया था ? यदि कानूनी त्रुटियों को दूर कर दिया जाता है तो मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को शीघ्र क्रियान्वित किया जा सकता है । कम से कम इतना क्यों नहीं किया जाता ?

श्री शाहनवाज खां : मजूरी बोर्ड निश्चय ही सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखेगा ।

Shri Viswanath Pandey: Since the Wage Board for working and non-working journalists has not so far submitted its report as a result of which strikes have been launched at a number of places in the country, may I know whether Government is trying to obtain an interim report for implementation pending the final report?

Shri Shahnawaz Khan: I have already submitted that there is no question of submitting an interim report.

श्री श्यामलाल सर्राफ : इस मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन के प्रकाशित होने के बाद पत्रकारों को जो भौतिक लाभ होगा उसके अतिरिक्त क्या यह मजूरी बोर्ड या सरकार द्वारा नियुक्त दूसरा मजूरी बोर्ड किसी विशिष्ट कार्य में पत्रकारों के कार्यभार की भी जांच कर रहा है ?

श्री शाहनवाज खां : कार्यभार, पारिश्रमिक और इन सब पहलुओं पर मजूरी बोर्ड के सामने चर्चा की गई थी और संघों के प्रतिनिधियों को मजूरी बोर्ड के सामने अपने दृष्टिकोण रखने का पूरा अवसर दिया गया था ।

श्री वासुदेवन नायर : सरकार द्वारा शीघ्र कदम उठाने में क्या कठिनाइयां हैं क्योंकि कीमतें बढ़ती जा रही हैं और इससे कर्मचारियों के साथ न्याय करने में विलम्ब होता है ? प्रतिवेदन देने के लिये कोई अन्तिम तिथि क्यों नहीं रखी जा सकती है ?

श्री शाहनवाज खां : श्रमजीवी पत्रकारों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड एक संविहित निकाय है और उसको विधि न्यायालयों की तरह निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है । हम अपने मंत्रालय की ओर से उनको याद कराते रहते हैं कि इसमें शीघ्रता की जाये और यथाशीघ्र निर्णय किया जाए । हम यही कुछ कर सकते हैं ।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं . . . . .

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ अपनी जगह पर नहीं हैं ।

श्री हेम बरुग्रा : श्री त्यागी ने मुझे वहां से खींच लिया है ।

ग्रध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में ऐसा नहीं करना चाहिये । श्री त्यागी भी ग्रपने स्थान पर नहीं हैं ।

श्री हेम बरुग्रा : श्री त्यागी ने मुझे वहां से यहां खींच लिया है ग्रौर वह मुझे वहां नहीं जाने देंगे ।

श्री त्यागी : चूंकि श्री सामन्त दूसरी ग्रोर चले गये थे इसलिये मैं इन्हें यहां ले ग्राया हूं ।

Shri Siddheshwar Prasad: Has the attention of the Government been drawn to the fact that several newspapers have not so far implemented the interim recommendations given by the Journalists Wage Board, if, so, what machinery has been evolved by Government for the implementation of those recommendations and what machinery Government is going to evolve for the proper implementation of the final recommendations by the newspapers?

Shri Shahnawaz Khan: As regards the recommendations relating to the Working Journalists Wage Board, those have nearly been completed.

Shri Siddheshwar Prasad: They have not been implemented.

Shri Shahnawaz Khan: They have nearly been implemented. Their implementation has been quite satisfactory. The recommendations of the Second Board have been implemented to the extent of about 75 per cent and we are trying to implement the rest.

Prohibition

+

*32. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Bade:
Shri Hari Vishnu Kamath:
Shri Hem Barua:
Shri Surendranath Dwivedy:
Shri Madhu Limaye:
Shri Kishen Pattnayak:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri P R. Chakraverti:
Shri H. C. Linga Reddy:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri Vishwanath Pandey:
Shri Bagri:
Shri Yashpal Singh:
Dr. L. M. Singhvi:
Shri Surendra Pal Singh:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:
Shri R. S. Pandey:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the replies given to Starred Question Nos. 232 and 840 on the 3rd August and 7th September, 1966 respectively and state:

(a) whether Government have considered the reaction of the State Governments to the recommendations of the Prohibition Committee;

(b) if so, the result thereof;

(c) whether a meeting of the State Ministers was held in the middle of September, 1966 in this connection; and

(d) if so, the decisions taken thereat?

The Minister in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) to (d). A statement is laid on the Table.

Statement

The recommendations of the Study Team on Prohibition cover a very wide field and Government have considered them in the light of the comments of the State Governments. There was a large measure of agreement in regard to the recommendations for supporting measures to make the programme a success, *e.g.*, education, propaganda and publicity, prevention of the misuse of molasses and medicinal and toilet preparations. The State Governments have been requested to take steps to implement these recommendations. At the Centre action is also being taken on those recommendations which require action by the Central Government. The recommendations for better implementation of the prohibition laws in force involve amendments to various laws both substantive and procedural, and these are under examination. The recommendation regarding extension of prohibition to wet areas raises policy issues and has to be discussed with the Chief Ministers. This will be done as early as possible.

A meeting of the Central Prohibition Committee was held on the 15th September, 1966. It recommended that the policy of prohibition should be pursued and endorsed generally the recommendations of the Study Team in regard to supporting measures *e.g.*, intensification of education, propaganda and publicity for creating a social climate for prohibition, the prevention of the misuse of molasses and medicinal and toilet preparations.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: In view of the fact that Government have not so far considered the report of the Tek Chand Committee which was submitted as early as last year, do Government propose to consider that report in the Chief Minister's Conference and how much more time is likely to be taken in taking a step in that direction?

Shri Hathi: It is not correct to say that no thought has been given to it. In the meeting of the Central Prohibition Committee, held last month and referred to in the statement, it has been stated that many points were considered and that many other points would be considered in the Chief Ministers' meeting.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: How many States have asked for Central assistance, what amount of assistance has been sought and will it be considered in the Chief Ministers' meeting as to what action should be taken in this regard?

Shri Hathi: Gujarat and Madras States have not asked for the assistance. Although the other States have endorsed the policy of prohibition, yet they have stated that the expenditure to implement this policy as also the resultant shortfall in their revenues should be made good by the Centre.

श्री हरि विष्णु कामत : संविधान के अनुच्छेद 47 को ध्यान में रखते हुए जिसमें मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिये हानिकारक औषधियों के उपयोग को रोकने के लिये सरकार के प्रयास का उल्लेख किया गया है--मैं मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिये हानिकारक औषधियों की बात पर जोर दे रहा हूं--क्या सरकार शराब पीने वालों और आदतन शराब पीने वालों में अन्तर करना चाहती है ? क्या सरकार जानती है कि मद्यनिषेध के प्रति सरकार इतनी सोई हुई है कि भूतपूर्व पंजाब पुलिस के कुत्ता दस्ते में 'विस्की' और ब्रांडी नाम के दो कुत्ते थे और आस्तियों के बंटवारे के समय 'विस्की' हरियाना को चला गया और ब्रांडी पंजाब को चला गया है ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेन्द्रपाल सिंह ।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरे मुख्य प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने संविधान के अनुच्छेद 47 को निर्दिष्ट किया है ?

अध्यक्ष महोदय : आप अपने आप को सम्बन्धित भाग तक ही सीमित क्यों नहीं रखते ? आप दूसरी बातों को क्यों लाते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत: वह सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : इसका क्या सम्बन्ध है.....

श्री हरि विष्णु कामत : यदि दुर्भाग्य से आप दूसरे भाग को सम्बन्धित समझते हैं तो पहले भाग का उत्तर दिया जाना चाहिये। संविधान में एक निदेशक सिद्धान्त है। मैंने संविधान के अनुच्छेद 47 का उल्लेख किया है ।

श्री दी० चं० शर्मा : वह व्हिस्की के साथ पंजाब की और ब्रांडी के साथ हरियाना की तुलना क्यों कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि पंजाब और हरियाना के लोग दूध पीने वाले हैं।

अध्यक्ष महोदय : दोनों माननीय सदस्य गृह मंत्री से मिलें और इस मामले पर चर्चा करें।

श्री हाथी : माननीय सदस्य ने संविधान के निदेशक सिद्धान्त का सही उल्लेख किया है । शराब पीने वालों और आदतन शराब पीने वालों में अन्तर है। हमें धीरे धीरे इसी पर प्रतिबन्ध लगाना है कि जिससे लोग नशे में बेहोश न हो जायें। शराबखोरी को बन्द करने की अवस्था पर हम अभी नहीं पहुंचे हैं ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : कुछ स्थानों पर यह कहा जा रहा है कि मद्यनिषेध की नीति इसलिये सफल नहीं हुई है कि इस मूल प्रश्न पर अभी स्वयं कांग्रेस दल ने अपना विचार नहीं बनाया है । यह कहां तक सच है ?

श्री हाथी : माननीय सदस्य जो कुछ कहते हैं उसको सामान्य रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है, परन्तु सच्चाई यह है कि राज्य इस नीति को पूरी तरह क्रियान्वित करने के लिये तैयार नहीं हैं क्योंकि वे कहते हैं कि उनको जो हानि होगी उसकी पूर्ति की जाय।

Shri Madhu Limaye: Has the attention of the Government been drawn to the three in consistencies relating to prohibition, *viz.*, in the first place despite the directive principles prohibition has not been enforced in a capital city like Delhi whereas it has been enforced in the States; secondly, prohibition is not meant for the soldiers whereas it is imposed upon the civilians and thirdly, in certain States prohibition is being further strengthened and in certain other States such as U.P. prohibition has been lifted after the Chinese aggression?

What steps are being taken by Government to remove those inconsistencies and to frame a rational policy?

Shri Hathi: Government has certainly given thought to what Shri Madhu Limaye has stated and many of these points including prohibiltion in U.P. were discussed in the last meeting.

Shri Madhu Limaye: I referred to the three inconsistencies and he has replied only with regard to U.P.

Mr. Speaker: They are looking to all the three inconsistencies.

Shri Bibhuti Mishra: Government is not in line with the prohibition. Had Gandhiji been alive today, Government would have perforce to enforce prohibition. Government itself encourages drinking in the offices, in our embassies in foreign countries and at other places. You have seen that our officials in our offices in England drink. I want to know . . .

Mr. Speaker: Have you seen me there.

Shri Bibhuti Mishra: I take you as a witness. You were present when our High Commission officials were drinking. May I know whether this Government is faithful to Gandhiji and the country, if so how this Government propose to stop drinking?

Shri Madhu Limaye: This is a hypocrite Government and not adherent of Gandhiji's principles.

Shri Hathi: So far the Central Government is concerned it is anxious to implement this policy of prohibition, but there is maximity amongst us over some important recommendations which we call supporting recommendations of Tek Shand Committee Report which has been received for implementation and we shall implement those recommendations by and by.

श्री हेम बरुआ : जैसा कि मैंने पहले कई बार कहा है, मैं इस घोर षडयन्त्र के विरुद्ध हूं जिसे कि मद्यनिषेध कहा जाता है। फिर भी, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को पता है कि कुछ राज्यों ने मद्यनिषेध विरोधी कानून पास कर लिये हैं और यदि उन्होंने ऐसा किया है तो सरकार इस देश में किस प्रकार मद्यनिषेध को क्रियान्वित करना चाहती है ?

श्री हाथी : मैं नहीं समझता कि किसी राज्य ने मद्यनिषेध विरोधी कानून पास किये हैं।

श्री हेम बरुआ : कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा किया है। उदाहरणतया महाराष्ट्र ने मद्य-निषेध विरोधी कानून पास किया है।

अध्यक्ष महोदय : यदि उत्तर सही नहीं है तो माननीय सदस्य मुझे लिख सकते हैं। मैं इस समय हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

Shri A. P. Sharma: Apart from accepting it in principle, prohibition should enforced for all and sundry. Are Government aware that in industrial areas, especially where the workers live, drinking is worsening the economic condition of the workers and social evils are creeping among them, but conditions have improved where prohibition has been enforced. If so, why Government be enforced for all and sundry. Are Government aware that in industrial areas, areas where people have benefited by it. May I know when Government will enforce it?

Shri Hathi: In my opinion the policy of prohibition will lead to the improvement in financial position of labourers, specially in Gujarat state.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मद्यनिषेध के विस्तार से सम्बन्धित विवरण में यह बताया गया है कि इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों से विचार-विमर्श किया जायेगा, क्योंकि यह एक नीति संबंधी प्रश्न है। क्या इसका अर्थ यह है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में मद्यनिषेध के असफल होने के कारण सरकार की अन्य क्षेत्रों में मद्यनिषेध-प्रसार करने सम्बन्धी नीति में अन्तर आ गया है ?

श्री हाथी : नहीं ऐसी नीति नहीं है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मद्य निषेध को केवल वर्तमान क्षेत्रों तक ही सीमित न रखकर, उसको अन्य क्षेत्रों पर भी लागू किया जाये ऐसी नीति सरकार की बतायी जाती है। फिर मद्य निषेध को अन्य क्षेत्रों पर लागू करने में नीति का क्या प्रश्न है ? मुख्य मंत्रियों के साथ इस सम्बन्ध में किस बात पर विचार-विमर्श किया जायेगा ?

श्री हाथी : टेक चन्द समिति की सिफारिशों के आधार पर बनायी गयी सरकार की नीति यह है कि जिन क्षेत्रों में मद्य निषेध लागू नहीं है वहां पर भी मद्य निषेध लागू हो। किन्तु ऐसा करने के लिए मुख्य मंत्रियों की सलाह लेनी आवश्यक है ।

Shri Ram Sahai Pandey: Prohibition was introduced with the intention that coming generation may not be victim of drinking habits. May I know whether any survey has been conducted to see how far this purpose has been achieved?

Shri Hathi: As all the states have not so far been covered by prohibition policy, it is very difficult at this stage to tell about the achievements of this policy.

Shri Kishen Pattanayak: May I know whether any assessment has been made regarding the sale and consumption of the liquor in the country since the acceptance of the principle of prohibition.

Shri Hathi: In wet areas it is on the increase while it is decreasing in the dry areas. The reason for the increase is that public opinion required in favour of prohibition could not be created for it. I do not know whether it is on the increase or decrease.

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने कभी सोचा है कि शराबबन्दी की नीति एक धोखा है, एक सनक है ?

श्री हाथी : यह धोखा नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : किसी भी सदस्य का अपने स्थान पर खड़ा होना ही मेरे लिये काफी है । 'श्रीमान' आदि सम्बोधन प्रयोग करके मेरे ऊपर दबाव डालना उचित नहीं है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मंत्री महोदय को यह मालूम हो गया है कि मद्य निषेध के लागू करने से राज्यों को राजस्व में हानि होती है और उसको बिक्री-कर और आयकर के द्वारा पूरा किया जाता है । यदि यह सच है तो सरकार राज्यों की इस मांग को स्वीकार क्यों नहीं कर लेती कि मद्य निषेध से होने वाली हानि को पूरा किया जाय ।

श्री हाथी : केन्द्रीय मद्य निषेध समिति की सदस्य होने के नाते माननीय महिला सदस्य ने नशाबन्दी के पक्ष में दिये गये सभी तर्क सुने होंगे । वैसे राज्यों की राजस्व सम्बन्धी कमी को पूरा करने के प्रश्न पर मंत्रियों की बैठक में विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

जम्मू तथा काश्मीर का पुनर्वास संगठन

*33. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री 31 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 771 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धन के दुरुपयोग के बारे में जम्मू तथा काश्मीर के पुनर्वास संगठन के कार्यों की जो जांच गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा की गई थी, उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई न्यायिक जांच की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) 31 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 771 के उत्तर में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि धन के दुरुपयोग के बारे में आरोपों का कोई आधार नहीं था। इसलिये कोई भी मामला नहीं था जिसकी जांच गृह मंत्रालय द्वारा की जाती। गृह मंत्रालय द्वारा कोई जांच नहीं की गई थी।

(ख) चूंकि सरकार संतुष्ट है कि सहायता तथा पुनर्वास कार्य क्षमता से किया गया है और धन के दुरुपयोग के आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है, इसलिये न्यायिक तथा अन्य प्रकार की जांच के लिये कोई मामला नहीं है।

श्रीमती सावित्री निगम : समाचारपत्रों में इस बारे में कई समाचार प्रकाशित हुए हैं। यदि वास्तव में कोई भी मामला नहीं है तो उन समाचारों का सरकार द्वारा खण्डन क्यों नहीं किया गया ?

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है कि उनका खंडन किया जाय। मंत्री महोदय बता चुके हैं कि यह सच नहीं है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार को धन के दुरुपयोग या वितरण और पुनर्वास के कार्यों को नियंत्रित करने वाले वर्तमान नियमों और विनियमों में त्रुटियां होने के बारे में शिकायतें मिली हैं ?

श्री शाहनवाज खां : हमें समाचारपत्रों अथवा दूसरे माध्यमों से कुछ निराधार आरोपों का पता लगा था। विभागीय पूछ-ताछ की गयी और इस सम्बन्ध में हमने भी राज्य सरकार से पूछ-ताछ की थी, परन्तु आरोपों को सिद्ध न किया जा सका। अतः आगे जांच का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक नियमों का सम्बन्ध है, वे ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं और उनको परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या सरकार को मालूम है कि हजारों शरणार्थी पुरुषों, महिलाओं, और बच्चों का एक जलूस जम्मू तथा काश्मीर सरकार से विरोध प्रकट करने छम्ब-जौरियां से ऊधमपुर तक 60 मील का मार्ग पैदल तय करके आया था और फिर स्थानीय राजनीतिक नेताओं द्वारा समझाये-फुसलाये जाने पर वापिस चला गया था। उन्होंने सरकार के विरुद्ध क्या आरोप लगाये थे ? क्या उन्होंने पुनर्वास मंत्री को भी हटाने की मांग की थी ?

श्री शाहनवाज खां : जहां लाखों विस्थापित व्यक्तियों की समस्या होती है वहां कुछ शिकायतें तो अवश्य होती हैं, परन्तु सरकार ने पुनर्वास कार्य पूर्ण दक्षता के साथ किया है। छम्ब-जौरियां क्षेत्र के लगभग एक लाख व्यक्ति विस्थापित हुए थे, जिनमें लगभग 90 प्रतिशत वापिस उसी क्षेत्र में जा बसे हैं। सरकार ने सहायता और पुनर्वास कार्यों के लिये लगभग 8 करोड़ रुपये नियत किये थे जिनमें से लगभग 5 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

सब कार्य संतोषपूर्ण ढंग से हो रहा है। पुनर्वास मंत्री के त्याग-पत्र का इन शिकायतों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री हेम बरुआ : श्रीमती निगम के प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने यह कहा है कि उसे शिकायतें नहीं मिलीं। अब श्री सर्राफ के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि कुछ शिकायतें मिली हैं। इन में से कौन सा वक्तव्य सही है

श्री शाहनवाज खां : पहला उत्तर धनराशि के गोलमाल के सम्बन्ध में है तथा दूसरा शरणार्थियों को दिये जाने वाले भत्ते आदि के सम्बन्ध में है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्रमिकों की शिक्षा का कार्यक्रम

+
*34. **श्री दी० चं० शर्मा** : **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री दे० जी० नायक : **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी** :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठ वर्ष पहले प्रारम्भ की गई श्रमिकों की शिक्षा की योजना की प्रगति के पुनर्विलोकन के लिए क्या एक समिति बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति ने अपने कार्य में अब तक कितनी प्रगति की है ; और

(ग) उसकी सिफारिशें क्या हैं ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) समिति बनाने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) और (ग) इस समय प्रश्न नहीं उठते ।

श्री दी० चं० शर्मा : इस समिति को नियुक्त करने में सरकार को कितना समय लगेगा और क्या इसमें श्रमिकों के प्रतिनिधि भी शामिल किये जायेंगे अथवा क्या यह विभागीय समिति के किस्म की एक समिति होगी जिसके सचिव, उप-सचिव और अवर-सचिव होंगे ।

श्री शाहनवाज खां : समिति के सदस्यों का चयन कर लिया गया है और शीघ्र ही औपचारिक रूप से इसकी घोषणा कर दी जायेगी । अब हम उन व्यक्तियों से यह मालूम कर रहे हैं कि वे व्यक्ति समिति के सदस्य बनने के लिये राजी हैं । इस में कुछ संसद् सदस्यों को भी सम्मिलित किया गया है और इसके लिये संसदीय-कार्य मंत्री की अनुमति मांगी जा रही है । इस समिति में सरकार और श्रमिकों दोनों के प्रतिनिधि होंगे ।

श्री दी० चं० शर्मा : श्रमिकों की शिक्षा-योजना के जो सरकार ने आठ वर्ष पूर्व प्रारम्भ की थी वास्तविक परिणाम क्या निकले हैं। यह योजना अब कितने श्रमिकों पर लागू हो चुकी है और इससे श्रमिकों को क्या लाभ हुआ है ?

श्री शाहनवाज खां : लगभग चार लाख श्रमिकों ने अब तक इस योजना से फायदा उठाया है । देशी और विदेशी विशेषज्ञों के पुनर्विलोकन दलों का भी यही मत है कि श्रमिकों को इस योजना से बड़ा लाभ हुआ है । इस योजना से उन औद्योगिक संस्थानों में बहुत सुधार हुये हैं जहां यह योजना लागू की गयी थी ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार वर्तमान स्थिति में यह बता सकेगी कि प्रस्तावित समिति के निर्देशन-पद क्या होंगे ?

श्री शाहनवाज खां : मैं निर्देश-पद तो बता सकता हूं परन्तु निर्देश-पदों और श्रमिक-शिक्षा का केन्द्रीय बोर्ड जिन उद्देश्यों और प्रयोजनों को लेकर इस योजना को चला रहे हैं, उनका

अध्ययन किया जाना चाहिए और ऐसी सिफारिशों को पेश करना चाहिये जिन से श्रमिकों और श्रमिक संघों का योजना को लागू करने में पूर्ण सहयोग मिल सके।

श्री दे० जी० नायक : क्या इस समिति में कोई ऐसा सदस्य भी होगा जो श्रमिकों के साथ काम कर रहा हो तथा सामाजिक-कार्यकर्ता हो ?

श्री शाहनवाज खां : समिति का एक सभापति भी होगा । किन्तु अभी उस व्यक्ति का अनुमोदन हमें प्राप्त नहीं हुआ है। यदि आप चाहें तो मैं समिति के सभी सदस्यों के नाम आप को पढ़कर सुना सकता हूं ।

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : इस योजना पर अभी तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है और चौथी योजना के दौरान इस पर कितना खर्च करने का प्रस्ताव है ?

श्री शाहनवाज खां : श्रमिकों के शिक्षा-कार्यक्रम के लिये चौथी योजना में लगभग 5 करोड़ रुपयों का स्थायी रूप से नियतन किया गया है ।

श्री वासुदेवन नायर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस विभाग द्वारा चलाई गई कक्षाओं से वास्तव में चार लाख श्रमिकों को लाभ हुआ है तथा क्या इस विभाग द्वारा चलाये गये स्कूलों के अध्यापकों को विभिन्न कारखानों में जाकर श्रमिक-विद्यार्थियों को समझा-बुझा कर इन स्कूलों में लाना पड़ता है । और यदि वे ऐसा न करें तो इन स्कूलों को चलाया नहीं जा सकता । यदि स्थिति ऐसी ही है तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ताकि कारखानों के प्रबन्धकर्ता अपने श्रमिकों को इन स्कूलों में भेजने की जिम्मेदारी लें ।

श्री शाहनवाज खां : इस योजना का काम करने का तरीका इस प्रकार है । पहले स्तर पर शिक्षा अधिकारी हैं जो श्रमिक-शिक्षकों को प्रशिक्षण देते हैं। इस प्रशिक्षण के लिए विभिन्न कारखानों और दूकानों पर काम करने वालों को ही बुलाया जाता है, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है और उन्हें श्रमिक-अध्यापकों के नाम से पुकारा जाता है । ये ही श्रमिक-अध्यापक अपने पृथक्-पृथक् कारखानों और वर्कशापों में वापिस जाकर अपने संस्थानों के श्रमिकों को शिक्षा देते हैं। इस प्रकार से करीबन चार लाख श्रमिकों को शिक्षित किया जा चुका है ।

श्री कमलनयन बजाज : श्रमिकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में उक्त समिति के क्या कार्य होंगे ? क्या यह योजना श्रमिकों के परिवार के अन्य सदस्यों तथा बच्चों पर भी लागू होगी ? क्या श्रमिकों को उनके काम से सम्बन्धित प्रशिक्षण भी दिया जायेगा और क्या कारखानों के संगठनों से भी यह कहा जायेगा कि लोगों को दक्ष बनाने में वे भी सहयोग दें ?

श्री शाहनवाज खां : औद्योगिक संस्थानों के श्रमिकों को यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसमें उन्हें यह बताया जाता है कि श्रमिक-संघों तथा सहकारी समितियों का प्रबन्ध किस प्रकार किया जाये और श्रमिकों और प्रबन्ध के पारस्परिक सम्बन्धों को किस प्रकार सुधारा जाय । इसके लिये विभिन्न प्रबन्धकों का सहयोग अवश्य मिलना चाहिए और यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उनसे अब अपेक्षित सहयोग मिल रहा है ।

Shri Hukam Chand Kacchavaiya: May I know whether the attention of the Government has been drawn to an Education Centre in Madhya Pradesh, where only those people get training who are members of a particular recognised union or are made members of such union?

Shri Shahnawaz Khan: We ask names from the management and from the federations of workers for such training. Men sent to us are given the said training. Except some organizations all the representatives of workers are taking interest in this programme. It is not for the workers, registered with I.N.T.U.C Workers who are members of other unions *viz.* U.T.U.C. and Hindustan Mazdoor Sangh are also taken for such training.

श्रीमती विमला देशमुख : मैं जानना चाहती हूं कि महिला-श्रमिकों को इस योजना से कितना लाभ हुआ है ?

श्री शाहनवाज खां : कुछ महिला-श्रमिक भी इसमें भाग ले रहीं हैं। कुछ ऐसी महिला-श्रमिकों को भी प्रशिक्षित किया जाता है जो अध्यापक का कार्य करती हैं।

श्री वारियर : क्या सरकार ने प्रारम्भिक वर्षों में प्रशिक्षणार्थियों को दी जाने वाली पर्यटन आदि की सुविधाओं को अब बन्द कर दिया है ?

श्री शाहनवाज खां : तीन मास का प्रशिक्षण-काल समाप्त होने के पश्चात् श्रमिक-शिक्षकों को ऐसे विभिन्न संस्थानों का दौरा कराया जाता है जहां प्रबन्ध और श्रमिकों के पारस्परिक सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं । अब भी प्रशिक्षण के बाद वैसा ही कराया जाता है ।

Shri Gulshan: May I know whether Government intend to provide such facilities to agricultural labourers also as are being provided to the workers in factories?

Shri Shahnawaz Khan: Agricultural labourers are not yet covered by this scheme. It is for the industrial workers only.

बेरोजगारी बीमा योजना

+

*35. **श्री अ० क० गोपालन :**	**श्री स० चं० सामन्त :**
श्री मधु लिमये :	**श्री भागवत झा आजाद :**
श्री किशन पटनायक :	**श्री म० ला० द्विवेदी :**
डा० राम मनोहर लोहिया :	**श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री स० मो० बनर्जी :	**श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री दाजी :	**श्री महेश्वर नायक :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :	**श्री वासुदेवन नायर :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :	**श्री वारियर :**
श्री सुबोध हंसदा :	**श्री दिगे :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री 27 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 61 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोनों भविष्य निधि योजनाओं में अंशदान देने वाले लोगों तथा उन लोगों के लिये, जो काम पर लगे हुए हैं किन्तु जिनका काम छूट सकता है, बेरोजगारी बीमा लागू करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) :(क) इस योजना पर अभी तक भी विचार किया जा रहा है ।

(ख) इसके ब्यौरे को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) इस मामले को 1967 के शुरू में होने वाले स्थायी श्रम समिति के आगामी अधिवेशन में पेश किए जाने का विचार है ।

श्री अ० क० गोपालन : क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना समिति द्वारा दी गयी सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है, और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाहनवाज खां : इस योजना का प्रारूप तैयार है और अब इस पर स्थायी श्रम समिति की अगली बैठक में विचार होगा । योजना का प्रारूप परिचालित किया जा रहा है और सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की राय मांगी जा रही है ।

श्री अ० क० गोपालन : इसको अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा ?

श्री शाहनवाज खां : इस प्रारूप पर स्थायी श्रम समिति की अगले वर्ष के शुरू में होने वाली बैठक में विचार किया जायेगा। इसमें अब बहुत अधिक समय नहीं लगेगा ।

Shri Kishen Pattanayak: May I know whether this scheme applies to agricultural labourers also?

Shri Shahnawaz Khan: No Sir, they are not covered by this scheme. It is only for those workers who are members of Employees Provident Fund or coal Mines Provident Fund.

श्री वारियर : क्या सरकार ने नियोजकों से यह आश्वासन ले लिया है कि इस योजना के लागू होने पर वे सरकार को सहयोग देंगे ?

श्री शाहनवाज खां: भारतीय श्रम सम्मेलन में इन सभी मामलों पर विचार किया गया था और इसके बारे में श्रमिकों की प्रतिक्रिया बहुत ही सहायक और सन्तोषजनक थी । नियोजकों के प्रतिनिधियों ने कुछ अधिक समय और योजना का पूर्ण ब्यौरा मांगा था।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या आज या निकट भविष्य में सरकार का ऐसा विचार है कि विज्ञान शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को भी इस योजना में सम्मिलित किया जाये ?

श्री शाहनवाज खां : जैसा मैंने अभी बताया था ; यह योजना उन सभी श्रमिकों पर लागू होती है जो कर्मचारी भविष्य निधि और कोयला खान भविष्य निधि के सदस्य हैं।

Shri Kashi Ram Gupta: May I know whether any time-limit for being subscriber to Provident Fund has been fixed for getting relief or every body out of unemployment, who had been subscriber to Provident Fund for any period, will be covered by this scheme.

Shri Shahnawaz Khan: It is for those workers who are in employment at present and they all will be entitled for such relief. According to draft scheme this relief will continue for six months or till the date the worker is re-employed, whichever is lesser.

Shri Sheo Narain: How much amount will be spent on this scheme?

Shri Shahnawaz Khan: It will depend upon the number of the unemployed persons.

श्री स० मो० बनर्जी : समाज कल्याण मंत्री ने कुछ दिन पहले अपने सचिव से एक ऐसा वक्तव्य दिलवाया था कि यह योजना लागू की जा रही है और अधिकतर नियोजकों ने इसे मान लिया है। अब वह कह रहे हैं कि यह मामला स्थायी समिति को सौंपा जा रहा है। नियोजकों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है। क्या यह उन्होंने मान लिया है। यदि हां ; तो क्या यह सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में लागू की जायेगी ?

श्री शाहनवाज खां : जी हां। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं यह भारतीय श्रम सम्मेलन में रखा गया था। श्रमिकों तथा नियोजकों दोनों के प्रतिनिधियों ने इसे सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है। अब योजना का प्रारूप स्थायी श्रम समिति के सामने रखा जायेगा। उनके द्वारा इसका अनुमोदन किये जाने पर यह भारतीय श्रम सम्मेलन में रखा जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में लागू होगी ?

श्री शाहनवाज खां : यह प्रत्येक पर लागू होगा।

Reorganisation of Punjab

+

***36. Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Bhawat Jha Azad:
Shri S. C. Samanta:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri P. C. Borooah:
Shri Subodh Hansda:
Dr. M. M. Das:
Shri Basumatari:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the reorganisation of Punjab has been completed;

(b) whether some matters still remain undecided; and

(c) if so, when a final decision will be taken thereon?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supply in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The reorganisation of Punjab took effect from the 1st November 1966 and the measures necessary for the establishment of the new units in accordance with the provisions of the Punjab Reorganisation Act, 1966, have been taken. The Proclamation issued by the President under Article 356 of the Constitution on 5th July 1966, was revoked on the morning of 1st November 1966, and the new Ministries have started functioning in Punjab and Haryana. A common High Court for Punjab, Haryana and Chandigarh has been constituted. As provided under sections 81 and 82 of the Punjab Reorganisation Act, 1966, Services have been allocated to the new units. Public Service Commissions have been constituted for the States of Punjab and Haryana. Accommodation has been provided to both the Governments of Punjab and Haryana for the location of their offices at Chandigarh. An Administrator has been appointed for the Union Territory of Chandigarh and necessary powers have

been delegated to him. The Punjab Reorganisation Act, 1966, contains necessary provisions for the apportionment of the various assets and liabilities and makes provision in regard to Bhakra-Nangal and Beas Projects, Corporate bodies which have become inter-State Corporations as a result of the reorganisation, etc. Action in accordance with these provisions is proceeding. In some cases, action has to be taken in consultation with the Governments of the successor States and in some other cases, by agreement amongst them; failing which, on a reference from the concerned State, in accordance with the orders of the Central Government. Final allocation of services has also to be made in the case of services which have been provisionally allocated. It will take some time for completing all the follow-up action required to be taken consequent on the reorganisation of Punjab.

Shri Prakash Vir Shastri: After reorganization of Punjab Master Tara Singh and Sant Fateh Singh have expressed the discontent over it. Master Tara Singh expressed that they wanted a separate and independent state and not a state like this and they will continue to fight for achieving a state of their imagination. Such statements have created a state of uncertainty in Punjab. In this connection I would like to know whether Government will stick to its decision or will yield to such demand?

The Minister for Home Affairs (Shri Nanda): Anybody need not fear about the change in this decision. All things have been done and are being done in accordance with a law allowing some mutual adjustments. If anybody dreams in any other way, let him dream. There is no scope for any change in the present status of new states.

Shri Prakash Vir Shastri: What are the matters which still remain undecided? May I know whether the question of Punjab University is also one of such matters, which now comes under centrally administered Chandigarh. By what time the decision will be taken in that regard?

Shri Hathi: As far as the division of assets and liabilities relating to Bhakra-Nangal and Beas projects are concerned, it will be in accordance with an agreement to be reached at by the successor States by 1st Nov. 1968. To some institutions facilities will continue till the agreement takes place in regard thereto latest by 1st November 1967.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : पंजाब विश्वविद्यालय का क्या हुआ ?

Shri Hathi: That also come in this. The following are instances where action has been taken in consultation with the State Government.

> "Apportionment of the expenses of the High Court Judges etc. Assets and liabilities of the State Electricity Board and State warehousing corporation—These bodies will stand dissolved on 1st November 1967 or such earlier date us the Central Government may appoint."

श्री दी० चं० शर्मा : माननीय मंत्री कहां से पढ़ रहे हैं ?

श्री हाथी : मेरे पास जो नोट हैं उनमें से पढ़ रहा हूं।

श्री दी० चं० शर्मा : ये सभी नोट हमें दिये जाने चाहिये थे ताकि हम इनके बारे में प्रश्न करें। मंत्री महोदय ने हमें ये (नोट) क्यों नहीं दिये ?

Mr. Speaker: The hon. Member has enquired about university only.

श्री हाथी : इस पर दोनों का ही अधिकार होगा और इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये गये हैं। जैसा कि मैं ने बताया है, वह भी छटी अनुसूची में है ।

श्री स० चं० सामन्त : विवरण में दिया गया है कि पंजाब के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप बाद में की जाने वाली सभी कार्यवाहियों को पूरा करने में कुछ समय लगेगा। इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करने के लिये क्या कोई दूसरा आयोग या निकाय नियुक्त किया जाने वाला है ?

श्री हाथी : जसा कि मैंने पहले बताया मुख्य प्रश्न आस्तियों तथा दायित्वों के वितरण और कुछ वर्तमान संस्थानों को जारी रखने का होगा । इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि दोनों राज्यों को समझौता करने के लिये समय दिया गया है । हो सकता है कि यह १९६७ हो; कुछ मामलों में १९६८ हो। अतः इस मामले में कार्यवाही समझौते के अनुसार की जायेगी। यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार को उनका फैसला करना होगा।

Shri Jagdev Singh Siddhanti: So far as the reorganisation of the States of Haryana and Punjab is concerned, I congratulate the Government and both the Houses of Parliament through you and exhibit my sense of gratitude, but the question is this that the majority population of Haryana and Punjab do not endorse the idea of Common link and in view of this may I know when the Government will take expeditious action to remove those Common links?

Shri Hathi: The present common links will be there and as the Home Minister stated in answer to a question raised about High Court that both the States, after they have been constituted can conclude an agreement about it.

श्री नाथ पाई : क्या मैं जान सकता हूं कि (क) इतने छोटे राज्य के लिये इतना बड़ा मंत्रिमंडल क्यों आवश्यक समझा गया; और

(ख) इस लड़खड़ाती हुई कैबिनेट में उन व्यक्तियों को क्यों शामिल किया गया है जिनकी दास आयोग जसे न्यायिक आयोग द्वारा कटु आलोचना की गई थी ?

श्री हाथी : मंत्रिमंडल के गठन का मामला राज्य सरकार का है...... (**व्यवधान**)

श्री नाथ पाई : कल ही गृह-कार्य मंत्री ने प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को सभा-पटल पर रखा था। इस से वे सब सिफारिशें अर्थहीन हो जाती हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्रिमंडल के गठन की जिम्मेदारी मुख्य मंत्री की है ।

श्री नाथ पाई : परन्तु उन्होंने केन्द्रीय नेताओं की सलाह से यह काम किया है । यहां की सलाह पर ही सब कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया गया था ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : श्रीमन्, आपकी यह बात सही है कि कबिनेट के गठन की जिम्मेदारी मुख्य मंत्री की है । परन्तु क्या यह सच नहीं कि कबिनेट के गठन के बारे में प्रधान मंत्री का परामर्श लिया गया था ? अतः केन्द्रीय सरकार बीच में आ जाती है क्योंकि प्रधान मंत्री का परामर्श लिया गया । . . . (**व्यवधान**)

श्री ही० ना० मुकर्जी : श्रीमन्, श्री त्रिवेदी के प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है क्या आप ठीक समझते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है मैंने उत्तर नहीं दिया है ।

श्री हो० ना० मुकर्जी : श्री द्विवेदी द्वारा उठाया गया प्रश्न यह है कि, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में मंत्रिमंडल के गठन को अन्तिम रूप देने के लिये प्रधान मंत्री ने हस्तक्षेप किया था, और कांग्रेस के नेता श्री कामराज ने नहीं, और प्रधान मंत्री ने ऐसा इस सभा द्वारा दिये गये अधिकार के अन्तर्गत ही किया है। इसलिये हमें यह जानने का अधिकार है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है।

अध्यक्ष महोदय : पार्टी में क्या हो रहा है इससे मेरा सम्बन्ध नहीं है। इस सभा को ऐसे प्रश्नों में नहीं जाना चाहिये . . . (व्यवधान)

श्री हो० ना० मुकर्जी : श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर उनको लेने के लिये तैयार नहीं थे। प्रधान मंत्री के कहने पर उन्होंने उनको लिया है . . . (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : यदि श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर किसी की सलाह लेते हैं, चाह वह प्रधान मंत्री हो या अन्य कोई मंत्री हो, तो इस सभा को उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिये . . . (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : अतः भारत सरकार बीच में आती है।

श्री अध्यक्ष महोदय : संविधान के अन्तर्गत भारत सरकार बीच में नहीं आती।

श्री हो० ना० मुकर्जी : प्रधान मंत्री भारत सरकार की प्रधान है। वह कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है . . . (व्यवधान)

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Centre has given the advice. Centre has been consulted......

श्री त्यागी : यह पार्टी का आन्तरिक मामला है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Why the Centre was consulted....

Mr. Speaker: This may be discussed in the vote of no-confidence coming today.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: I rise for a point of order.

Mr. Speaker: Under what rule?

श्री शिकरे : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री शिकरे : मैं समझता हूं कि उस परम्परा को अब छोड़ दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : पहले आप नियम बतायें।

श्री शिकरे : यह प्रश्नों सम्बन्धित नियम के अन्तर्गत है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे नियम बताइये।

श्री शिकरे : तब तो मैं आग्रह करूंगा कि आपको भविष्य में भी हर बार इसके लिये आग्रह करना चाहिये। मैं इस तरह से बैठने वाला नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको बैठना होगा, नहीं कैसे ?

श्री शिकरे : मैं आपका कहना मानूंगा, परन्तु इस तरीके से नहीं।

अध्यक्ष महोदय : कल ही मेरी जानकारी में यह बात लाई गई थी कि इस सभा द्वारा यह निर्णय किया गया है कि जो भी व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिये खड़ा हो उससे मुझे नियम पूछना चाहिये ।

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : नहीं, श्रीमन्, ऐसा नहीं चल सकता । हमारी यह संसद अब समाप्ति पर है ... (व्यवधान)

Shri Ram Sewak Yadav: So many times members have not quoted the rule. There cannot be different rules for different persons.

व्यवधान **

अध्यक्ष महोदय : यदि छः सदस्य इस तरह एक साथ बोलें तो कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमन्, नियम 41(2) के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मद (18) में नकारात्मक रूप से यह कहा गया है :—

"उसका किसी ऐसे विषय से सम्बन्ध नहीं होगा जिस से मंत्री पदेन संबंधित न हो।" दूसरी ओर इसका सम्बन्ध ऐसे मामले से हो सकता है जिस से मंत्री सम्बन्धित है ।

श्री हाथी : मेरा इस से सम्बन्ध नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : इसका सम्बन्ध उस मामले से हो सकता है जिस से सरकार सम्बन्धित है । सरकार से अर्थ प्रधान मंत्री से है । प्रधान मंत्री ने परामर्श दिया है ।

श्री त्यागी : वह एक राजनीतिक दल की नेता भी हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा नम्र निवेदन है कि सरकार की प्रधान, प्रधान मंत्री इस घटना से सरकारी तौर पर सम्बन्धित हैं अर्थात पंजाब कैबिनेट के गठन से जिसमें कि भ्रष्ट व्यक्तियों को शामिल किया गया है और इसलिये प्रधान मंत्री का कर्तव्य है कि वह विशेष रूप से इस सभा को बतायें कि उन्होंने या सरकार ने इन भ्रष्ट व्यक्तियों को कैबिनेट में शामिल करने की क्यों सलाह दी । उनको बताना चाहिये कि क्या यह सच है या नहीं; क्या उन्होंने सलाह दी या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : पहले तो मुझे यह निर्णय करना है कि व्यवस्था का प्रश्न है अथवा नहीं । जब तक मैं इसका निर्णय नहीं करता मैं उनको कैसे कह सकता हूं कि वह कुछ कहें । कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । ।

श्री हरि विष्णु कामत : कैसे ?

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री संविधान के किसी भी अनुच्छेद या अन्य किसी नियम के अन्तर्गत इस मामले से सरकारी तौर पर सम्बन्धित नहीं है कि उनको मुख्य मंत्री को अपनी कैबिनेट बनाने के लिये सलाह देनी चाहिये ।

श्री हरि विष्णु कामत : फिर उन्हें इतना ही कहने दीजिये, क्या यह सच है या नहीं जैसा कि समाचारपत्रों में आया है; क्या उन्होंने सलाह दी या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग प्रश्न है....

व्यवधान**

**कार्यवाही के वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
**Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड में नहीं जायेगा ।

Shri M. L. Dwivedi: It is so because those hon. Members are not called who have given their names. The Members who have given their names, have interest in it, not they.... ..

Mr. Speaker: I cannot be like that.

Shri M. L. Dwivedi: In the last session you permitted like that, it will be like that . . .

Shri Maurya: He said that it will be like this. Those are objectionable words. Yesterday you expelled me, I did not utter any objectionable word.

Mr. Speaker: You have not to decide it. Those words are objectionable and I hold strong exception to it.

श्री दाजी : नियम 41 के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

Dr. Ram Manohor Lohia: Sir, there is a point of order.

Shri M. L. Dwivedi: Sir, I said that earlier you gave permission for that I did not cast aspersion on you.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: I beg to move that he should be suspended from the sitting of the House.

Mr. Speaker: Order order.

श्री दाजी : प्रश्न यह था कि क्या कैबिनेट के गठन से प्रधान मंत्री का सम्बन्ध है या नहीं और इस पर आपने अपना विनिर्णय दे दिया है । मैं उस प्रश्न को पुन: नहीं उठाना चाहता । मैं आपके सामने प्रश्न का दूसरा पहलू रखता हूं । यह प्रश्न संगत है क्योंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा एक आयोग नियुक्त किया गया था अर्थात दास आयोग; उस आयोग का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया था और हमने उसपर चर्चा भी की । यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा एक राज्य के कतिपय मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिये कोई आयोग नियुक्त किया जाता है जैसा कि इस मामले में हुआ हैं और प्रतिवेदन कुछ सदस्यों पर आरोप लगाता है तो निश्चय ही संसद सदस्य सरकार से यह पूछ सकते हैं कि आयोग की सिफारिशों पर आगे क्या कार्यवाही की गई ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक भिन्न प्रश्न है । यह एक साखान प्रश्न है । दास आयोग ने कतिपय सदस्यों के विरुद्ध आरोप लगाया है । प्रश्न यह है (व्यवधान)

Dr. Ram Manohar Lohia: I rise on a point of order under Article 246 of the Constitution.

अध्यक्ष महोदय : शांति शांति । यह प्रश्न दूसरे संदर्भ में संगत हो सकता है परन्तु इस समय मुझे जो कुछ कहना है वह है यह निर्णय करना कि क्या इस प्रश्न के अन्तर्गत यह अनुपूरक प्रश्न पूछा जा सकता है और मैंने फैसला दिया है कि यह नहीं पूछा जा सकता यह यहां संगत नहीं है । अब प्रश्न काल समाप्त होता है । (व्यवधान)

Shri M. L Dwivedi: Sir, you had said that you would call me....

Mr. Speaker: I did say, but now no time is left, what can I do.

Shri M. L. Dwivedi: You called those who had not given their names, but you did not call those in whose name the main question stands, whereas in the procedure...... (*interruptions*).

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: There is unrest all over the country. My Adjournment motion is very urgent and that must be taken.

अध्यक्ष महोदय : जब तक मैं किसी सदस्य को न बुलाऊं उसको बोलना नहीं चाहिये । यह रीकार्ड नहीं किया जायेगा ।

व्यवधान*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

अगस्त-अक्तूबर, 1966 में हड़तालें और बन्द

*37. श्री राम सहाय पाण्डेय :	श्री यशपाल सिंह :
श्री लोकाधर कटकी :	डा० रानेन सेन :
श्री नि० रं० लास्कर :	श्री रा० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :	श्री श्रीनारायण दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :	श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री सुबोध हंसदा :	श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री भागवत झा आजाद :	श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्र० चं० बरुआ :	श्री विभूति मिश्र :
डा० म० मो० दास :	श्री क० ना० तिवारी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :	श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के लगभग सभी भागों में गत दो मास में हड़तालें, आन्दोलन तथा बन्द हुए हैं; और

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने इन आन्दोलनों को रोकने तथा देश में शांति तथा व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिये कुछ ठोस उपाय सोचे हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) देश के कुछ राज्यों में बन्द, आंदोलन और हड़तालें हुई ।

(ख) इन आंदोलनों को रोकने के लिये कार्यवाही करना और विधि तथा व्यवस्था बनाये रखना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । किन्तु कुछ दलों तथा संगठनों के आंदोलन सम्बन्धी दृष्टिकोणों की दिशाओं का भारत सरकार द्वारा अध्ययन किया जाता है और राज्य सरकारों से परामर्श किया जाता है । जहां जरूरत होती है वहां सलाह तथा सहायता दी जाती है ।

---

*कार्यवाही के वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

*Not recorded.

Bank Employees' Demands

***38. Shri Naval Prabhakar:**
Shri Basappa:
Shri Maurya:
Shri Bagri:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Yashpal Singh:

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that recently an agreement on all the major issues has been reached between the management of Banking industry and the Bank Employees' Union; and

(b) if so, the main features thereof?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram): (a) Yes. An agreement was signed on 19th October 1966 by the representatives of the Banking industry and the Bank employees.

(b) Copies of the settlement which runs into 63 pages exclusive of appendices are available in the library of the House. Printed copies are expected to be available for sale shortly.

सी० एस० गैस

*** 39. डा० म० मो० दास :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सी०एस० गैस का जिसे हिंसात्मक भीड़ों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस का अश्रु गैस के स्थान पर काम में लाने का विचार है मानव शरीर पर कुछ हानिकर प्रभाव पड़ता है;

(ख) क्या इस गैस के प्रभाव की चिकित्सा सम्बन्धी व्यापक जांच की गई है;

(ग) क्या यह सी०एस० गैस भारत में तैयार की जाती है अथवा इसका आयात किया जायेगा; और

(घ) यदि आयात किया जायेगा, तो उसकी कीमत अश्रु गैस की कीमत की तुलना में कितनी कम अथवा अधिक होगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) अभी तक सी०एन० अश्रु गैस के स्थान पर सी०एस० अश्रु गेस का प्रयोग करने का फैसला नहीं किया गया है । मामला अभी विचाराधीन है ।

(ख) संयुक्तांग्ल राज्य की सरकार द्वारा किये गए प्रयोगों में कोई हानिकारक प्रभाव ध्यान में नहीं आया ।

(ग) किसी भी प्रकार की अश्रुगैस की सामग्री भारत में नहीं बनाई जाती ।

(घ) दोनों प्रकार की आयातित अश्रु गैस का मूल्य एक सामान है ।

काश्मीर में गिरफ्तारियां

*40. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री फिरोडिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री बसुमतारी :
डा० म० मो० दास :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) गत दो मास में, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग लेने के कारण जिन व्यक्तियों को काश्मीर में गिरफ्तार किया गया उनकी संख्या क्या है;

(ख) इस समय जम्मू तथा काश्मीर राज्य में घुसपैठियों की कुल संख्या क्या है और जिन्हें अब तक गिरफ्तार किया गया है वे कितने हैं; और

(ग) क्या राज्य भर से घुसपैठियों को निकाल बाहर कर दिया गया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अगस्त और सितम्बर 1966 में गिरफ्तार किये जाने वाले ऐसे व्यक्तियों की संख्या 66 थी।

(ख) और (ग) राज्य में ऐसे कोई घुसपैठिये स्वतंत्र नहीं घूम रहे, जिनके बारे में सरकार को ज्ञान हो। सम्भव है कि पिछले वर्ष के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बाद कुछ घुसपैठिये स्थानीय आबादी के साथ मिल कर इधर रह गए हों। इक्के दुक्के घुसपैठियों का जिनमें पिछले साल की घुसपैठ में से बचे हुए थोड़े से घुसपैठिये भी हो सकते हैं पता लगाने के लिये अधिक से अधिक सतर्कता का प्रयोग जारी है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि काश्मीर घाटी में 1966 के जनवरी से सितम्बर तक की अवधि के दौरान गिरफ्तार किये गए पाकिस्तानी घुसपैठियों तथा पाकिस्तानी एजेंटों की संख्या 49 थी।

सिविल कर्मचारियों को संरक्षण

*41. श्री सेझियान :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के सचिवों को इस आशय के कुछ आश्वासन दिये गये हैं कि उनको अपने सरकारी कार्य में सभी प्रकार का संरक्षण दिया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या आश्वासन दिये गये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सचिवों के साथ अभी हाल की एक बैठक में प्रधान मन्त्री ने अन्य बातों के साथ-साथ इस स्थिति को दोहराया कि अपने कर्त्तव्य का ईमानदारी से पालन करने वाले किसी भी सरकारी कर्मचारी को सरकार का संरक्षण और समर्थन प्राप्त होगा ।

हल्दिया तेल शोधक कारखाना

*42. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री रा० बरुआ :
श्री फिरोडिया :
डा० रानेन सेन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० म० मो० दास :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है कि हल्दिया तेल-शोधक कारखाने के लिये किस देश से सहयोग लेना है;

(ख) यदि हां, तो किसके साथ और सहयोग-करारों की मुख्य शर्तें क्या हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इस में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) : (क) से (ग) बातचीत अभी प्रगति पर है।

दिल्ली में मकानों का गिर जाना

*43. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री महेश्वर नायक :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 अगस्त, 1966 को धर्मपुरा दिल्ली में गिरने वाले मकान के बारे में जांच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं तथा यदि कोई सिफारिशें की गई हैं तो वे क्या हैं; और

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) दिल्ली नगर-निगम द्वारा मकानों का पुनसर्वेक्षण शुरू किया गया था और वह अभी चल रहा है । ऐसे २४० मकान जो खतरनाक घोषित किये गए थे नगर निगम द्वारा अथवा खुद मकान मालिकों/रहने वालों द्वारा ढा दिये गए । दिल्ली नगर निगम द्वार उन मकान मालिकों/रहने वालों के खिलाफ मुकदमें चलाने का अभियान शुरू किया गया है जिन्होंने नगर-निगम का नोटिस प्राप्त होने पर भी अपने मकानों की मरम्मत नहीं कराई और १०८ मामलों में कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है । आयोग के निर्देश पदों में से एक यह है कि आयोग भविष्य में ऐसी घटनाओं की आवृत्ति को रोकने के उपाय सुझायेगा ।

गोआ

***44. श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :**
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री बासप्पा :
श्री विश्व नाथ पांडेय :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री कोला वेंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री नाथ पाई :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोआ के लोगों की इस बारे में राय जानने के लिये कि वे, महाराष्ट्र में विलय चाहते हैं अथवा अपने पृथक् अस्तित्व को बनाये रखना चाहते हैं 'राय जानने वाले निर्वाचन' के बारे में कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस निर्वाचन के कब तक होने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी हां।

(ख) फरवरी, 1967 के आम चुनावों के साथ-साथ गोआ में इस बात को जानने के लिये "राय जानने वाले निर्वाचन" कराने का विचार है कि गोआ महाराष्ट्र में विलीन किया जाना चाहिये या संघ राज्य-क्षेत्र ही चलने दिया जाये। इस मामले पर सामान्य बहुमत द्वारा निर्णय लिया जायेगा । गोआ में संसदीय चुनावों के लिये निर्वाचन सूचियों के आधार पर यह निर्वाचन किया जायगा ।

महंगी शिक्षा

***45. श्री महेश्वर नायक :**
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री काशी राम गुप्त :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री नरदेव स्नातक :
श्री छ० म० केदरिया :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अखिल भारतीय विद्यार्थी कांग्रेस के इस कथन की ओर दिलाया गया है कि शिक्षा को महंगा करने तथा उसे गरीब लोगों की पहुंच से बाहर करने के लिये सरकार

जिम्मेदार है और उन्होंने तकनीकी पुस्तकों, वैज्ञानिक उपकरण तथा लेखन-सामग्री के मूल्यों को कम करने के लिये तत्काल कदम उठाये जाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो देश में सभी स्तरों पर शिक्षा को कम खर्च वाली बनाने और विज्ञान की तकनीकी पुस्तकों, उपकरणों तथा लेखन सामग्री के मूल्यों को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी, नहीं।

(ख) शिक्षा के व्यय को कम करने के लिए इसे निःशुल्क शिक्षा, पुस्तकों का मुफ्त वितरण, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्तियां देकर, सस्ते दामों पर पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन और जरूरी सामग्रियों की, जिस में उपयुक्त मूल्यों पर लेखन-सामग्री भी शामिल है, बिक्री के लिए, शिक्षा संस्थाओं में सहकारी भण्डारों की स्थापना की व्यवस्था करके गरीब लोगों की पहुंच के भीतर लाने के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं।

विज्ञान तथा तकनीकी की पुस्तकों को कम खर्च वाली बनाने के लिए मित्र-देशों के सहयोग से मानक शैक्षिक-पुस्तकों के पुनः प्रकाशन के लिए बनाई गई योजनाओं के अन्तर्गत सीमित व्यवस्था पहले से ही है ।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् (एनसर्ट) ने स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों के लिए कम मूल्य की आदर्श पुस्तकों तथा सभी विषयों में शिक्षक-संदर्शिकाओं के निर्माण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम भी हाथ में लिया है । कम कीमत पर विज्ञान प्रयोगशाला के उपकरणों के मूल आदर्शों (प्रोटो-टाइपों) के निर्माण के लिए एक केन्द्रीय विज्ञान कारखाना भी स्थापित किय गया है ।

इस विषय पर शिक्षा आयोग ने कई सिफारिशें की हैं, जिनकी अब जांच की जा रही है, ।

जासूसी कांड

***46. श्री यश पाल सिंह :** **श्री दाजी :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या गृह-कार्य मंत्री 6 सितम्बर, 1966 को दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी जासूसों के कांड में गलत जानकारी देने वाले अधिकारी के आचरण के सम्बन्ध में जांच इस बीच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) अभी तक मामले की जांच की जा रही है ।

सरकारी कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष

***47. श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों में हाल ही में फैले असंतोष और अनुशासनहीनता का कोई विश्लेषण किया है तथा अनुमान लगाया है ;

(ख) इस मामले में सरकार के क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सरकार ने स्थिति पर निगाह रखी हुई है। आन्दोलन अधिकांशता महंगाई भत्ते की अपर्याप्तता के कारण होते रहे हैं। सरकार ने निर्वाह-व्यय में वृद्धि को निष्प्रभावी बनाने के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति, श्री पी० बी० गजेन्द्रगडकर की अध्यक्षता में हाल ही में, एक जांच आयोग नियुक्त किया है। आयोग ने 175 निर्वाह सूचकांक तक वृद्धि को निष्प्रभावी बनाने के बारे में अपनी सिफारिशें कर दी हैं। सरकार ने इन सभी सिफारिशों को पूर्णतया स्वीकार कर लिया है। आयोग केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भविष्य में महंगाई भत्ता देने के सिद्धान्तों पर विचार करेगा। ऐसा करते समय वह राज्य सरकारों, सरकारी उपक्रमों, स्थानीय निकायों आदि पर इससे पड़ने वाले प्रभाव के साथ साथ अन्य संगत बातों को भी ध्यान में रखेगा। आशा है कि जब आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेगा तो सरकारी कर्मचारियों की इस मुख्य समस्या को संतोषजनक आधार पर सुलझाना सम्भव होगा।

एक नियोजक के रूप में सरकार तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच आपसी हित के मामलों पर पूरी तरह से तथा निष्पक्ष रूप से विचार करने हेतु संस्थात्मक प्रबन्ध करने के लिए तथा लोक सेवा को और कार्यकुशल बनाने हेतु 28-10-1966 को केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये संयुक्त सलाहकार तंत्र तथा अनिवार्य मध्यस्थता की व्यवस्था करने की एक योजना आरम्भ की गई है।

सरकार तथा इस योजना में भाग लेने वाले कर्मचारियों के संगठनों ने संयुक्त उद्देश्य की एक घोषणा में यह स्वीकार किया है कि कर्मचारियों के संगठन इस योजना का कम-से-कम 5 वर्षों तक उचित परीक्षण करेंगे और इस परीक्षण काल में सभी विवादों के विचार विमर्श तथा अनिवार्य मध्यस्थता की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जायेगा। इसलिये सरकार आशा करती है कि भविष्य में कर्मचारियों के संगठनों को अपनी समस्याओं के बारे में आन्दोलनकारी रवैया अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

मजूरी स्थिरीकरण

*48. **श्री स० मो० बनर्जी:** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों के कर्मचारियों के मामले में मजूरी का स्थिरीकरण किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अखिल भारतीय श्रमिक संगठनों ने यह धमकी दी है कि यदि मजूरी का स्थिरीकरण किया गया तो वे सीधी कार्यवाही करेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख), (ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर (केम्पस) में हुई घटनायें

*49. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :

क्या शिक्षा मंत्री 11 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1606 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के द्वारा जांच-न्यायाधिकरण के विषय में उत्तर-प्रदेश के मुख्य मंत्री को लिखे गये पत्र के विषय की स्वयं उनके द्वारा प्रकट किये जाने के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की प्रामाणिक प्रति प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इसे सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी, हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश विधान सभा की 2 मार्च, 1966 की कार्यवाहियों का एक उद्धरण (हिन्दी में) और उसका अंग्रेजी अनुवाद लोक सभा पटल पर रख दिया गया है । इस में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री का वक्तव्य है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 7176/66]**

विधायकों तथा प्रशासकों के बीच संबंध

*50. **श्री बागड़ी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री कोल्ला वैकया :

क्या गृह-कार्य मंत्री 24 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 630 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच विधायकों तथा प्रशासकों के बीच सम्बन्धों के बारे में प्रारूप संहिता अन्तिम रूप से तैयार कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या संहिता की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). जैसा कि मैंने तारांकित प्रश्न संख्या 630 के उत्तर में 24 अगस्त, 1966 को बताया था, कुछ संसद् सदस्यों से प्रारूप संहिता के बारे में अपने मत तथा सुझाव देने के लिये अनुरोध किया गया था । इन में से केवल कुछ संसद् सदस्यों के उत्तर प्राप्त हुए हैं । शेष को स्मरण कराया गया है । उनके उत्तर प्राप्त होने पर प्रारूप को अंतिम रूप दिया जायगा ।

अमझौर पाइराइट्स से मलरूप (एलीमेन्टल) गन्धक

*51. श्री ओनारायण दास :
श्री भगवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० म० मो० दास :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री यश पाल सिंह :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमझोर पाइराइट अयस्क से मलरूप (एलीमेन्टल) गंधक का उत्पादन आर्थिक दृष्टि से सम्भव है ;

(ख) यदि हां, तो पाइराइट अयस्क से मूलरूप गंधक का उत्पादन करने वाली परियोजना प्रारम्भ करने की दिशा में क्या प्रगति की गयी है ;

(ग) क्या इस के लिये किसी विदेशी सहयोग की आवश्यकता होगी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध किसी विदेशी फर्म से कोई करार किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां । पाइराइट्स एण्ड कैमीकल्स डिवैलपमैंट कम्पनी ने जो अन्य विषयों के साथ साथ अमझौर पाइराइट्स के व्यापारिक समुपयोजन के लिए स्थापित हुई पाइराइट्स से मूलरूप गन्धक के निष्कासन के लिए मैसर्स ओटोकुम्पुओयो फिनलैण्ड के साथ एक प्रक्रिया तैयार की है ।

(ख) एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने के लिए सरकार ने स्वीकृति दी है । रिपोर्ट बनाने का काम कम्पनी के सक्रिय विचाराधीन है ।

(ग) और (घ). विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के तैयार होने के बाद ही किसी विदेशी सहयोग के बारे में स्थिति स्पष्ट होगी । तो भी यह आवश्यक होगा कि मसर्स ओटोकुम्पुओयो या अमरीका की मैसर्स लुम्मास कम्पनी के साथ (पोटोकुम्पु आयो के एजेन्ट्स) जिसकी भारत में रुपया कम्पनी (rupee payment) है विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने और तत्पश्चात् इसे कार्यान्वित करने में सहयोग प्राप्त किया जाए ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की सूचना

*53. श्री नम्बियार :
श्री उमानाथ :
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :
श्री रा० बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघ द्वारा नवम्बर, 1966 के द्वितीय सप्ताह में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने की सूचना की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा इस प्रस्तावित कार्यवाही का प्रयोजन क्या है ; और

(ग) कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्यावरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) प्रस्तावित कार्यवाही का उद्देश्य निर्वाह-व्यय में वृद्धि को निष्प्रभावी करने तथा मंहगाई भत्ते का उचित फार्मूला बनाने के बारे में कन्फैडरेशन की मांग की ओर सरकार का ध्यान केन्द्रित करना बताया जाता है ।

(ग) सरकार ने 1000/– रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को गजेन्द्रगडकर आयोग की सिफारिशों के आधार पर मंहगाई भत्ते में वृद्धि दे दी है और भत्ते की बढ़ी हुई दरें 1–12–1965 से लागू की गई हैं। भविष्य में मंहगाई भत्ते के लिये फार्मूला बनाने का प्रश्न बड़ा प्रश्न है और गजेन्द्रगडकर आयोग के निर्देश-पदों में से एक है । आयोग से अभी और भी प्रतिवेदन प्राप्त होना है ।

विदेशी तेल समवायों में छंटनी

*54. डा० रानेन सेन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री महेश्वर नायक :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर .

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन में गैर-सरकारी कम्पनियों ने बड़ी संख्या में लोगों की छंटनी की है ;

(ख) क्या श्रम तथा रोजगार मंत्रालय ने पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय से कहा है कि इनको इंडियन आयल कम्पनी के संस्थानों में नियुक्त किया जाए ; और

(ग) यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन

*55. श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री बासप्पा :
श्री राम सेवक यादव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री फिराडिया :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० म० मो० दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री रा० बरुआ :
श्री लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री सुरेन्द्रनाथ पाल सिंह :
श्री कौल्ला वेंकैया :
श्रीमती रेणु का राय :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री महेश्वर नायक :
श्री दे० द० पुरी :
श्री इन्द्रजीत गुप्ता :
श्री मान सिन्हा पी० पटेल :

क्या शिक्षा मंत्री 7 सितम्बर 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 839 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन पर इस बीच निर्णय कर लिया है ;

(ख) चौथी योजना अवधि में प्राथमिकता के आधार पर किन-किन योजनाओं की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जायेगा; और

(ग) क्या सरकार प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों--विशेषकर विज्ञान तथा गणित के अध्यापकों—के वेतनों में वृद्धि करने की सिफारिश करने वाली है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). सरकार शिक्षा आयोग की रिपोर्ट की सक्रिय रूप से जांच कर रही है। इस कार्य के लिए शिक्षा मंत्रालय में एक विशेष एकक स्थापित कर दिया गया है। इसी प्रकार के एकक सभी राज्यों के शिक्षा विभागों में भी स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों के विचार नवम्बर के अन्त तक मिलने की उम्मीद है और इस के बाद रिपोर्ट पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक विशेष बैठक में विचार किया जायेगा। यह बैठक 20 और 21 दिसम्बर, 1966 को नई दिल्ली में होगी। सरकार इस बैठक के बाद निर्णय लेगी।

आयोजना आयोग के शिक्षा पेनल ने पिछले सितम्बर में रिपोर्ट पर विचार किया था और मोटे तौर पर इसकी सिफारिशें मान ली थीं। विभिन्न योजनाओं के लिए शिक्षा आयोजना में

सम्मिलित आबंटनों में पेनल द्वारा दी गयी सलाह को ध्यान में रखते हुए कुछ पुनः समायोजन करने का विचार है ।

आयोग द्वारा की गयी केन्द्रीय क्षेत्र से संबंधित सिफारिशों को अलग से लिया जा रहा है और उनकी जांच शिक्षा मंत्रालय में की जा रही है । अध्यापकों की शिक्षा के बारे में केन्द्रीय क्षेत्र के लिए की गई सिफारिशें पहले ही मान ली गयी हैं और उन्हें कार्यान्वित करना शुरू कर दिया है । शिक्षा आयोग की स्वीकृत सिफारिशों को केन्द्र और राज्यों दोनों जगह कार्यान्वित करने के लिए 1967-68 की वार्षिक आयोजना में कुछ तदर्थ व्यवस्था करने का विचार है । इस से दिसम्बर में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक के पश्चात् इसके शीघ्र कार्यान्वित करने में सुविधा होगी ।

(ग) शिक्षकों के वेतन-मानों के सम्बन्ध में आयोग के प्रस्तावों को राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया है और वे इनकी जांच कर रही हैं ।

जासूसी के मामले की जांच

***56. श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री विश्व नाथ पाण्डेय :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० म० मो० दास :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिकारियों द्वारा कथित जासूसी के मामले की जांच के बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) अब तक हुई जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) मोहित चौधरी के विरुद्ध मामले पर जिस में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का एक कर्मचारी भी शामिल है, अब केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कार्यवाही की जा रही है । जांच में प्रगति हो रही है ।

प्रौढ़ साक्षरता

***57. श्री राम सेवक यादव :**
श्री यश पाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के सदस्य डा० वी० के० आर० वी० राव ने कहा है कि सरकार ने अब तक प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम पर गम्भीरता-पूर्वक विचार नहीं किया है ;

(ख) क्या इस बारे में प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि सरकार का विचार 1967 के अन्त तक निरक्षरता समाप्त कर देने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) से (ग). प्रधान मंत्री अथवा आयोजना आयोग के सदस्य डा० वी० के० आर० वी० राव ने ऐसे कोई वक्तव्य नहीं दिए लगते हैं। फिर भी प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम के लिए चौथी आयोजना में ६४ करोड़ रुपए की राशि नियत करने का विचार है ।

शेख अब्दुल्ला के बारे में श्री जयप्रकाश नारायण का वक्तव्य

*58. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री कौल्ला वेंकैया :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने शेख अब्दुल्ला से मिलने के पश्चात् श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की जांच की है कि जब तक शेख अब्दुल्ला को रिहा नहीं किया जाता तथा उसे काश्मीर का नेतृत्व नहीं करने दिया जाता तब तक काश्मीर प्रश्न का कोई हल नहीं निकल सकता;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) यह कहां तक सच है कि काश्मीर के लिये स्वतंत्रता की अपेक्षा शेख भारत संघ में काश्मीर के लिये पूर्ण स्वायत्तता चाहते हैं; और

(घ) क्या सरकार को उनके रवैये में परिवर्तन के बारे में शेख अब्दुल्ला से कोई पत्र प्राप्त हुआ है, जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया था ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): (क) सरकार ने श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा 8 सितम्बर, 1966 को धनवाद में दिए गए भाषण के विषय में पी० टी० आई० के एक समाचार को देखा है।

(ख) भारत सरकार की काश्मीर सम्बन्धी नीति सदन में एकाधिक बार बताई जा चुकी है। नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।

(ग) और (घ). भारत सरकार को शेख अब्दुल्ला से ऐसा कोई पत्र नहीं मिला जिसमें उन्होंने कहा हो कि वह भारत संघ के अंतर्गत काश्मीर के लिये पूर्ण स्वायत्तता चाहता है।

संघ लोक सेवा आयोग की सभी भाषाओं में परीक्षा

***59. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
डा० म० मो० दास :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री सेझियान :
श्री दिगे :
श्री तुला राम :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री गुलशन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 27 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 64 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग ने सभी चौदह भाषाओं में केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षायें आयोजित करने के संबन्ध में एक सूत्र तय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक तय किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी, अभी तक नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) मामले पर आयोग सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। किन्तु यह बता सकना सम्भव नहीं है कि इसके अंतिम रूप से तय कर लिये जाने की कब तक सम्भावना है।

निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा

***60. श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री ओंकार लाल बरवा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छः और चौदह वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने के सम्बन्ध में संविधान के निदेशक सिद्धान्तों को कार्य रूप देने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस संबंध में चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार है

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) अब तक जो कुछ कदम उठाए गए हैं उनमें ये

केरल में एडाचेरी में टेलीफोन की सुविधायें

108. श्री अ० क० गोपालन :
श्री नम्बियार :
श्री उमा नाथ :

क्या **संचार** मंत्री 7 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4270 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एडाचेरी में वडागरा एक्सचेंज से संबद्ध एक सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय बनाने का प्रस्ताव मान लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को क्रियान्वित करने की सम्भाव्य तिथि क्या है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) 5 अक्तूबर, 1966 को पोस्ट मास्टर जनरल, केरल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

(ख) अपेक्षित सामान तुरन्त उपलब्ध कराने की कठिनाई के कारण इस समय सार्वजनिक टेलीफोन पर खोलने की संभावित तारीख ठीक-ठीक नहीं बताई जा सकती।

केरल में काफी हाउस के लिए भूमि

109. श्री अ० क० गोपालन :
श्री नम्बियार :
श्री उमानाथ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री केरल में काफी हाउस के लिये भूमि के बारे में 4 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4263 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क.) क्या कन्नानूर पुलिस मैदान में एक काफी हाउस बनाने के हेतु पांच सैट भूमि दिये जाने के बारे में इंडिया काफी बोर्ड वर्कर्स कोआपरेटिव सोसायटी की प्रार्थना के सम्बन्ध में राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार अभी तक इस मामले पर विचार कर रही है।

श्रीकाडापुरम, केरल में टेलीफोन तथा तार सुविधायें

110. श्री अ० क० गोपालन :
श्री नम्बियार :
श्री उमा नाथ :

क्या **संचार** मंत्री 7 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4262 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के कन्ननूर जिले में श्रीकाडापुरम में टेलीफोन तथा तार सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये किये गये अभ्यावेदनों पर इस बीच कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय के स्वरूप क्या हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) मामले की जांच करने के बाद प्रायोजना के लाभप्रद न होने के कारण टेलीफोन सुविधाएं देने का प्रस्ताव समाप्त कर दिया गया है। सीमित हानि सह कर केवल तार सुविधाएं प्रदान करने के आर्थिक पहलू पर पोस्ट मास्टर जनरल, केरल द्वारा पुनर्विचार किया जा रहा है।

(ख) तार सुविधाओं के सम्बन्ध में अभी निर्णय लेना शेष है।

अमीन चन्द प्यारे लाल सार्थ-समूह

111. **श्री किशन पटनायक :**
श्री मधु लिमये :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की विभिन्न एजेन्सियों ने अमीन चन्द प्यारे लाल सार्थ-समूह की कुछ उन फर्मों के बारे में, जिनका नाम काली सूची में लिखा गया है या जो अन्य किसी रूप से दंडित हैं, जानकारी एकत्र की है अथवा जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद कितनी बार, किन-किन वर्षों में और केन्द्रीय सरकार के किन-किन विभागों अथवा किन-किन राज्य सरकारों द्वारा; और

(ग) इस जांच का क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जायेगी है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

गुजरात में जलाई गई गैस

112. **श्री पु० र० पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आज तक गुजरात में कितनी मात्रा में और कितनी कीमत की गैस जलाई गई ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : 1 सितम्बर, 1966 तक लगभग 632 मिलियन घन मीटर गैस जलाई गई। किसी विशेष समय जब किसी वस्तु की मांग या निपटान के साधन न हों तो उस वस्तु का मूल्यांकन कठिन होता है। इस के अतिरिक्त, विभिन्न ग्राहकों के लिये गैस का मूल्य अभी मध्यस्थ निर्णय के अधीन है।

बिहार के समाचारपत्रों के कर्मचारियों की मांगें

113. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के समाचारपत्रों के कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने 11 अक्तूबर, 1966 को उनकी पटना यात्रा के समय उनसे भेंट की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं; और

(ग) उन मांगों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख) मुझे बिहार में किसी समाचार-पत्र कर्मचारी संघ या उसके किसी प्रतिनिधि मंडल से भेंट की जानकारी

नहीं है । असंख्य दर्शकों में से कुछ व्यक्तियों ने मुझ से प्रार्थना की कि पत्रकार मजूरी बोर्ड की रिपोर्ट, समाचारपत्र कर्मचारी मजूरी बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने तक प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए, ताकि दोनों को एक साथ प्रकाशित किया जा सके । मैं उनकी प्रार्थना से सहमत नहीं हुआ । परन्तु मैंने उन्हें सुझाव दिया कि यदि वे अपने प्रस्ताव के बारे में पत्रकारों के प्रतिनिधियों की स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं तो सरकार उस पर विचार करेगी ।

Kashi Nagari Pracharini Sabha Encyclopaedia

114. Shri Naval Prabhakar: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the amount of grant provided by Government to the Kashi Nagari Pracharini Sabha, Varanasi for publishing an Encyclopaedia;

(b) whether it is a fact that the price of the Encyclopaedia being published by the Sabha has suddenly been doubled;

(c) whether this increase is being effected with the approval of Government; and

(d) when this Encyclopaedia will be published?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) The amount of grant so far released to the Nagari Pracharini Sabha, Varanasi for the publication of Hindi Encyclopaedia in ten volumes amounts to Rs. 10,40,000.

(b) and (c) Due to abnormal rise in the cost of preparation and publication of the Hindi Encyclopaedia, the sale price of each volume of the Encyclopaedia had to be doubled. This increase was effected by the Sabha with the prior approval of the Government of India.

(d) Seven volumes of the Encyclopaedia have already been published. The remaining three volumes are expected to be published by the end of December, 1967.

दिल्ली में उच्च न्यायालय

115. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** **श्री बागड़ी :**
श्री दी० चं० शर्मा : **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उच्च न्यायालय स्थापित हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं और उनके नाम क्या क्या हैं और यदि कोई नये न्यायाधीश नियुक्त किये गये हैं, तो कितने ;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की इमारत एक होटल बनाने के लिए अधिगृहीत की गई थी और अब दिल्ली उच्च न्यायालय को पुरानी दिल्ली के सिविल लाइन्स क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां । 31 अक्तूबर, 1966 से ।

(ख) फिलहाल दिल्ली के उच्च न्यायालय में निम्नलिखित 4 न्यायाधीश नियुक्त किये गए हैं :—

(1) श्री न्यायाधीश के० एस० हेगडे	मुख्य न्यायाधीश
(2) श्री न्यायाधीश इंद्र देव दुआ (3) श्री न्यायाधीश एच० आर० खन्ना (4) श्री न्यायाधीश एस० के० कपूर	पंजाब उच्च न्यायालय से स्थानांतरित हो कर।

(ग) जी नहीं। दिल्ली का उच्च न्यायालय, अब नई दिल्ली में, पंजाब उच्च न्यायालय के भूतपूर्व सर्किट बैंच के स्थान पर नई दिल्ली में स्थित है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन

116. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दाजी :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण न करने का अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Sindri Fertilizer Factory

117. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Bade:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 28 employees of the Power Plant of Sindri Fertilizer Factory were arrested recently as the employees of the said plant resorted to strike; and

(b) if so, the causes of the strike?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) No. It is not a fact that 28 employees of the Power Plant of Sindri Fertilizer Factory were arrested recently as the employees of the said plant resorted to strike.

(b) One of the workers assaulted a Chargeman who had taken bonus on 15th September, 1966. The worker was suspended on 16th September, 1966. As soon as the suspension order was served, about 180 workmen went on strike but resumed work on 19th September, 1966.

Petitions Against Ruler of States

118. **Shri M. L. Dwivedi:** **Shri Bhagwat Jha Azad:** **Shri Subodh Hansda:** **Shri S. C. Samanta:** **Shri P. C. Borooah:** **Dr. M. M. Das:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the reasons for the delay in giving permission on the petitions pending with Government of India for filing cases against the erstwhile rulers of princely States for transactions with them or for other reasons;

(b) the number of such petitions pending for more than six months; and

(c) whether a statement showing the dates of receipt and disposal thereof for the period from 1955 to 30th September, 1966 will be laid on the Table?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) In considering the requests, deficiencies in the applications have sometimes to be made up, comments of the Rulers concerned obtained, and the merits examined after considering legal opinion, where necessary. All this is, however, done as expeditiously as possible.

(b) One.

(c) Since a large number of files have been weeded out, the required statement cannot be compiled.

पाटस्कर प्रतिवेदन

119. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : श्री सुबोध हंसदा : श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : श्री म० ला० द्विवेदी : श्रीमती सावित्री निगम : श्री कोल्ला वेंकैया : श्री विश्वनाथ पाण्डेय : श्री वासुदेवन नायर : श्री जं० ब० सिंह बिष्ट : श्री वारियर : श्री रा० बरुग्रा : श्री हेम बरुग्रा : श्री श्रीनारायण दास : श्री हरि विष्णु कामत : श्री यशपाल सिंह : श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : श्री बागड़ी : श्री हुकम चन्द कछवाय : श्री रामसेवक यादव : श्री ओंकार लाल बरवा : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्री बड़े : श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्री प्र० चं० बरुग्रा : डा० राम मनोहर लोहिया : श्री भागवत झा आजाद : श्री मधु लिमये : श्री स० चं० सामन्त : श्री उटिया :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 27 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 72 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में पाटस्कर आयोग द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी)
(क) और (ख) जी नहीं, विषय अभी तक सरकार के विचाराधीन है ।

Attack on the Guard of a Central Minister

120. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1101 on the 3rd August, 1966 regarding attack on Minister's gunman and state:

(a) whether the Delhi Administration have since taken a decision regarding the assistance to be given to his family;

(b) whether the case has been finally decided by the Court; and

(c) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c) The case was committed to the Court of Sessions on 28th September, 1966. Grant of financial assistance to the constable will be considered after the case in the Court has been decided.

Financial Position of Punjab and Haryana

121. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:
Shri Gulshan:
Shri P. H. Bheel:
Shri Dighe:
Shri Vishwanath Pandey:
Shri Basumatari:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 214 on the 3rd August, 1966, and state:

(a) whether the report of the Committee constituted to assess the financial position of Punjab and Haryana has since been received;

(b) if so, the broad details thereof; and

(c) if not, further time likely to be taken?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) The Committee submitted its Report to the Government of Punjab and copies thereof have been received from the State Government.

(b) In accordance with its terms of reference, the Committee has made an examination of the various types of assets and liabilities of the State of Punjab and has indicated the manner in which they might be allocated among the successor States. The Committee has also made an estimate of the likely financial position of the States of Haryana and Punjab with particular reference to their revenue account. Their assessment is that the State of Punjab is likely to have a revenue surplus of Rs. 15·69 crores and the State of Haryana, Rs. 2·81 crores after taking into account both Plan and non-Plan expenditure and grants from the Centre, on the basis of the Budget Estimates of the pre-reorganised Punjab State for the current year. The Committee has also made an assessment of the resources likely to be available to the two States for the Fourth Five Year Plan.

(c) Does not arise.

पश्चिमी बंगाल में कालेजों के प्राध्यापकों के वेतन-क्रम

122. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में कालेजों के प्राध्यापकों के लिए नये वेतन-क्रमों के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के संबंध में क्या स्थिति है ; और

(ख) पश्चिमी बंगाल सरकार यदि केन्द्रीय सरकार के निर्णय का पालन करने के लिए सहमत हो गई है तो उसकी क्रियान्विति में अब कौन सी कठिनाई सामने आ रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने उन नये वेतन-मानों को लागू करने की क्रियाविधि के संबंध में प्रस्ताव भेज दिये हैं जिन पर सितम्बर, 1966 के अन्तिम सप्ताह में पश्चिम बंगाल सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधियों के बीच विचार-विमर्श हुआ था । प्रस्तावों को अब अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

दत्त केन्द्रीय कजोरा कोयला खान

123. **श्रीमती रेणुचक्रवर्ती** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री 27 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 410 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दत्त केन्द्रीय कजोरा कोयला खान के प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कानूनी कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) कोयला खान बोनस योजना, 1948 के अन्तर्गत मार्च 1965 को समाप्त होने वाली तिमाही से सितम्बर 1965 तक बोनस न देने के कारण नियोजक पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी गई है। दिसम्बर, 1965 और मार्च, 1966 को समाप्त होने वाली तिमाहियों के बोनस की गैर-अदायगी के लिए अभियोजन प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Car thefts in Delhi

124. **Shrimati Savitri Nigam:**
Shri Bagri:
Shri Yashpal Singh
Shri Ram Sewak Yadav:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of cars stolen in the Capital during the last six months;

(b) the number of cars recovered so far; and

(c) the number of cases in which the culprits were apprehended?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) 50 cars were stolen in Delhi during the last six months, i.e. **from 1st April, 1966 to 30th September, 1966.**

(b) 36.

(c) 14.

तरल इंधन

125. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 31 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 754 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने के लिए खम्भात तेल क्षेत्र तथा देश के अन्य तेल शोधक कारखानों से तरल ईंधन तथा गैस की सप्लाई करने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या किसी नगरपालिका बोर्ड अथवा निगम ने इस गैस को वितरित करने की सुविधाएं मांगी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) घरेलू ईंधन के लिए उपयुक्त खम्भात गैस क्षेत्र से किसी तरल ईंधन को न तो बनाया गया है न बनाने का प्रस्ताव है। उस क्षेत्र से गैस को घरेलू ईंधन के तौर पर सप्लाई करने का कोई आयोजन नहीं है क्योंकि इस की सारी गैस धुवारन विद्युत केन्द्र के लिए निर्धारित है।

बम्बई, विशाखापत्तनम और बरौनी में स्थित शोधनशालाएं तरलीकृत पैट्रोलियम गैस (एल० पी० जी०) का उत्पादन कर रही हैं ; जो घरेलू ईंधन और दूसरे उद्देश्यों के लिए सप्लाई की जाती है। यह आयोजित है कि तरलीकृत पैट्रोलियम गैस का उत्पादन गोहाटी, कोयाली और कोचीन शोधनशालाओं और अब निर्माणाधीन/आयोजनाधीन शोधनशालाओं में हो।

(ख) कैम्बे गैस को नगर में वितरण करने की कैम्बे नगर पालिका की इच्छा थी।

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने कैप-मुख पर गैस की सप्लाई की पेशकश की थी यदि नगर-पालिका परिवहन और वितरण की व्यवस्था करे। इसके पश्चात् मामले में प्रगति नहीं हुई है।

मिट्टी के तेल के पम्प लगाना

126. **श्री वी० चं० शर्मा** :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास, कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली में मिट्टी के तेल के पम्प लगाने का प्रस्ताव है, जो भारतीय तेल निगम द्वारा चलाये जायेंगे, ताकि लोगों को कम से कम समय में मिट्टी का तेल मिल सके।

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके कब तक कार्यान्वित हो जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (ग) इंडियन आयल कारपोरेशन का विचार है कि प्रायोगिक रूप में कुछ नगरों में मिट्टी के तेल के वितरण के लिए कुछ पम्प लगाये जायें जिन का संचालन विभाग द्वारा ही हो। इस प्रकार का एक-एक पम्प दिल्ली और कलकत्ता में शीघ्र ही लगाया जायगा। अन्य नगरों में ऐसे मिट्टी के तेल के पम्पों के लिए उपयुक्त स्थानों के खोजने और अर्जित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

कर्मचारी भविष्य-निधि में अंशदान

127. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन उद्योगों में, जहां अभी तक भविष्य निधि अंशदान की दरें कम हैं, वर्तमान दरों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या ऐसा भी कोई प्रस्ताव है कि दर को आठ प्रतिशत से अधिक कर दिया जाये ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां। इस समय 33 और उद्योगों में अंशदान की दर बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) एक सूची संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 7170/66]**

(ग) श्रमिकों को 8 प्रतिशत से अधिक स्वेच्छिक अंशदान देने की इजाजत देने सम्बन्धी एक प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

अशोधित तेल को लाने ले जाने का खर्च

128. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा खरीदारों के बीच हुए करार की धारा 9 के अन्तर्गत, अशोधित तेल के लाने ले जाने का खर्च करार की समाप्ति पर खरीदारों द्वारा किये गये वास्तविक खर्च के अनुसार समायोजित किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या अगस्त, 1964 में करार की समाप्ति पर, लाने-ले जाने के खर्च का पुनरीक्षण किया गया था ;

(ग) क्या मूल करार की अवधि इस बीच अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी गयी है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो करार के अनुसार समायोजन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन): (क) एस्सो स्टैण्डर्ड रिफाइनिंग कम्पनी के साथ हुए करार की धारा 9 और बर्मा शैल आयल सप्लाई स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी के साथ हुए करार की धारा आई के अन्तर्गत सप्लाई किये गये अशोधित तेल के लाने-ले जाने का खर्च आयोग द्वारा तैयार किये मासिक विक्रय बिलों से काटा जाता था। ये कटौतियां अस्थाई थीं और वास्तविक बेशी या कमी को ठेके की समाप्ति पर विक्रेता और खरीदार के बीच तय करना था।

(ख) और (ग). उपर्युक्त करारों की धाराओं 16 एवं 'पी' के अन्तर्गत 15-6-62

के दोनों करार 15–2–1962 से लागू किये गये, और प्रारम्भ में चालू तारीख से $2\frac{1}{2}$ साल की निश्चित अवधि तक के थे तथा तब तक समाप्त नहीं होते जब तक उसी अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को तीन महीनों का नोटिस नहीं दिया जाता। इस के बाद करार अनिश्चित काल के लिए लागू रहते। इस अवधि के बाद भी कोई एक पार्टी,जो ठेके को समाप्त करने का विचार रखने, तीन महीने पहले नोटिस देने के बाद ठेके को समाप्त कर सकती थी। 9 डी और आई '4' के अनुसार केवल ठेके की समाप्ति पर ही वास्तविक बेशी या कटौती का निर्णय होता था। करार अभी भी लागू हैं।

एस्सो और बर्मा शैल शोधनशालाओं द्वारा किये गये वास्तविक व्यय के पुनरीक्षण को हाथ में लिया गया है और इन दोनों कम्पनियों द्वारा भेजे गये आंकड़ों के आधार पर तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अस्थाई लौटाई जाने वाली धनराशि को मांगा है; जिस में से अधिकांश प्राप्त हो चुकी है। यह पुनरीक्षण ठेके की पहली अवधि अर्थात 14–8–1964 तक ही नहीं है किन्तु इसमें आज तक के तथ्यों और आयोग को वापिस की जाने वाली धनराशि को भी ध्यान में रखा गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल के कालेजों में प्रोफसरों की कमी

129. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **शिक्षा** मंत्री 27 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 398 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कालेजों में प्राफेसरों की कमी को इस बीच दूर कर दिया गया है ;

(ख) अर्हताप्राप्त तथा उचित स्कल अध्यापकों का सरकारी कालेजों में तबादला करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) प्रत्येक सरकारी कालेज में इस समय कितने प्रोफेसर हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में अतिरिक्त विश्वविद्यालय

130. **श्री अ० व० राघवन :** **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री वासुदेवन नायर : **श्री वारियर :**

क्या **शिक्षा** मंत्री 3 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1128 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केरल के एक विश्वविद्यालय केन्द्र को विश्व-विद्यालय बनाने के मामले में शिक्षा आयोग की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) दूसरा विश्वविद्यालय कब तक स्थापित हो जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा आयोग की सिफारिशों की आमतौर पर जांच करने के लिए उप-कुलपतियों और शिक्षाविदों का एक दल नियुक्त कर रहा है, फिर इस दल के विचार प्राप्त होने पर, वह इस विषय पर आगे विचार करेगा।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नागाओं/मिजो लोगों द्वारा सीमा पार कर बर्मा में प्रवेश

131. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री फिरोडिया :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागाओं और मिजों लोगों ने अभी हाल बहुत बड़ी संख्या में सीमा पार कर पाकिस्तान और बर्मा में प्रवेश किया है ;

(ख) क्या बर्मा सरकार ने बड़ी संख्या में ऐसे नागा और मिजो लोगों को भारत को लौटाया है जो हाल ही में उस देश में घुस गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने सीमा पार उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए कुछ कदम उठाये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) कुछ नागाओं और मिजो लोग अभी हाल ही में पूर्वी पाकिस्तान चले गए। कुछ मिजों लोगों ने मिज़ो नेशनल फ्रंट के विद्रोह के बाद बर्मा में शरण ग्रहण की है।

(ख) बर्मा सरकार ने बहुत से ऐसे मिजो लोगों को लौटाया है, जो उस देश में घुस गए थे।

(ग) जी हां।

Delhi Metropolitan Council

132. **Shri Naval Prabhakar:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the draft rules of the Delhi Metropolitan Council have been framed;

(b) whether it is a fact that the Executive Councillors have expressed their disagreement with these draft rules; and

(c) if so, the reaction of the Central Government in regard thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Under section 24(2) of the Delhi Administration Act, 1966, until the rules for regulating its procedure and conduct of business are made by the Metropolitan Council, the procedure and conduct of business of that body is to be regulated by rules made by the Administrator in that behalf. The Administrator has made the necessary rules and these were published in Part IV of the Delhi Gazette dated the 26th September, 1966.

(b) No.

(c) Does not arise.

Car Lifters

133. Shri Naval Prabhakar:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether an inter-State gang of car lifters has been unearthed in Delhi;

(b) if so, the number of persons arrested so far in this connection; and

(c) whether an ex-Police Constable was also among them?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) five.

(c) Yes, Sir.

कृत्रिम वर्षा

134. डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सै० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वैज्ञानिकों का एक दल, पिछले दस वर्षों से कृत्रिम वर्षा करने के बारे में योजनाबद्ध तरीके खोज कर रहे हैं;

(ख) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में वर्षा तथा बादल भौतिक विज्ञान यूनिट की कब स्थापना की गई थी ; और

(ग) भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अब तक की गई खोज की प्रगति क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) बादल-भौतिकी पर योजनाबद्ध तरीके से खोज की गई है और कृत्रिम वर्षा करने के लिए कुछ खोज भी की गई है ।

(ख) जनवरी, 1955 में ।

(ग) दिल्ली, आगरा, जयपुर और केरल के मुन्नर में सीमित संख्या में किये गये परीक्षण उत्साहवर्धक रहे हैं, किन्तु वे किसी भी प्रकार से निर्णायक नहीं हैं ।

हैदराबाद के निजाम की सम्पत्ति

135. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 27 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 74 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकार ने हैदराबाद के निजाम की सम्पत्ति के सम्बन्ध में हैदराबाद नगर निगम को 42.79 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) मामला अभी तक भारत सरकार के विचाराधीन है।

मिहिर सेन द्वारा दरेदानियाल जलडमरूमध्य को तैर कर पार करना

136. **श्री मौर्य :**
श्री बागड़ी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विभूति मिश्र :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1966 में श्री मिहिर सेन ने दरेदानियाल जलडमरूमध्य को तैर कर सफलतापूर्वक पार कर लिया था ;

(ख) क्या सरकार का, उसके उक्त साहसिक कार्य के लिए, उसे उचित पुरस्कार देने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस साहसिक कार्य के लिए कोई नकद पुरस्कार मंजूर किया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) विषय विचाराधीन है ।

(ग) श्री मिहिर सेन को इस मंत्रालय द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान दी गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है :—

(1) जिब्राल्टर दरेंदानियाल और बोसफोरस जलडमरू मध्यों को पार करने के लिए— 10,000 रुपये ।

(2) पानामा नहर पार करने के लिए 3,000 रुपये ।

उपर्युक्त रकमों के अतिरिक्त प्रधान मंत्री ने भी अपनी विवेकाधीन निधि में से 5,000 रुपये दिये हैं।

प्रयुक्त स्नेहक-तेल को पुनः प्रयोग करने योग्य बनाना

137. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री ब० कु० दास :
डा० म० मो० दास :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पैट्रोलियम संस्थान, देहरादून ने एक ऐसी प्रक्रिया विकसित की है जिससे प्रयुक्त स्नेहक-तेलों का 80 प्रतिशत अंश फिर प्रयोग करने योग्य बनाया जा सकेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रक्रिया का पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए एक विशेष सन्यन्त्र स्थापित करने का विचार कर रही है ; और

(ग) इससे स्नेहक-तेल के आयात किये जाने की सम्भावना किस सीमा तक कम हो जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां। भारतीय पैट्रोलियम संस्थान, देहरादून ने प्रयुक्त हो चुके स्नेहक-तेलों को 80 प्रतिशत की सामान्य वसूली के साथ फिरसे प्रयोग करने योग्य बनाने का तरीका खोज निकाला है।

(ख) इस प्रयोजन के लिए अभी सरकार द्वारा प्रायोजित कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। किन्तु, कुछ निजी उद्यमकर्त्ताओं ने संस्थान से इस प्रक्रिया को काम में लाने की पेश-कश की है।

(ग) बड़े पैमाने पर उत्पादन होने पर कुछ हद तक तेल का आयात कम किया जा सकता है।

वैज्ञानिकों का स्वदेश छोड़कर बाहर जाना

138. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
डा० म० मो० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ब० कु० दास :
श्री भागवत झा आजाद
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन के साइन्स फाउन्डेशन के निदेशक, श्री मौरिस गोल्डस्मिथ ने भारत की अपनी अल्पकालीन हाल की यात्रा के दौरान यह वक्तव्य दिया था कि वह इस आशय की भारतीय सरकारी विचारधारा से सहमत नहीं हैं कि लोकतन्त्र में देश के वैज्ञानिकों को अन्य देशों में जाने से नहीं रोका जा सकता ;

(ख) क्या श्री गोल्डस्मिथ ने इस आशय के कोई सक्रिय सुझाव दिये हैं कि इस देश के वैज्ञानिकों में बाहर जाने की प्रवृति को किस तरह रोका जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या वे सुझाव सरकार को मान्य हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) अखबारों में ऐसी खबर छपी थी कि श्री मौरिस गोल्डस्मिथ ने ऐसा वक्तव्य दिया था।

(ख) यद्यपि श्री गोल्डस्मिथ के व्यक्तिगत विचार और धारणाएं 16 सितम्बर, 1966 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में उनके नाम से प्रकाशित लेख में दिए गए हैं, उन्होंने सरकार के विचारार्थ कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आसाम–नागालैंड सीमा

139. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : श्री ओंकार लाल बरवा :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : श्री बड़े :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम तथा नागालैंड के बीच सीमा विवाद है तथा आसाम की कई हज़ार एकड़ भूमि पर नागाओं ने बलपूर्वक कब्जा किया हुआ है ;

(ख) क्या सम्बन्धित राज्य सरकारों न इस मामले में केन्द्र से हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) आसाम तथा नागा लैंड के बीच सीमा की स्थिति वही है जो मैंने लोक सभा में 16 मार्च, 1966 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2207 के उत्तर में बताई थी । सरकार के पास आसाम की कई हज़ार एकड़ भूमि पर नागाओं के बलपूर्वक कब्ज़ा करने के बारे में कोई सूचना नहीं है । इस बारे में जांच की जा रही है ।

(ख) नागालैंड के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री का ध्यान इस मामले की ओर आकृष्ट करने तथा एक सीमा आयोग की नियुक्ति का सुझाव देते हुए उन्हें लिखा है ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

खासी युवकों द्वारा सीमा पार कर पाकिस्तान जाना

140. **श्री ब० कु० दास : श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
डा० म० मो० दास : श्री हरि विष्णु कामत :
श्री भागवत झा आजाद : श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी : श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री सुबोध हंसदा : श्री श्रीनारायण दास :
श्री विश्वनाथ राय : श्री उटिया :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : श्री किशन पटनायक :
श्री हेम बरुआ : श्री मधु लिमये :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम सरकार से कोई पत्र मिला है जिसमें बताया गया है कि खासी युवक भारी संख्या में एक चीनी अधिकारी के अधीन छापामार लड़ाई का प्रशिक्षण पाने के लिये भारत–पाक सीमा को पार कर पाकिस्तान चले गये हैं;

(ख) क्या इस मामले की पूरी जांच-पड़ताल की गयी है;

(ग) यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या निकला; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां । आसाम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उन्हें अपुष्ट सूचना प्राप्त हुई है कि पाकिस्तान में एक चीनी अधिकारी के अधीन छापामार लड़ाई का प्रशिक्षण पाने के लिये खासी युवक भारी संख्या में भारत-पाकिस्तान सीमा को पार कर गये हैं ।

(ख) तथ्यों की परीक्षा करने के लिये जांच की जा रही है, किन्तु अभी तक वह पूरी नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) सीमा-सुरक्षा को मजबूत करने के लिये कदम उठाये गये हैं । खासी युवकों के पाकिस्तान जाने और उन युवकों की गतिविधियों को रोकने के लिये भी भारत सुरक्षा नियमों के अधीन कार्यवाही की गई है जिन पर छापामार लड़ाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटने का सन्देह है ।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित सूक्ष्म तरंग उपकरण

141. **श्री वासप्पा : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज का डाक तथा तार विभाग को 7 के० एम० सी० का सूक्ष्म तरंग उपकरण देने की नयी योजना सफल हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस उपकरण के क्या लाभ हैं ?

ससद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां ।

(ख) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज द्वारा तैयार किये गये उप कर की काम और मूल्य की दृष्टि से आयातित उपस्कर से तुलना की जा सकती है । इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज में उपस्कर तैयार करने का मुख्य लाभ यह है कि उससे विदेशी मुद्रा में काफी बचत होती है । इसके आधार पर उन विस्तार योजनाओं को, जिनमें इस उपस्कर का इस्तेमाल किया जायेगा, विदेशी मुद्रा की निर्धारित सीमा के अन्तर्गत शामिल किया जा सकता है ।

महाराष्ट्र में भाषायी अल्पसंख्यक

142. **श्री वासप्पा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र राज्य और विशेषकर मैसूर-महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में भाषायी अल्पसंख्यकों की दशा सुधारने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): बहुत-सी शिकायतें, जो महाराष्ट्र के भाषायी अल्पसंख्यकों से प्राप्त हुई थीं, राज्य सरकार को उनके विचार जानने के लिये भेजी गई हैं । भाषायी अल्पसंख्यकों के उप आयुक्त ने सितम्बर, १९६५ में स्वयं शोलापुर का और इस वर्ष के दौरान सांगली तथा कोल्हापुर का दौरा किया । उनके दौरे की टिप्पणियां आवश्यक कार्यवाही के लिये राज्य सरकार को भेज दी गई थीं ।

प्रत्येक जिले में केन्द्रीय स्कूल

143. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रत्येक जिले में एक एक केन्द्रीय स्कूल खोलने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो ये स्कूल कब तक खोले जायेंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) ये योजनाएं निम्नलिखित तीन श्रेणियों में आती हैं:—

(1) "**केन्द्रीय विद्यालय (केन्द्रीय स्कूल)**" : इनमें एक समान पद्धति के द्वारा शैक्षिक सुविधाओं और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अखिल भारतीय उच्च माध्यमिक परीक्षा तक की शिक्षा देने की व्यवस्था है । इस योजना के अन्तर्गत लगभग 124 स्कूल खोलने का विचार है । आशा है कि यह लक्ष्य 1967–68 के दौरान पूरा हो जायेगा । अब तक 104 स्कूल खोले गये हैं ।

(2) निजी प्रबन्धकों अथवा राज्य सरकारों द्वारा चलाये जाने वाले ऐसे स्कलों को, जो उपर्युक्त (1) में दी गई केन्द्रीय स्कूलों की पद्धति से मेल खाते हों उदारता-पूर्वक सहायता देने की व्यवस्था। इस योजना के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं ।

(3) केन्द्रीय सहायता से और अधिक विकसित किये जाने वाले अच्छे स्कूलों में मेधावी बच्चों के लिये ज्यादा अच्छी शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था । देश के प्रत्येक जिले में ऐसा एक-एक स्कूल खोलने का विचार है, बशर्ते कि उसके लिये आवश्यक पैसा मिल जाये । योजना के ब्योरे तैयार किये जा रहे हैं ।

जवाहरलाल नेहरू पर यूनेस्को गोष्ठी

144. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री हेम बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री बासप्पा :
श्री उटिया :
श्री मधु लिमये :
श्री दे० द० पुरी :
श्री नाथ पाई :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधुनिक संसार में जवाहरलाल नेहरू के योगदान पर यूनेस्को और भारत सरकार दोनों के तत्वावधान में भारत में एक अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी हुई थी;

(ख) गोष्ठी में भाग लेने वाले भारतीयों का चयन किसने तथा किस आधार पर किया गया था; और

(ग) क्या इस प्रकार की अधिक गोष्ठियां करने तथा उनकी कार्यवाही को प्रकशित करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां । आधुनिक विश्व में जवाहरलाल नेहरू के योगदान के सम्बन्ध में एक अन्तर्राष्ट्रीय गोल मेज का आयोजन यूनेस्को द्वारा भारत सरकार के सहयोग से 26 सितम्बर से 29 सितम्बर, 1966 तक नई दिल्ली में किया गया था ।

(ख) भारत से भाग लेने वालों का चयन यूनेस्को और भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था । उनका चयन विषय की चर्चा में भाग लेने की उनकी सामान्य क्षमता के आधार पर किया गया था ।

(ग) यह विषय यूनेस्को के विचाराधीन है ।

होम गार्ड

145. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सीमान्त राज्यों में, विशेषतया राजस्थान राज्य में संगठित होम गार्डों के संगठन में सुधार करने तथा मनोबल ऊंचा उठाने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किये गये हैं; और

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है कि सभी होम गार्डों को शस्त्र तथा वर्दियां उपलब्ध कराई जायें और भुगतान की बकाया राशि जमा न होने दी जाये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० श० नास्कर) : (क) सीमावर्ती राज्यों में ऐसे होम गार्डों की एक विशेष शाखा स्थापित करने के बारे में एक प्रस्ताव विचाराधीन है जिन्हें अधिक गहन प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा विशेष रूप से सज्जित किया जायगा ।

(ख) जब होम गार्डों को प्रशिक्षण और ड्यूटी पर बुलाया जाता है तब उन्हें शस्त्र तथा वर्दियां उपलब्ध कराई जाती हैं । सरकार के सामने कोई ऐसा मामला नहीं आया जिसमें भुगतान की बकाया राशि जमा हो गई हो । फिर भी इस मामले की ओर राज्य सरकारों का ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है क्योंकि भुगतान उनके द्वारा किया जाता है ।

मुख्य कल्याण अधिकारी का पद

146. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में चयन के लिए सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सात अधिकारियों की एक तालिका बनाई है;

(ख) क्या इस तालिका को तैयार करने में किन्हीं विशेष कल्याण अर्हताओं को ध्यान में रखा गया था अथवा अधिकारियों का चयन केवल इस सेवा में वरिष्ठता के आधार पर किया गया था; और

(ग) मुख्य कल्याण अधिकारी के पद के लिए यदि कोई अर्हताएं निर्धारित की गई हैं, तो वे क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) यह पद भारत सरकार के अधीन उप सचिव तथा उससे ऊपर के वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति की योजना के अन्तर्गत आता है । अतः कोई अर्हताएं निर्धारित नहीं की गई हैं; किन्तु इस बात का सदैव ध्यान रखा जाता है कि व्यक्ति पद के लिये उपयुक्त हो ।

नेफ्था का उत्पादन

147. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम के प्रधान ने यह घोषणा की है कि समुचित आयोजना और समन्वय के साथ काम करने पर, भारतीय तेल-शोधन कारखाने नेफ्था की न केवल देश में उर्वरक उद्योग की सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ होंगे, बल्कि उसका निर्यात भी किया जा सकेगा;

(ख) इस पदार्थ का वर्तमान कुल उत्पादन कितना है; और

(ग) जब उक्त तेल-शोधक कारखाने पूर्ण क्षमता से कार्य करने लगेंगे तो उस समय इनसे कुल कितने अनुमानित उत्पादन की आशा की जाती है और क्या इसके निर्यात की भी कोई सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) प्रेस सम्मेलन में एक प्रश्न के उत्तर में इंडियन आयल कारपोरेशन के चेयरमैन ने कहा था कि सही योजना एवं समन्वय से देश में उर्वरक उद्योग की नेफ्था की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। इस समय नेफ्था फालतू है और निर्यात किया जा रहा है।

(ख) नेफ्था का वर्तमान उत्पादन मोटर स्पिरिट की निर्यात संभावनाओं पर निर्भर है। चालू वर्ष में भारत में लगभग 7,60,000 मीटरी टन मोटर स्पिरिट/नेफ्था के फालतू हो जाने का अनुमान है।

(ग) मोटर स्पिरिट/नेफ्था का उत्पादन तेल-शोधन कारखानों में कच्चे तेल की खपत पर निर्भर करेगा। मोटर स्पिरिट/नेफ्था का कम से कम 1968 तक और सम्भव है बाद में भी निर्यात होता रहे जो उर्वरक कारखानों/पैट्रो-कैमिकल यूनिटों की मांग बढ़ने पर निर्भर करेगा।

मिट्टी के तेल के खाली टीन

148. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री यशपाल सिंह :
डा० रानेन सेन :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिट्टी के तेल का खाली टीन जो पहले एक रुपये का आता था, अब तीन, चार रुपये का बिक रहा है और राशन की दुकानों वाले, विशेषकर दिल्ली में, अधिक मूल्य लेने के लिए आग्रह करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) एक व्यापारी को कम्पनियों से प्राप्त 18.5 लिटर टीन में बन्द मिट्टी के तेल को बेचते समय खुले मूल्य से 2.56 रुपये अधिक अर्थात् 18.5 लिटर टीन का जो अधिकृत वर्तमान अन्तर है, लेने का हक है; और ऐसी बन्द सप्लाई के बारे में जो व्यापारियों द्वारा प्राप्त हुई है, सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली है ।

उसी शक्ल और आकार का खाली टीन मिट्टी के तेल के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों को रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ऐसे खाली टीनों के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Delhi Affairs Wing in the Ministry of Home Affairs

149. Shri Yashpal Singh:
Shri Naval Prabhakar:
Shri Bagri:
Shri Ram Sewak Yadav:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Chief Executive Councillor of Delhi has requested Government to set up a special Central wing for Delhi Affairs in the Ministry of Home Affairs; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shuka): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

ट्राम्बे कारखाने में जमा हो गया उर्वरक

150. श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्राम्बे उर्वरक कारखाने में यूरिया (उर्वरक) की दो महीने की सप्लाई जमा हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सिनेमा के गन्दे पोस्टर

151. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० म० मो० दास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता तथा अन्य बड़े शहरों से सरकार को सिनेमा के गन्दे पोस्टरों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-समय सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

उर्वरक कारखाना, कानपुर

152. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में उर्वरक कारखाना स्थापित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस परियोजना को कार्यान्वित करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) कानपुर में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिये इण्डस्ट्रीज (डिवेलपमेन्ट एण्ड रेग्यूलेशन) एक्ट 1951 के अन्तर्गत मेसर्स इण्डियन एक्सप्लोसिव्ज़ लि०, कलकत्ता को एक इण्डस्ट्रियल लाइसेंन्स दिया गया है। मशीनरी एवं प्लांट के आयात के लिए उक्त कम्पनी को एक आयात लाइसेन्स भी जारी किया गया है।

(ख) इण्टरनेशनल फाइनान्स कारपोरेशन के साम्य पूंजी के शेयर तथा विदेशी मुद्रा ऋण के किये जाने वाले प्रबन्धों पर पार्टी उक्त कारपोरेशन के साथ बातचीत कर रही है।

टेलीफोन बिलों पर छूट

153. **श्री दाजी :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन 'टेलीफोन सब्सक्राइबर्स' को, जो अपने बिल समय पर चुका देते हैं, छूट देने की कोई योजना चालू की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह कब से लागू की गई है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

विदेशों से भारतीय इंजीनियरों, वैज्ञानिकों तथा चिकित्सकों को स्वदेश बुलाना

154. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्च प्रशिक्षण प्राप्त इंजीनियर, वैज्ञानिक तथा चिकित्सक भारत में नौकरियों की कमी के कारण विदेशों में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे व्यक्तियों की जो विदेशों में रह रहे हैं तथा स्वदेश लौटने को उत्सुक हैं, कोई गणना की गई है; और

(ग) उन लोगों से भारत में आने के लिये कहने तथा देश के लिये काम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) यह ठीक है कि कुछ सुयोग्य इंजीनियर, वैज्ञानिक और चिकित्सक अपनी आशाओं के अनुरूप संतोषजनक पद न पाने के कारण विदेशों में रह रहे हैं।

(ख) जी नहीं। किन्तु वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् एक राष्ट्रीय रजिस्टर रखती है, जिसमें लगभग 13,000 वैज्ञानिकों, टैक्नोलोजीविज्ञों, चिकित्सकों आदि ने अपने नाम स्वेच्छा से दर्ज कराये हैं। और कुछ समय बाद भारत लौटने की अपनी इच्छा व्यक्त की है।

(ग) प्रशिक्षण पाने वाले अथवा विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों और टैक्नोलोजीविज्ञों, इंजीनियरों, चिकित्सकों और व्यापार प्रबन्ध कर्मचारियों की वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में श्रेणीबद्ध सूचियां संकलित की जाती है और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, दोनों की 1,000 से अधिक नियोजक एजेंसियों में परिचालित की जाती हैं।

2. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् "टेक्नीकल मेनपावर बुलेटिन" नामक अपनी मासिक पत्रिका में उन व्यक्तियों का व्यौरा प्रकाशित करती है जो वापस लौटते हैं और नियुक्त किये जा सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के उपयोग में सुविधा देने के लिए बुलेटिन की लगभग 3000 प्रतियां रुचि लेने वाली संस्थाओं को मुफ्त भेजी जाती हैं।

3. नियोजकों और भर्ती करने वाले निकायों द्वारा अधिसूचित आवश्यकताओं के सन्दर्भ में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् उपयुक्त नामों की सिफारिश करती है।

4. प्रमुख समाचार-पत्रों में छपने वाले विज्ञापनों की भी वै० औ० अ० परिषद् जांच-पड़ताल करती है और जिन व्यक्तियों के नाम रजिस्टर्ड हैं उनके नामों की, उपयुक्त योग्यताओं के साथ उन विज्ञापनों के लिए विचारार्थ सिफारिश करती है। राष्ट्रीय रजिस्टर द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों के नामों पर, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, संघीय लोक सेवा आयोग और आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लोक सेवा आयोग "व्यक्तिगत सम्पर्क" उम्मीदवारों के रूप में विचार करने के लिए सहमत हो गये हैं। भारतीय उर्वरक निगम, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, हिन्दुस्तान स्टील लि०, हैवी इलैक्ट्रिकल्स, भोपाल, हिन्दुस्तान-एयर क्राफ्ट्स लि०, बंगलौर, इण्डियन रिफाइनरीज़ लि० आदि जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भी अपने यहां उपलब्ध पदों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर में से सुझाये गये उम्मीदवारों के नामों पर विचार करना स्वीकार कर लिया है।

5. विदेश से लौटने वाले सुयोग्य भारतीय वैज्ञानिकों, टैक्नोलोजीविज्ञों, चिकित्सकों और समाज शास्त्रियों तथा साथ ही भारत के उच्च शैक्षिक योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की अस्थाई नियुक्ति के लिए 1958 में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अधीन वैज्ञानिकों और टैक्नोलोजीविज्ञों का एक 'पूल' बनाया गया था।

6. विदेश से लौटने वाले भारतीय वैज्ञानिकों का जल्द से जल्द रोजगारों में लग जाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अगस्त, 1963 में निर्णय लिया था कि "सभी अनुमोदित वैज्ञानिक संस्थाओं को कुछ अधिसंख्य पद निर्मित करने के अधिकार दे दिये जाएं ताकि विदेशों में अध्ययन और कार्य करने वाले वैज्ञानिकों में से जल्द से जल्द अस्थायी नियुक्ति की जा सके"। वैज्ञानिक संस्थाओं के अलावा सार्वजनिक उपक्रमों में भी अधिसंख्य पद हो सकते हैं, विशेष रूप से अनुसंधान युनिटों में, जो ऐसे उपक्रमों में जरूरी होने पर स्थापित की जा सकती

हैं, जिससे वैज्ञानिकों की कुशलता का उपयोग किया जा सके। विदेशों में अध्ययन अथवा कार्य करने वाले व्यक्ति और वे व्यक्ति जो हाल ही में लौटे हों, चाहे वे पूल में शामिल हुए हों या नहीं, इस निर्णय के अन्तर्गत आते हैं।

7. वैज्ञानिकों और उनके परिवारों को, जिस देश में वे कार्य कर रहे हों उस देश से भारत तक के लिए, बचत श्रेणी के यात्रा-किराये तक, यात्रा-अनुदान दिया जाता है, बशर्ते कि वे देश की संस्था में तीन वर्ष की अवधि तक नौकरी करने का आश्वासन दें।

कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनक्रम

155. श्री दाजी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनक्रम के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को सभी राज्य सरकारों ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन्हें कार्यान्वित कराने के लिये भारत सरकार ने क्या कायवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). जी हां। केवल पश्चिम बंगाल सरकार ने ही अब तक बिना किसी शर्त के संशोधित वेतन-मानों को स्वीकार करने के बारे में सूचित किया है। अन्य राज्य सरकारों द्वारा योजना के अपनाये जाने की बात विचार के विभिन्न स्तरों पर है। कुछ ने योजना को सिद्धान्त रूप में मान लिया है किन्तु इसे लागू करने की प्रणाली से सम्बन्धित कोई ठोस प्रस्ताव तैयार नहीं किया है। राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है।

प्रशासनिक सुधार आयोग

156. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री रा० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री लाखन दास :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री राम हरख यादव:

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपना अन्तरिम प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) प्रतिवेदन की प्रतियां संसद् के दोनों सदनों के सभा-पटलों पर रख दी गई हैं ।

उड़ीसा की लोक लेखा समिति द्वाराविशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर विचार

157. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 10 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1839 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य की लोक लेखा समिति ने विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर इस बीच विचार कर लिया है;

(ख) क्या उस समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ग) यदि उस समिति ने अभी तक अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है तो वह कब तक अपना प्रतिवेदन दे देगी;

(घ) उड़ीसा की लोक सेवा समिति के प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखते हुए इस मामले में क्या कार्यवाही आरम्भ की गई है; और

(ङ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) :

(क) और (ख). राज्य सरकार ने सूचित किया है कि विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अभी तक उड़ीसा राज्य की लोक लेखा समिति के विचाराधीन है ।

(ग) राज्य सरकार ने इस बारे में कोई सूचना नहीं दी ।

(घ) और (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

उखरूल चौकियों पर आक्रमण

158. श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 3 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1118 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के उखरूल सब-डिवीजन की चौकियों पर किये गये आक्रमण के बारे में जांच-पड़ताल का काम इस बीच पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हताहत लोगों के निकटतम सम्बन्धियों को सहायता देने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) सभी अपराधी नागा विद्रोही हैं और उनके बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि वे अपनी छिपने की जगहों में जा छिपे हैं। मामलों का पता नहीं चला और वे अन्तिम स्थिति में लौटा दिये गये हैं और जब अपराधियों की गिरफ्तारी हो जायगी तब उनकी पहिचान के बारे में सूचना उपलब्ध होने पर उन पर दोबारा कार्यवाही शुरू की जायेगी।

(ग) घायल व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती। जैसा पहले ही 3 अगस्त, 1966 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1118 के उत्तर में बताया गया था, एक मृतक कान्स्टेबिल के परिवार को गृह मंत्री के विवेकानुदान राशि में से 2,000 रुपये की राशि दी गई थी;

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अश्लील इश्तहार

159. श्री श्रीनारायण दास :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री उमानाथ :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
डा० श्रीनिवासन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० म० मो० दास :
श्री मणियंगाडन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री पर आक्षेप लगाने वाले अश्लील इश्तहार कहां से निकाला गया, इसका पुलिस को कोई सुराग मिला है;

(ख) यदि हां, तो पुलिस द्वारा की गई छानबीन का क्या परिणाम रहा; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) अभी तक मामले की जांच की जा रही है।

(ग) अभी तक दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और एक अन्य अभियुक्त ने जिसकी गिरफ्तारी के वारंट जारी किये गये थे अपने आपको न्यायालय में पेश कर दिया।

पटना उच्च न्यायालय, रांची

160. श्री श्रीनारायण दास : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची में पटना उच्च न्यायालय का कोई स्थायी बैंच स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस स्थिति पर है; और

(ग) क्या इस बारे में बिहार सरकार ने कोई सुझाव दिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

बंकुरा में सुसुनिया पहाड़ियों के इर्द-गिर्द जीवाश्म (फासिल) अवशेषों का पाया जाना

161. **श्री श्रीनारायण दास :** **श्री क० ना० तिवारी:**
श्री विभूति मिश्र : **श्री फ० गो० सेनः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंकुरा ज़िला (पश्चिमी बंगाल) में सुसुनिया पहाड़ियों तथा गंधेश्वरी नदी घाटी के आस पास हाल में की गई पुरातत्वीय खोज के दौरान पशुओं के बहुत से जीवाश्म (फासिल) अवशेष पाये गये हैं :

(ख) यदि हां, तो इन अवशेषों का वास्तविक स्वरूप क्या है ; और

(ग) क्या यह सच है कि इन जीवाश्म अवशेषों के नमनों से, हजारों वर्ष पूर्व प्लीस्टासीन प्रणाली युग में, इस क्षेत्र की अवस्था के बारे में नया प्रकाश पड़ेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) संग्रह में स्तनपायी पशुओं की हड्डियों के टुकड़े और दांत शामिल हैं, जिन जानवरों को पहचाना जा सका है, वे हैं—बुस्स पैलेइं डिक्स, बोस नमाडिक्स, बोस स्पे० पैलेइं, ओलोक्सोडन, नामाडिक्स और नमाडिक्स का ईक्युस ।

(ग) विषय विचाराधीन है ।

विदेश जाने वाली खेल की टीमों के साथ न खेलने वाले लोग

162. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में जाने वाले खिलाड़ी दलों के साथ जाने वाले अधिकारियों अर्थात प्रबन्धक, बिना खेलने वाले कप्तान, अथवा प्रशिक्षक, इत्यादि की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है, तथा कभी-कभी तो उनकी संख्या खिलाड़ियों की संख्या के बराबर होती है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या विदेशी मुद्रा की कमी को ध्यान में रखते हुए, अखिल भारतीय खेल परिषद को इस मामले में अधिक जांच करने को कहा गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीलंका से स्वदेश लौटे भारतीय लोग

163. श्री अ० क० गोपालन : श्री दी० चं० शर्मा :
श्री उमा नाथ : डा० सारादीश राय :
श्री नम्बियार :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री 3 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1184 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-श्रीलंका करार, 1964 के अन्तर्गत श्रीलंका से भारतीय लोगों का स्वदेश आगमन आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से आरम्भ हुआ है ;

(ग) यदि नहीं, तो कब से आरम्भ होगा ;

(घ) क्या सरकार ने उनके भारत पहुंचने पर सहायता देने तथा पुनर्वास का प्रबन्ध करने की योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो उन योजनाओं को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हान): (क) से (ग) भारत श्रीलंका करार, 1964 के अन्तर्गत श्रीलंका से भारतीय लोगों का स्वदेश आगमन अभी आरम्भ नहीं हुआ है। श्रीलंका सरकार द्वारा जैसे ही इस करार को अमल में लाने के लिये आवश्यक विधान पास किया जाता है, आवेदन पत्र मांगे जायेंगे।

(घ) से (च). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले लोगों के पुनर्वास के बारे में की गई कार्यवाही।

(1) रोजगार कार्यालयों द्वारा केन्द्रीय सरकार के अधीन नियुक्तियों में श्रीलंका से लौटने वाले लोगों को अग्रता दी गई है।

(2) रोजगार कार्यालयों द्वारा नियुक्तियों में 45 वर्ष तक (अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लोगों को 50 वर्ष तक) आयु में छूट दे दी गई है।

(3) संघ, लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों में आयु तथा शुल्क की रियायतें भी मंजूर कर दी गई हैं।

(4) राजकीय क्षेत्र उपक्रमों को अनुरोध किया गया है कि वे श्रीलंका से लौटने वाले लोगों के लिये रिक्तियों की कुछ प्रतिशतता आरक्षित रखें।

(5) स्वदेश लौटने वालों के लिये रोजगार सहायता देने के लिये विशाखापटनम तथा मद्रास में विशेष रोजगार सम्पर्क अधिकारी नियुक्त कर दिये गये हैं।

(6) भारतीय चाय बोर्ड द्वारा दक्षिण भारत यूनाईटिड प्लान्टर्स ऐसोसिएशन के साथ परामर्श करके वर्तमान चाय के बागीचों में, जहां तक संभव हो, प्लान्टेशन कर्मचारियों को काम दिलाने की व्यवस्था की जा रही है।

(7) अन्दमान तथा निकोबार द्विप समूह, मद्रास तथा मैसूर राज्यों में नये प्लान्टेशन्स स्थापित करने के प्रस्तावों का निरीक्षण किया जा रहा है।

(8) यह प्रस्तावित किया गया है कि छोटे मोटे कार्य या व्यापार या व्यवसाय, गृह और व्यापार के लिये स्थान निर्माण करने के लिये ऋण देने की जो योजनायें पहले ही बर्मा से लौटे भारतीयों के लिये मंजूर की गई हैं, श्रीलंका से लौटने वाले लोगों को भी इन योजनाओं की सुविधायें प्रदान की जायें।

भारत अमरीकी शिक्षा संस्थान

164. **डा० रानेन सेन :**
श्री फिरोडिया :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सहाय पांण्डेय :
श्री कोल्ला वैंकैया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 सितम्बर, 1966 के 'पेट्रियट' में प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया है, कि 'क्रिश्चियन सायंस मानिटर' ने इस आशय का समाचार प्रकाशित किया है कि उसको सरकारी तौर पर यह पता लगा है कि भारत-अमरीकी शिक्षा संस्थान आम चुनाव के पश्चात 1967 में स्थापित किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो यह सामाचार किस हद तक सच है और इस संस्थान के बारे में वास्तविक स्थिति क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मू० क० चागला) : (क) और (ख). प्रस्तावित भारत-अमेरिका प्रतिष्ठान के विषय में भारत और अमेरिका की सरकारों के बीच संसद के पिछले अधिवेशन के बाद से कोई चर्चा अथवा पत्र-व्यवहार नहीं हुआ है और वस्तुतः यह समाचार बिना किसी आधार के है।

तेल कम्पनियों में नौकरी की सुरक्षा

165. **डा० रानेन सेन:**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी कम्पनियों में नौकरी की सुरक्षा संबंधी समिति की सिफारिशों तथा उन पर राज्यपालों के निर्णय के बावजूद भी विदेशी तेल कम्पनियां अपनी तथा-कथित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अब भी हठ कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो भारत में स्थित गैर-सरकारी तेल कम्पनियों के कर्मचारियों के लिए नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) (क) और (ख) : समिति को पहला स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाएं जारी रखने में कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि योजनाओं के प्रवर्तन में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त किया गया हो। श्रम सचिव द्वारा तेल कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ 27 अक्तूबर, 1966 को की गई बैठक में, कम्पनियों ने यह दावा किया कि उन द्वारा इस समय अपनाई गई प्रक्रिया यथार्थ रूप से समिति की सिफारिशों के अनुरूप है। इस मामले पर आगे विचार किया जा रहा है।

मिट्टी के तेल की कमी

166. **श्री मधु लिमये :**
श्री बासप्पा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री महेश्वर नायक :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :
श्री राम सेवक यादव :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री बसुमतारी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा, अनभुव की जा रही मिट्टी के तेल की कमी के बारे में समाचार प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या सरकार, पिछले 21 महीनों अर्थात, जनवरी, 1965 से अब तक सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के विभिन्न तेल शोधक कारखानों में मिट्टी के तेल, पैट्रोल और "हाई स्पीड" डीजल का मासिक उत्पादन बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेगी ;

(घ) क्या सरकार ने अगले कुछ महीनों के लिए मिट्टी के तेल का आवंटन बढ़ाने का निर्णय किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो कितना और 1965-66 (जुलाई 1966 तक) विभिन्न राज्यों को कितना मिट्टी का तेल दिया गया ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) त्रिपुरा को मिट्टी का तेल सप्लाई करने में टूट-फूट के कारण कुछ कठिनाइयों को छोड़ कर, पिछले तीन महीनों में देश में मिट्टी के तेल की कमी की कोई शिकायत नहीं हुई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जनवरी, 1965 से भारत में तेल-शोधन कारखानों में मिट्टी के तेल, मोटर स्प्रिट तथा हाई स्पीड डीजल तेल का मासिक उत्पादन बताने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 7172/66]**

सहायकों के लिये चुनाव ग्रेड (सलेक्शन ग्रेड)

167. श्री प्र० चं० बरुआ : श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद : श्री बागड़ी :
श्री स० चं० सामन्त : श्री यशपाल सिंह :
श्री सुबोध हंसदा : श्री राम सेवक यादव :

क्या गृह-कार्य मंत्री 7 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4281 के उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायकों की पदोन्नति की सम्भावनाओं के प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई संयुक्त सचिवों की समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ला) (क) से (ग) : समिति ने अभी तक अपनी सिफारिशें नहीं दी हैं। उसे आशा है कि वह शीघ्र ही अपनी सिफारिशें दे देगी।

आसाम में पाकिस्तानियों की घुसपैठ

168. श्री प्र० चं० बरुआ : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : श्री दिगे :
श्री लीलाधर कटक : श्री हरि विष्णु कामत :
श्री नी० रं० लास्कर : श्री नाथ पाई :
श्री फिरोडिया : श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री राम सहाय पांडेय : श्री हेम बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा : श्री बी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बारे में अन्तिम स्थिति क्या है, जब से वापस भेजने का कार्य शरू हुआ है कितने लोगों को वापस भेजा गया है ; और

(ख) सितम्बर, 1966 में आसाम विधान सभा में आसाम के मुख्य मंत्री के इस वक्तव्य के पश्चात कि राज्य से तोड़ फोड़ करने वाले तथा विदेशी एजेंटों को हटा दिया जाएगा, इस दिशा में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ;

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) अनुमान है कि आसाम में 2,50,000 पाकिस्तानी घुसपैठिये थे। अगस्त, 1966 के अन्त तक इनमें से 1,68,869 को निष्कासित किया जा चुका है।

(ख) राज्य सरकार तथा भारत सरकार दोनों ही मामले से पूर्णरूपेण अवगत हैं, और परिस्थिति का सामना करने के लिये सभी आवश्यक तथा सम्भव उपाय कर रही हैं।

मिजो नेशनल फ्रंट के विद्रोहियों द्वारा किये गये अपहरण

169. **श्री भागवत झा आजाद :** **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिजो नेशनल फ्रन्ट के विद्रोहियों द्वारा मिजोलैण्ड में हाल में हुए उपद्रवों के दौरान अपहृत किये गये सरकारी कर्मचारी उन के द्वारा अभी तक रिहा नहीं किये गये ;

(ख) यदि हां, तो कितने सरकारी कर्मचारियों का इस प्रकार अपहरण किया गया था ;

(ग) उनमें से कितने लोग अभी तक मिजो नेशनल फ्रन्ट द्वारा नजरबन्द किए हुए हैं ; और

(घ) क्या उन में से कुछ लोग लापता हैं और यदि हां, तो कितने ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) तक : अब तक मिजो विद्रोहियों द्वारा अपहृत कुल 89 सरकारी कर्मचारियों में से 33 अभी तक लापता हैं। यह पता नहीं कि इस समय ये लोग कहां हैं।

हल्दिया उर्वरक कारखाना

170 **श्री म० ला० द्विवेदी :** **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **डा० रानेन सेन :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री सुबोध हंसदा : **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री बागड़ी :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : **श्री राम सेवक यादव :**
डा० म० मो० दास : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 7 सितम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 842 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिलिप्स पैट्रोलियम कम्पनी ने हल्दिया, उर्वरक परियोजना के संबंध में पुनरीक्षित प्राक्कलन पेश कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (ग) : हाल ही में मैसर्ज फिलिप्स पैट्रोलियम कम्पनी से हल्दिया उर्वरक परियोजना से संबंधित एक पुनरीक्षित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। सरकार की प्रतिक्रिया बताने से पहले इस की जांच करनी होगी।

नामरूप उर्वरक परियोजना

171. श्री प्र० चं० बरुआ : श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद : श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नामरूप उर्वरक परियोजना की कितनी प्रगति हुई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : विभिन्न मदों की प्रगति निम्न प्रकार है :—

(1) सिविल रूपांकन—	पूर्ण हो गया है।
(2) कारखाने का सिविल निर्माण—	
गंधक संग्रह यार्ड	100 प्रतिशत
गंधक अम्ल संयंत्र	95 प्रतिशत
विविध संरचनाएं जैसे वर्कशाप्स/वर्क्स और ड्राइंग आफिस, नलिकाकार शैड्स, आदि . .	95 प्रतिशत
बैगिंग प्लांट	85 प्रतिशत
सल्फेट प्लांट	75 प्रतिशत
यूरिया प्लांट	53 प्रतिशत
अमोनिया प्लांट	50 प्रतिशत
यूरिया प्रिल्लिंग टावर . . .	50 प्रतिशत
(3) उपकरणों का निर्माण (विभागीय)—	
अमोनिया प्लांट	33 प्रतिशत
यूरिया प्लांट	39 प्रतिशत
सल्फ्यूरिक अम्ल प्लांट . . .	66 प्रतिशत
सल्फेट प्लांट . . .	15 प्रतिशत
(4) नदी बचाव कार्य	पूरा किया गया।
(5) रेलवे साइडिंग	गंधक पैडलूप को चालू किया गया है।
(6) उपनगर	802 क्वार्टरों में से 782 क्वार्टर पूरे हो चुके हैं।
(7) प्लांट और मशीनरी . . .	स्थल पर 90 प्रतिशत उपकरण प्राप्त हो चुका है।
(8) वाटर ट्रीटमैंट प्लांट, और . . .	(1) कच्चा पानी पम्प हाउस—90 प्रतिशत (2) ट्रीटमैण्ट प्लांट—15 प्रतिशत
(9) भाप जनन संयन्त्र . . .	मशीनरी की प्राप्ति और निर्माण प्रगति पर है।

गोहाटी तेल-शोधन कारखाना

172. **श्री प्र० चं० बरुग्रा : श्री सुबोध हंसदा :**
श्री भागवत झा ग्राजाद : श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **पेट्रोलियम ग्रौर रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोहाटी तेल-शोधन कारखाने की क्षमता बढ़ाने संबंधी योजना को ग्रन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी लागत ग्रायेगी ग्रौर उसमें कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी; ग्रौर

(ग) इसकी तेल-शोधन क्षमता में कितनी वृद्धि करने का विचार है ग्रौर क्या यह वृद्धि निर्धारित करते समय ग्रासाम के ग्रशोधित तेल के बढ़े हुए संसाधनों को ध्यान में रखा गया है ?

पेट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्री (श्री ग्रलगेसन) : (क) से (ग). गोहाटी तेल-शोधन कारखाने के विस्तार के प्रश्न ग्रौर ऐसे प्रस्ताव में भाड़े में पूरी वसूली न होना एवं विक्रय-कर का लगना जैसी ग्रन्तर्निहित वित्तीय त्रुटियों के बारे में ग्रासाम सरकार को फिर से विचार करने के लिये लिखा गया है ताकि तेल-शोधन कारखाने का वित्तीय भार हल्का हो जाये। राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा हो रही है।

दिल्ली के पूसा पोलिटेकनिक में हड़ताल

173. **श्री रामसेवक यादव :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 सितम्बर, 1966 से पूसा पोलिटेक्निक के ९०० विद्यार्थियों ने हड़ताल कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो विद्यार्थियों की मांग क्या है ; ग्रौर

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिये ग्रधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) विद्यार्थियों की मांगें थीं :—

(एक) नियमित ग्रौर ग्रनुपूरक दोनों प्रकार की परीक्षाग्रों के संचालन के लिए मानक नियम तैयार करना ग्रौर इस वर्ष एक दूसरी ग्रनुपूरक परीक्षा का ग्रायोजन करना ताकि ग्रसफल विद्यार्थियों को भी वही लाभ मिल सकें जो पहली ग्रनुपूरक परीक्षा के कुछ विद्यार्थियों को दिए गए थे।

(दो) पुस्तकालय, सार्वजनिक कमरा, केन्टीन, चिकित्सा सुविधाग्रों ग्रौर पीने के पानी की समुचित व्यवस्था।

(तीन) छात्रावास की व्यवस्था ग्रौर विद्यार्थी संघ की मंजूरी।

(ग) दूसरी ग्रनुपूरक परीक्षा की विद्यार्थियों की मुख्य मांग स्वीकार कर ली गई थी। ग्रन्य मांगों पर दिल्ली प्रशासन विचार कर रहा है।

गवर्नमेंट कालेज, कीर्तिनगर, दिल्ली

174. **श्री रामसेसक यादव :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :

क्या शिक्षा मंत्री 3 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1067 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्नमेंट कालेज, कीर्तिनगर, दिल्ली के लिये भवन बनाने के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) गवर्नमेंट कालेज, कीर्तिनगर एक सरकारी निकाय के अधीन है और राजधानी कालेज, कीर्तिनगर के नाम से विख्यात है। इस सरकारी निकाय ने इस कालेज के लिये एक भवन का निर्माण करने का निर्णय किया है और उसका इरादा सहायता के लिये दिल्ली प्रशासन/विश्वविद्यालय अनदान आयोग से निवेदन करने का है।

(ख) प्रस्तावित निर्माण-कार्य के बारे में अभी कोई ब्योरा प्राप्त नहीं हुआ है।

शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन

175. **श्री फिरोडिया :**
श्री राम सहाय पांडेय :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जून, 1966 में मद्रास में हुए शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बीच सरकार ने क्रियान्वित करने के लिये कौनसी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) सम्मेलन द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशें राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जानी हैं। ये उनको आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं और उनकी रिपोर्टों की प्रतीक्षा है।

जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है निम्नलिखित सिफारिशें मंजूर कर ली गई हैं। अन्य सिफारिशें अभी तक विचाराधीन हैं :—

(1) केन्द्र की राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा राज्यों के शिक्षा विभागों के बीच समन्वय और सहयोग को और आगे विकसित किया जाना चाहिए।

(2) आदर्श पाठ्यपुस्तकें और अनुपूरक सामग्री तैयार करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के कार्यक्रम में तेजी लानी चाहिए।

(3) आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, चौथी और उसके बाद की आयोजनाओं की जन शक्ति की आवश्यकताओं का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन किया जाए और पाठ्यक्रमों के लिए दाखिलों में उपयुक्त परिवर्तन किया जाए।

(4) शिक्षा मंत्रालय को रक्षा मंत्रालय से विचार-विमर्श करते हुए समाज सेवा के कार्यक्रमों की जांच करनी चाहिए, जिन्हें एन० सी० सी० कार्यक्रम के साथ मिलाया जा सकता है।

(5) स्कूलों में भौतिक सुविधाएं सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर सामुदायिक सहयोग प्राप्त करने हेतु मद्रास के स्कूल सुधार कार्यक्रम की पद्धति पर एक योजनाबद्ध राष्ट्रव्यापी प्रयत्न किया जाए।

पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के लिए मजूरी बोर्ड

176. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय गोदी तथा सामान्य कर्मचारी संघ ने पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड के बारे में मालिकों के प्रतिनिधि की कर्मचारियों को 3.90 रु० की अन्तरिम सहायता देने की सिफारिश पर डटे रहने के रवैये की निन्दा की है ;

(ख) क्या संघ ने देश के सब मुख्य पत्तनों के कर्मचारियों से अन्तरिम सहायता राशि बढ़ाने की मांग पर जोर देने के हेतु अनिश्चित काल तक हड़ताल करने को कहा है ; और

(ग) अन्तरिम सहायता के बारे में मजूरी बोर्ड की सिफारिशों से उत्पन्न हुए संकट को दूर करने के बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में रिपोर्टें समाचारपत्रों में छपी हैं।

(ग) 1—8—66 से दूसरी अन्तरिम सहायता मंजूर करने के लिए मजूरी बोर्ड द्वारा की गई सर्वसम्मत सिफारिशें सरकार को प्राप्त हो गई हैं और सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। इस सम्बन्ध में सरकारी संकल्प की प्रतियां सभा की मेज पर रख दी गई हैं। [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 7171/66।**]

एयरलाइन्स उद्योग में मजदूर संघों की बहुतायत

177. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयरलाइन्स उद्योग में कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों के बीच वर्तमान संघर्ष तथा विवादों का कारण काफी हद तक यह है कि वहां विमान चालकों, नेवीगेटरों, उड़ान-इंजीनियरों तथा इस उद्योग में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों के कई मजदूर संघ बने हुए हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने प्रश्न के इस पहलू पर विचार किया है और इस उद्योग में औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारने के लिए कोई योजना बनाई है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) मजदूर संघों की बहुलता, एयरलाइन्स उद्योग में संघर्ष तथा विवादों के लिए उत्तरदायी तथ्यों में से केवल एक है।

(ख) अनुशासन संहिता जो कि बहुसंख्यक यूनियन को मान्यता देती है, यूनियनों की बहुलता से उत्पन्न होने वाली बुराइयों को निरुत्साहित करने के लिए बनाई गई है। एयरलाइन्स उद्योग ने इस संहिता को स्वीकार किया है। जब कभी विवाद खड़े हों तब उन्हें सुलझाने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं।

नई अश्रु गैस

178. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कलकत्ता पुलिस को उपद्रवों के दमन के लिये आजमाइश के तौर पर सी० एस० गस का प्रयोग करने का सुझाव दिया है ;

(ख) इसके बारे में कलकत्ता पुलिस की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या कलकत्ता जसे घने बसे नगर में इस गैस का प्रयोग व्यवहार्य सिद्ध हुआ है ; और

(घ) यदि इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है, तो वह क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारत सरकार ने कुछ राज्य सरकारों को, जिनमें पश्चिमी बंगाल सरकार भी शामिल है, प्रयोग के तौर पर कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में उपद्रवी भीड़ों को तित्तर बित्तर करने के लिये सी० एस० अश्रु गैस का प्रयोग करने के लिये कहा है।

(ख) और (ग). कलकत्ता पुलिस ने अभी तक सी० एस० गैस का प्रयोग नहीं किया।

(घ) मामला विचाराधीन है।

उप-राज्यपाल की शक्तियां

179. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्यकारी परिषद् के निर्णयों के अनुसार दिल्ली के उप-राज्यपाल में क्या क्या शक्तियां निहित की गई हैं ;

(ख) उप-राज्यपाल का विधि और व्यवस्था के तंत्र और दिल्ली विकास प्राधिकार पर कहां तक प्रत्यक्ष नियंत्रण होगा ;

(ग) यदि उप-राज्यपाल की कोई स्वविवेकीय शक्तियां है, तो वे क्या हैं ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उप-राज्यपाल को कौनसी शक्तियां दी गई हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 27 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें कार्यकारी परिषद् के सम्बन्ध में उप-राज्यपाल की शक्तियों की व्यवस्था की गई है।

(ख) और (ग). अधिनियम की धारा 27(3) के अंतर्गत दिल्ली में विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये, जिसमें दिल्ली की पुलिस का संगठन तथा अनुशासन भी शामिल है, उप- राज्यपाल के लिये कार्यकारी परिषद् की सहायता तथा सलाह की आवश्यकता नहीं है।

सेवाएं, गृह तथा आवास एवं भवन विभागों से सम्बन्धित मामले, जिनमें विकास प्राधिकार भी शामिल है, अधिनियम की धारा 27(3) के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं और इन मामलों के बारे में उन्हें स्वविवेक के आधार पर कार्य करना पड़ता है। प्रशासक की अन्य स्वविवेकीय शक्तियां अधिनियम की ही धारा 27 में दी गई हैं।

(घ) वे सभी शक्तियां जो 7 सितम्बर, 1966 से पूर्व दिल्ली के मुख्यायुक्त को प्राप्त थीं अब उप-राज्यपाल को प्राप्त हैं। इसके अलावा दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अधिकतर शक्तियां तथा कार्य भी उन्हें सौंप दिये गए हैं।

उत्तर प्रदेश में तेल की खोज

180. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के जिलों में तेल की खोज के लिए छिद्रण कार्य का क्या परिणाम निकला ;

(ख) उस पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई ; और

(ग) इस कार्य के लिये कितने व्यक्ति नियोजित किये गये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में तेल की खोज के लिये कोई व्यधन कार्य नहीं किया गया।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान के घुसपैठिये

181. **श्री विश्वनाथ पांडेय :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ब० कु० दास :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 सितम्बर, 1966 को पश्चिमी बंगाल के नदिया जिला के मालिया पोटा गांव में 30 सशस्त्र पाकिस्तानी जिनके पास हथगोले और बरछे थे, भारतीय क्षेत्र में घुस आये और डाका डाला जिससे बहुत से लोग घायल हुए और काफी हद तक सम्पत्ति लूटी गयी ;

(ख) डाके में जन-धन की कितनी हानि हुई ; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). 18/19 सितम्बर, 1966 की रात को बमों और बरछों आदि से लैस 25/30 अपराधियों ने, जो पाकिस्तानी नागरिक थे, भारतीय क्षेत्र में अवैध रूप से घुस कर पश्चिम बंगाल के जिला नदिया में ग्राम-मालियापोटा के इरफान अली खान नामक एक व्यक्ति के घर में डाका डाला। अपराधी इरफान अली खान और उसके दो अवयस्क बच्चों को घायल कर के 2500/- रुपये मूल्य की चल सम्पत्ति उठा ले गए।

(ग) पाकिस्तानी सरकार से शिकायत कर दी गई है और भारतीय दंड संहिता की धारा 395/397 के अन्तर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है।

तटवर्ती क्षेत्रों में खोज

182. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० रानेन सेन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 27 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 86 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटवर्ती क्षेत्रों में तेल की संयुक्त रूप से खोज करने के बारे में विदेशी तेल कम्पनियों से इस बीच बातचीत पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (ग). एक कम्पनी के साथ बातचीत प्रगामी स्थिति तक पहुंच गई है और कुछ अन्य कम्पनियों के साथ विचार-विमर्श प्रगति पर है।

दूरवर्ती सार्वजनिक टेलीफोनों के बीच रेडियो सम्पर्क

183. श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० म० मो० दास :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरवर्ती टेलीफोन गृहों के लिये स्वचालित टेलीफोन सुविधाओं सहित 'अत्यधिक बारम्बारता' (हाई फ्रीक्वेंसी) वाले रेडियो सम्पर्क कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ;

(ख) क्या अत्यधिक बारम्बारता वाले रेडियो सम्पर्क प्रणाली विदेशी प्रविधिज्ञों के सहयोग से भारत में ही विकसित की गई है ;

(ग) यदि हां, तो आयातित प्रणालियों की तुलना में यह प्रणाली कैसी है ; और

(घ) इस दिशा में कब तक आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जायेगी ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) चौथी-पंच-वर्षीय योजना की दूसरी छमाही के दौरान अत्युच्च आवृत्ति रेडियो प्रणाली पर दूरवर्ती सार्वजनिक टेलीफोन दरों के नियमित सेवा के लिए चालू हो जाने की आशा है ।

(ख) उपस्करों का विकास डाक-तार दूरसंचार अनुसन्धान केन्द्र में किया जा रहा है। विदेशों से कोई तकनीकी सहयोग नहीं लिया जा रहा है ।

(ग) इस समय प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) उपस्कर का विकास पूरा होने के बाद इनका देश में ही निर्माण करना सम्भव हो सकेगा । जैसे ही पर्याप्त निर्माण-क्षमता स्थापित हो जाएगी आत्म-निर्भरता प्राप्त की जा सकेगी।

हिन्दी सलाहकार समिति

184. श्री स० चं० सामन्त : **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सुबोध हंसदा : **डा० म० मो० दास :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय से सम्बद्ध हिन्दी सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसरण में हिन्दी सलाहकार ने भारत सरकार में हिन्दी के कार्य के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और प्रतिवेदन कब तक उपलब्ध हो जायेगा ; और

(ग) क्या सम्बन्धित मंत्रालयों को यह कहा गया है कि वे हिन्दी सलाहकार समिति को प्रतिवेदन तैयार करने के लिए शीघ्र आवश्यक जानकारी दें ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ला): (क) और (ख) वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष की अवधि से सम्बन्धित रहेंगे और प्रत्येक वर्ष 30 जून तक तैयार कर लिये जायेंगे । 31 मार्च, 1967 तक की अवधि से सम्बन्धित पहले प्रतिवेदन के लिये सूचना एकत्रित करने के लिये कदम उठाये गये हैं।

(ग) जी हां । यह प्रतिवेदन गृह-मंत्रालय में तैयार किया जाएगा

पंजाब विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ

185. श्री उमानाथ :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब विश्वविद्यालय प्राधिकारियों ने विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में पंजाब विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के साथ बातचीत करने से इन्कार कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कर्मचारियों ने प्राधिकारियों के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिये तीन दिन प्रदर्शन किया था ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान कर्मचारियों की मांगों की ओर आकर्षित किया गया था और यदि हां, तो उनकी क्या क्या मांगें थी ; और

(घ) झगड़े को निपटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) पंजाब विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ को विश्वविद्यालय ने मान्यता नहीं दी है । किन्तु विश्वविद्यालय के प्राधिकारी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की एक तदर्थ समिति से बातचीत कर रहे हैं।

(ख) जी हां । किन्तु ऐसा मालूम हुआ है कि अधिकांश कर्मचारियों ने प्रदर्शन में भाग नहीं लिया था।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

अल्पसंख्यकों का निष्क्रमण

186. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 3 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1066 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निष्क्रमण आयोग ने अपने प्रतिवेदन में किन मुख्य बातों पर प्रकाश डाला है ; और

(ख) विस्थापित व्यक्तियों के असीम दुःखों को दूर करने के उद्देश्य से उपरोक्त प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). सरकार द्वारा प्रतिवेदन की जांच की जा रही है, अतः इसकी विषय-वस्तु को जाहिर करना लोक-हित की दृष्टि से उचित नहीं होगा ।

सिंदरी उर्वरक कारखाना

187. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंदरी उर्वरक कारखाने ने 1965–66 के लिये अपने कर्मचारियों के लिये कोई बोनस देने की घोषणा की है ;

(ख) कितने कर्मचारियों ने बोनस लेने से इंकार कर दिया है और यदि उनमें असन्तोष है तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के द्वारा अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) प्रमुख सरकारी क्षेत्र के कारखाने, सिन्दरी के प्रबन्ध में मजदूरों द्वारा भाग लिये जाने की क्या सम्भावनाएं हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रखी जायेगी ।

कृषक परिवारों का पुनर्वास

189. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री बागड़ी :

डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री 3 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1084 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषक परिवारों के पुनर्वास की योजना पर इस बीच सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका व्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हान): (क) और (ख). पूर्वी पाकिस्तान से आये नये विस्थापितों के साथ बर्मा से लौटे कृषक परिवारों को भी पूर्निया और सहरसा जिलों में सरकारी बंजर भूमि पर बसाने के बारे में बिहार सरकार योजनाओं पर विचार कर रही है। लगभग 8,732 एकड़ बंजर भूमि का सर्वेक्षण किया गया है और सिंचाई प्रदान करने के संभाव्य का निरीक्षण किया जा रहा है ।

उर्वरक कारखाने

190. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी विशेषज्ञों का कोई दल उर्वरक कारखानों के लिये उपयुक्त स्थान का चयन करने हेतु देश में सर्वेक्षण कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस दल में कोई भारतीय विशेषज्ञ भी शामिल है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख). अमरीका के कोआपरेटिव लीग के मध्यस्थता से सहकारिता क्षेत्र में एक नाइट्रोजनी एवं सम्मिश्र उर्वरक कारखाना (नों) की स्थापना के लिये अमरीका की कोआपरेटिव लीग के तीन सदस्यों का एक दल अभी स्थल पर सम्भाव्य तकनीकी-आर्थिक अध्ययन कर रहा है ।

उक्त दल ने केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों से विचार विमर्श किया और गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र गया ।

दल में कोई भारतीय विशेषज्ञ शामिल नहीं है किन्तु इस बातचीत में सम्बन्धित मंत्रालयों के अफसर सम्मिलित हैं ।

सीमा क्षेत्रों के लोगों के लिए लाइसेंस

191. **श्री दलजीत सिंह :**

श्री भी० प्र० यादव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और राजस्थान के सीमा क्षेत्रों में कितने व्यक्तियों को अब तक हथियारों के लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) क्या उनको हथियार देने की व्यवस्था कर ली गई है ; और

(ग) यदि कोई व्यवस्था नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). इस सूचना को जाहिर करना जन हित की दृष्टि से उचित नहीं होगा ।

पंजाब में पैट्रोलियम उत्पादों की खपत

192. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966 में अब तक पंजाब में पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पादों की अलग-अलग कुल कितनी खपत हुई है ; और

(ख) क्या मांग की अपेक्षा संभरण कम रहा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) अक्तूबर, 1966 के अन्त तक पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पादों की कुल अनुमानित खपत 3,76,980 मीटरी टन है ।

(ख) सप्लाई मांग के अनुसार की जा रही है इसलिये कम सप्लाई करने का प्रश्न नहीं उठता ।

पंजाब में विश्वविद्यालयों को अनुदान

193. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में विश्वविद्यालयों को दिये गये अनुदान अन्य सभी राज्यों में विश्वविद्यालयों को दिये गये अनुदानों से कम है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विकास अनुदान की अदायगी, अनुमोदित प्रायोजनाओं के कार्यान्वयन में विश्वविद्यालयों द्वारा की गई प्रगति और तुल्य अंशदान की उपलब्धता पर निर्भर करती है । कुछ विश्वविद्यालय ऐसे भी हैं जिन्हें पंजाब के विश्वविद्यालयों की अपेक्षा कम अनुदान मिले हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सड़क परिवहन उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड

194. **श्री प० कुन्हन** :
श्री इम्बीचीबावा :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़क परिवहन उद्योग के बारे में केन्द्रीय मजूरी बोर्ड ने क्या प्रगति की है ;

(ख) क्या मजूरी बोर्ड ने मज़दूर संघों तथा मालिकों की संस्थाओं को कोई प्रश्नावली भेजी है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या मज़ूरी बोर्ड कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने का विचार कर रहा है ;

(घ) यदि हां, तो सरकार को सिफारिशें कब प्राप्त होंगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) मजूरी बोर्ड 28–5–1966 को बनाया गया था । अब तक इसने तीन बैठकें की हैं ।

(ख) प्रश्नावली के मसौदे को अन्तिम रूप 21 और 22 नवम्बर, 1966 को होने वाली बोर्ड की आगामी बैठक में दिया जायेगा ।

(ग) अन्तरिम सहायता का प्रश्न बोर्ड के विचाराधीन है ।

(घ) निश्चित रूप से यह कहना संभव नहीं है कि बोर्ड अन्तरिम सहायता के बारे में अपनी सिफारिश कब तक भेज सकेगा ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा अकस्मात् हड़ताल

195. डा० मेलकोटे :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **संचार** मंत्री 27 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 451 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली के कई सौ आपरेटरों द्वारा 13 जुलाई, 1966 को की गई अकस्मात हड़ताल के कारणों की जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस हड़ताल के फलस्वरूप कुल कितनी हानि हुई है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां ।

(ख) जांच अधिकारी को यह पता चला है कि 13 जुलाई, 1966 को नई दिल्ली के केन्द्रीय तारघर में काम रोक देने की जो घटना हुई थी, वह उस तारघर की परियात तथा इंजीनियरी शाखाओं के आपसी सम्बन्ध काफी समय तक बिगड़े रहने का परिणाम था । झगड़े का तुरत कारण यह था कि सहायक मंडल तार (विद्युत) केन्द्रीय तारघर के यंत्र-कक्ष में एक मेज को फिर से वहां रखने का हठ कर रहे थे, जिसे परियात अधिकारियों ने वहां से पहले इस वजह से हटा दिया था कि उसके कारण प्रसारण स्थल पर कर्मचारियों के आने-जाने में दिक्कत होती थी। सहायक मंडल इंजीनियर ने परियात अधिकारियों को कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे थे । जांच अधिकारी का यह विचार था कि मेज हटाने की परियात अधिकारियों की कार्रवाई, जिसके कारण उक्त घटना हुई, उचित नहीं थी ।

जांच अधिकारी की रिपोर्ट महानिदेशक द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इंजीनियर तथा परियात अधिकारियों के विरुद्ध, जो कि घटना के लिए सीधे जिम्मेदार पाये गये थे, अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है ।

केन्द्रीय तारघर में इंजीनियरी तथा परियात अधिकारियों के आपसी सम्बन्धों के बारे में आवश्यक विभागीय नियम बनाए जा रहे हैं, जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाए और शक की गुंजायश न रहे। अपेक्षाकृत अधिक सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए इन अधिकारियों की नियत-कालिक बैठकें आयोजित करने के आदेश भी दे दिये गये हैं।

(ग) उस दिन लगभग छः घंटे के लिए काम बन्द हो जाने से लगभग 2800 व्यक्ति काम के घंटों की हानि हुई जो सरकार को हुई लगभग 1900 रुपये की हानि के बराबर थी।

विज्ञान और इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए सस्ती किताबें

196. **डा० मेलकोटे** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न नगरों में इंजीनियरिंग, डाक्टरी तथा विज्ञान की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को अपने पाठ्यक्रमों की अपेक्षित पुस्तकों को प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पुस्तकों की कीमतें बहुत अधिक हैं ;

(ख) क्या सरकार इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर विचार करेगी कि प्रत्येक नगर में ऐसे पुस्तकालय खोले जायें जिनमें घर जाने के लिये पुस्तकें न दी जायें और उक्त पाठ्यक्रम के लिए अपेक्षित प्रत्येक मानक पुस्तक की 50 प्रतियां वहां रखी जायें और पुस्तकालय प्रातः से लेकर रात तक खुला रहे ; और

(ग) क्या सरकार डाक्टरी, इंजीनियरिंग तथा विज्ञान पढ़ाने वाली संस्थाओं को यह परामर्श देगी कि वे अपने स्नातकोत्तर छात्रों को किताबों के पूरे सैट दें जिन्हें वे अपने अध्ययन काल में प्रयोग करें और बाद में लौटा दें और क्या सरकार इसके लिए इन संस्थाओं को अपेक्षित अतिरिक्त अनुदान देगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) सरकार इस समस्या पर विचार कर रही है।

(ख) और (ग). उचित दामों पर मानक पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिये सरकार के विचाराधीन विभिन्न उपायों के साथ साथ इन सुझावों पर भी विचार किया जायेगा।

कर्मचारी संघों को मान्यता

197. **डा० मेलकोटे** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के उन संघों को, जिनकी सदस्यता संख्या सदस्यता के पात्र कुल कर्मचारियों की 15 प्रतिशत हो, मान्यता देने के सिद्धान्त का पालन प्रतिरक्षा तथा रेलवे में एक से अधिक संघों अथवा संधानों को मान्यता देकर, किया जा रहा है ; और

(ख) क्या दूसरे विभागों के कर्मचारियों पर भी इस नीति को लागू करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां। यह मान्यता देने के सिद्धान्तों में से एक है।

(ख) मामला विचाराधीन है।

केरल में बागान श्रमिकों की हड़ताल

198. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में बागान श्रमिकों की $2\frac{1}{2}$ महीनों से चल रही हड़ताल समाप्त कराने के लिये कोई ठोस कदम उठाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). केरल के रबड़ बागनों में अब हड़ताल समाप्त हो गई है ।

सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच

199. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच विभाग ने जुलाई 1966 में 35 सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध खुली जांच की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री ((श्री हाथी) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जुलाई, 1966 के महीने में 35 राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध खुली जांच शुरू की ।

(ख) इन में से 8 अधिकारी रेलवेज से, 7 प्रतिरक्षा से, 6 वित्त से, 5 पूर्ति तथा तकनीकी विकास से, 3 संघ राज्य क्षेत्रों, दो-दो उद्योग तथा संचार और एक-एक निर्माण, आवास तथा नागरिक विकास तथा खनिज और धातु विभागों से सम्बन्धित थे । इन पर लगाए गए आरोपों में रिश्वत मांगना और स्वीकार करना, ठेकेदारों, सप्लाई करने वालों तथा अन्य लोगों के साथ नाजायज पक्षपात, सरकारी धन का गबन, अपनी आय के साधनों की तुलना में अधिक सम्पत्ति होना आदि शामिल है ।

गुरुवायुरप्पन कालेज (केरल)

200. **श्री मुहम्मद कोया :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुरुवायुरप्पन कालेज (केरल) के प्रधानाचार्य (प्रिंसिपल) को प्रबन्धकों द्वारा मुअत्तिल कर दिया गया था ;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप कुछ प्राध्यापकों के भूख हड़ताल का संकट पैदा हो गया था;

(ग) यदि हां, तो इस मामले को कैसे सुलझाया गया ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) राज्य गवर्नर के सलाहकार ने प्रबन्धकों और जनता के प्रतिनिधियों के साथ, जिसमें प्रिंसिपल भी शामिल थे, विचार-विमर्श किया था और मामले की जांच करने के लिए एक विशेष समिति नियुक्त करने का निर्णय किया गया था। प्रिंसिपल की मुअत्तिली का आदेश रद्द कर दिया गया है और समिति द्वारा जांच होने तक के लिए वह छुट्टी पर चले गये हैं। कालेज 19 सितम्बर, 1966 से फिर खुल गया है और सामान्य स्थिति स्थापित कर दी गई है।

अनाकयम (केरल) में दुर्घटना

201. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मंजेरी के निकट केरल राज्य में अनाकयम में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें 12 व्यक्ति मारे गये थे ;

(ख) क्या यह आरोप लगाया गया है कि यह दुर्घटना ठेकेदार की असावधानी के कारण हुई;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) क्या दुर्घटनाग्रस्त लोगों को कोई मुआवजा दिया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां। इसके फलस्वरूप 10 व्यक्ति मर गए।

(ख) से (घ). जी हां।

बिना लाइसेंस के रेडियो

202. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1966 से बहुत बड़ी संख्या में बिना लाइसेंस के रेडियो पकड़े गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने रेडियो पकड़े गये ;

(ग) ये रेडियो भारत में बने हुए हैं या विदेशों के बने हुए हैं ; और

(घ) क्या ये रेडियो जब्त कर लिये गये हैं या इनके लाइसेंस जारी कर दिये गये हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) अन्तिम सूचना के अनुसार 1966 की पहली छमाही के दौरान बिना लाइसेंस के 62,215 रेडियो सैट पकड़ गये थे।

(ग) इनमें देश-विदेश—दोनों में ही बने सेट शामिल हैं। उनके अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) पकड़े गये सेटों को जब्त नहीं किया जाता, बल्कि उनके मालिकों से लाइसेंस-शुल्क के अतिरिक्त एक वर्ष के शुल्क के बराबर अधिभार अदा करके, लाइसेंस लेने के लिए कहा जाता है।

यदि नोटिस देने के बाद भी लाइसेंस नहीं लिये जाते तो उनके मालिकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है ।

फ्रांस के सहयोग से तेल शोधक कारखाने

203. **श्री फ० गो० सेन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस के तेल समवायों ने भारत में तेल कारखाने स्थापित करने के अपने प्रस्तावों को वापस ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तकनीकी शिक्षा के लिए पत्राचार पाठ्य-क्रम

204. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तकनीकी शिक्षा के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम ब्यूरो स्थापित करने के प्रस्ताव में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने के लिए कौन से स्थान चुने हैं ; और

(ग) प्रस्तावित ब्यूरो कब से कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहम्मद करीम चागला) : (क) से (ग) डाक द्वारा पाठ्यक्रमों को शुरू करना चौथी आयोजना के प्रस्तावों में शामिल कर लिया गया है । योजना के कार्यान्वित करने का ठीक-ठीक तरीका अभी तय करना है ।

Second Saturday "Off" for Scavengers and Gardeners in Government Employment

205. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Bade:
Shri Vishram Prasad:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Scavengers and Gardeners in some Departments of the Central Government are not allowed to avail holiday on Second Saturdays;

(b) whether it is also a fact that these persons are not paid over-time allowance, while other class IV employees are given such facilities; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as early as possible.

2045(Ai) LSD—7.

Profiteering in sale of Copra and Betalnut in Calcutta

206. Shri Kashi Ram Gupta:
Shri Mohan Swarup:
Shri C. M. Kedaria:
Shri Vishram Prasad
Shri Nardeo Snatak:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4007 on the 20th April, 1966 and state the reasons for excessive selling prices of copra and betalnut in Calcutta?

The Minister in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): The prices of Copra and batelnut in Calcutta market are dependent on factors of supply and demand etc. The relatively small quantities of these commodities reaching Calcutta from the Islands is hardly an appreciable factor in determining the prices in Calcutta market.

Re-Imbursement of Medical Bills of P and T Department Employees

207. Shri Vishram Prasad:
Shri Kashi Ram Gupta:
Shri Mohan Swarup:
Shri C. M. Kedaria:
Shri Nardeo Snatak:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the amount disbursed during 1965-66 for payment of Medical bills presented by the P and T Department employees posted in the areas where the Central Government Health Services Scheme is not applicable;

(b) whether it has come to the notice of Government that medical re-imbursement bills in respect of P and T employees of the post offices range between 200 and 600 rupees per month per capita; and

(c) if so, the steps taken to check this practice?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao): (a) Rs. 2,94,55,448·46.

(b) and (c) Instances do come to notice from time to time of Government servants submitting medical bills for high amounts. Instructions have already been issued that whenever suspicion as to the genuineness of claims is aroused, enquiries with reference to the Special Police Establishment or the Civil Surgeon of the Station should be made. Cases of Doctors and Chemists who are suspected of indulging in irregular practices are also to be reported to the Special Police Establishment and income-tax authorities. Cases of officials suspected of indulging in fraudulent practice are also to be reported to the CBI. Besides the above measures as a preventive against abuse of medical re-imbursement facilities as also to make these facilities more readily available to the staff Departmental Dispensaries have been opened at important towns and progressively more will be opened wherever justified.

Class I and II Employees in the Education Ministry

208. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the number of Class I and Class II Gazetted officers and employees in his Ministry promoted or sent on deputation during the period from January, 1965 to August, 1966;

(b) the number of Gazetted officers re-employed after retirement; and

(c) the number of new posts created for this purpose?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Sixty.

(b) Nil.

(c) Nil.

Scheduled Castes Candidates for I.A.S., I.P.S. and I.F.S.

209. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of those Scheduled Castes candidates who qualified in the written tests for I.A.S., I.P.S. and I.F.S., year-wise during the last five years; and

(b) the number of candidates out of them who could not pass as they could not obtain pass marks in aggregate including marks for interview?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the table of the House.

Persons Arrested under D.I.R.

210. Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Kishen Pattanayak:
Shri Madhu Limaye:

Wil the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of persons at present arrested under the Defence of India Rules and detained in Delhi Jail;

(b) the number of them arrested on account of political reasons and on other reasons;

(c) whether any persons amongst them were arrested in connection with the Pakistani attack; and

(d) if so, when?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) The number of persons at present detained under D.I.R. in Delhi Jail is 13.

(b) There is no provision in D.I.R. for detention of persons for political reasons. These persons have been detained to prevent their indulging in prejudicial activities.

(c) No, Sir, but out of the above 13 persons, one was detained soon after the Pakistani attack.

(d) On 19th October 1965.

Indian Team for Asian Games

211. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the number of men in the Indian Team for Asian Games has been reduced;

(b) if so, the recommendations made in this regard by the All-India Council of Sports and the reduction in the strength of the Team made subsequently; and

(c) the conditions laid down for inclusion of the players in the Team?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) and (b) The Indian Olympic Association had originally suggested a contingent of 151 persons to be sent to Bangkok for participation in Asian Games to be held in December, 1966. The All India Council of Sports advised the IOA to consider bringing down the number of players and officials to between 80 and 100. Revised proposals received from the I.O.A. are under consideration.

(c) The relative position of our teams and the chances of their success, as compared to other Asian countries, and availability of funds and foreign exchange will be taken into account, in deciding each case.

उड़ीसा में बरहामपुर और सम्बलपुर में विश्वविद्यालय केन्द्र

212. श्री मोहन नायक :
श्री महेश्वर नायक :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको मालूम है कि उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने 1 जनवरी, 1967 से उड़ीसा राज्य में बरहामपुर और सम्बलपुर में विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित करने की अनुमति देने का वचन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ये केन्द्र केन्द्रीय सरकार की सहायता और अनुमति से स्थापित किये जा रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) राज्य सरकार को बरहामपुर और सम्बलपुर में विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित करने की सलाह दी गई थी। किन्तु केन्द्र सरकार की सलाह इसके विरुद्ध होने पर भी राज्य सरकार ने इन दोनों स्थानों पर विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कानून बनाने का निर्णय किया है ।

ग्रामीण संस्थाएं

213. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रामीण संस्थाओं की प्रगति का पुनर्विलोकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) चौथी योजना में ग्रामीण संस्थाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) ग्राम उच्चतर शिक्षा योजना का पुनर्विलोकन किया गया है और इसके निम्नलिखित परिणाम निकले हैं :—

(1) उदयपुर में ग्राम संस्था उदयपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है ।

(2) जामिश्रा ग्रामीण संस्था ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जो एक समझे गये विश्वविद्यालय के रूप में कार्य कर रहा है, विलीन होने का निर्णय किया है ।

(3) तीन ग्रामीण संस्थाओं अर्थात् (एक) गांधीग्राम ग्रामीण संस्था (जिला मदुराय) (दो) श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय ग्रामीण संस्था, कोयम्बटूर, और बी० वी० ग्रामीण संस्था बिचपुरी (आगरा) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत समझे गये विश्वविद्यालयों के रूप में घोषणा करने के प्रश्न पर सम्बन्धित संस्थाओं तथा राज्य सरकारों की सलाह से विचार किया जा रहा है ।

(4) सभी ग्रामीण संस्थाओं को उनके विकास के लिये चौथी योजना में उपयुक्त सहायता देने हेतु वित्तीय उपबन्ध किया जा रहा है ।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

214. श्री महेश्वर नायक :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ब० कु० दास :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री दे० द० पुरी :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री प्र० के० देव :
श्री कपूर सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे सुरक्षा बल की तरह एक केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बल को क्या अधिकार दिए जा रहे हैं और इस बल के अधीन कौन से उद्योग लाये जायेंगे ; और

(ग) क्या इस बल का क्षेत्राधिकार केवल सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों तक ही सीमित रहेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) 2 अगस्त, 1966 को राज्य सभा में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन तथा विनियमन करने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित किया गया था । योजना की मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) इस बल को मुख्यतः केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक उपक्रमों की सुरक्षा करने के लिये रखा जायेगा ।

(2) इस बल के सदस्यों को प्रबन्धकों की प्रार्थना पर औद्योगिक उपक्रमों में भेजा जा सकेगा ।

(3) इस बल के अधिकारियों तथा सदस्यों को उपक्रम में परिसर में अथवा इसके सम्बन्ध में किये गये अपराध में, जिसके लिये 6 महीने से अधिक समय के लिये कारावास का दण्ड दिया जा सकता हो, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने अथवा उसकी तलाशी लेने का अधिकार होगा ।

Employment Exchanges in Jammu and Kashmir

215. **Shri Rameshwaranand:** Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the total number of persons who got their names registered by June, 1966 in the Employment Exchanges in Jammu and Kashmir State and their number community-wise; and

(b) the community-wise number of those out of them who were provided employment during the above period?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Shah Nawaz Khan): (a) and (b) Available information for the period January—June, 1966 is given below:

Category of applicants.	No. registered during January June, 1966	No. placed in employment during January-June, 1966.
1	2	3
1. Scheduled Castes	985	96
2. Scheduled Tribes.	..	..
3. Others*	6,535	475
Total :	7,520	571

*Separate figures for other communities are not available.

Post Office Savings Bank Accounts

216. **Shri Mohan Swarup:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an extensive scheme is being formulated to encourage savings in Post Office Savings Bank Accounts in rural areas;

(b) if so, the broad outlines thereof; and

(c) the amount expected to be deposited in the Savings Bank after the implementation of the scheme?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao): (a) No such scheme is under consideration of the Department at present.

(b) and (c) Do not arise in view of the reply at (a) above.

एक दम्पति द्वारा आत्महत्या

217. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नजफ़गढ़ खण्ड के निवासी श्री सूरज और उस की पत्नी ने अपने दो वर्ष के पुत्र के साथ रेलवे पटरी पर आत्महत्या की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दोनों पती पत्नी बेरोजगार थे ; और

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है और यदि हां, तो इस का क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) ये पति-पत्नी गांव में भंगी नियुक्त थे ।

(ग) छानबीन के बाद स्थानीय पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उन्हों ने अपने पुत्र की लम्बी बीमारी से हताश होकर ऐसा किया था ।

त्रिपुरा में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

218. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के मुख्य मंत्री ने त्रिपुरा की विधान सभा में यह घोषणा की है कि 28 तथा 29 अगस्त, 1966 को अगरतला में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में न्यायिक जांच कराई जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच कार्य आरम्भ हो गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जांच करने के लिये एक उपयुक्त व्यक्ति का चयन किया जा रहा है ।

त्रिपुरा में मिट्टी के तेल की कमी

219. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, जुलाई और अगस्त, 1966 में त्रिपुरा में मिट्टी के तेल की भारी कमी थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जून के आखीर और जुलाई 1966 के आरम्भ में त्रिपुरा में मिट्टी के तेल की कमी की रिपोर्टें मिलीं । दूर दूर तक हुई वर्षा के फलस्वरूप लमडिंग तथा बदरपुर घाट के बीच पहाड़ी क्षेत्र में रेल पटड़ी में कई जगह भूमि-स्खलन एवं टूट-फूट के कारण रेलवे बुकिंग के काफी देर तक बन्द रहने के कारण ऐसा हुआ । बाढ़ के कारण धर्म नगर तथा अगरतला में रेल पर्यन्त के बीच की सड़क में भी टूट-फूट हुई । स्थिति में अब सुधार हो गया है ।

(ख) त्रिपुरा राज्य को पैट्रोलियम उत्पाद की सप्लाई में अग्रता दी जा रही है ।

त्रिपुरा में भारत प्रतिरक्षा नियमों का प्रयोग

220. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा सरकार ने भारतीय साम्यवादी दल (वामपक्षी), मिजो तथा नागा विद्रोहियों द्वारा सीमा पर की जा रही राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिये भारत प्रतिरक्षा नियमों का उपयोग करने की अनुमति मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) त्रिपुरा सरकार को भारत सुरक्षा नियमों के नियम 3 के द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों से छूट मिली हुई है और उन्होंने कुछ अधिकारों का प्रयोग करने के लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति या स्वीकृति पहले से लेने की आवश्यकता नहीं है। हां उन्हें इन अधिकारों का उपयोग भारत सुरक्षा अधिनियम तथा नियमों के बारे में समय-समय पर संसद् के सन्मुख दिये गये नीति सम्बन्धी वक्तव्यों के अनुसार ही करना पड़ता है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिमी जर्मनी की सहायता से पुस्तक संस्थान

221. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मनी ने भारत में तीन पुस्तक संस्थान स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कब स्थापित किये जायेंगे ; और

(ग) इस परियोजना का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) विभिन्न राज्य सरकारों, संघीय क्षेत्रों और भारत सरकार द्वारा अपेक्षित स्कूलों की पाठ्य-पुस्तकों और अन्य शैक्षिक साहित्य की छपाई के लिए पश्चिम जर्मनी की सरकार ने तीन छापेखाने उपहार स्वरूप देने का प्रस्ताव किया है । प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है और दोनों सरकारों के बीच औपचारिक करार पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जायेंगे । छापेखाने मैसूर, भुवनेश्वर और चंडीगढ़ में लगाये जायेंगे और ये प्रादेशिक आधार पर कार्य करेंगे । ये भारत सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण में रहेंगे । इन प्रेसों को लगाने के लिए स्थान, सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा मुफ्त दिये गये हैं । प्रेसों को तीन वर्ष अर्थात् 1968-69 से 1970-71 तक की अवधि के दौरान लगाने का विचार है ।

ग्रामीण शिक्षा संस्थाओं का विश्वविद्यालयों के अनुरूप समझना

222. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सुझाव दिया है कि गांधी ग्राम रूरल इन्स्टोट्यूट, मदुरै, श्री राम कृष्ण मिशन विद्यालय रूरल इन्स्टीट्यूट, कोयम्बटूर और बी० वी० रूरल इन्स्टोट्यूट बिचपुरी (आगरा) को शुरू में तीन वर्षों की अवधि के लिये विश्वविद्यालय समझा जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : जी हां । आयोग की यह भी इच्छा है कि इसकी निरीक्षण समिति द्वारा की गई सिफारिशों और खासकर स्तर बनाये रखने से संबंधित सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकारों को संबंधित संस्थानों से परामर्श करते हुए कार्रवाई की जा रही है ।

सेना डाक सेवा

223. श्री वासप्पा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम हरख यादव :
श्री दे० द० पुरी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों की सेना डाक सेवा में अनिवार्य प्रतिनियुक्ति के बारे में एक योजना पर विचार कर रही है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है;

(ख) कर्मचारियों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इसे कब लागू किया जायेगा ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां; अभी तक उसका विस्तृत ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि इस योजना को केवल भविष्य में नौकरी पाने वाले नवागंतुकों पर ही लागू किया जा सकता है ।

(ग) इसका पता केवल तभी चल सकेगा जबकि लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस मामले में अन्तिम निर्णय ले लिया जाएगा ।

उच्च न्यायालय

224. श्री मु० वि० भार्गव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के विभिन्न उच्च न्यायालयों के बेंचों की संख्या तथा नाम क्या हैं ; और

(ख) वे कब स्थापित किये गये थे और कब से कार्य कर रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) इस समय उच्च न्यायालयों के निम्नलिखित बैंच काम कर रहे हैं :—

उच्च न्यायालय का नाम	बैंच की संख्या तथा नाम	बैंच की स्थापना की तिथि तथा उसके काम शुरू करने की तिथि
इलाहाबाद उच्च न्यायालय	1 लखनऊ	19.7.1948
बम्बई का उच्च न्यायालय	1 नागपुर	1.5.1960
केरल उच्च न्यायालय	1 त्रिवेन्द्रम	12.12.1956
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय	1 इंदौर 2 ग्वालियर	1.11.1956

केन्द्रीय सरकार में नियुक्त पंजाब पदाली के भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी

225. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री 31 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3898 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन दो अधिकारियों को, जिनकी कालावधि पहिले ही बढ़ा दी गई है अब किन पदों पर लगाया गया है ;

(ख) उनकी विशेष योग्यताएं तथा सेवायें क्या हैं जिनके आधार पर उनको एक ही मंत्रालय संगठन में इतने अधिक वर्षों तक लगाये रखना न्यायसंगत था ; और

(ग) उनकी कालावधि और बढ़ाने के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) उन दो अधिकारियों में से, जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि पिछले 2–3 महीनों में समाप्त हो गई, एक की अवधि को बढ़ाने के लिये एक प्रस्ताव विचाराधीन है। दूसरे अधिकारी को शीघ्र ही उस के राज्य संवर्ग में पुर्ननियुक्ति के लिये छोड़ा जाने वाला है।

जिस अधिकारी की अवधि बढ़ाई जाने का प्रस्ताव है वह इस समय विदेशी व्यापार की भारतीय संस्था के महानिदेशक के पद पर नियुक्त है। इस पद का कार्य विशेष प्रकृति का है जिसके लिये उसे विदेशी व्यापार के अपने पुराने अनुभव के अधार पर उपयुक्त समझा जाता है।

मिजो और नागा लोगों की हिंसात्मक कार्यवाहियां

227. **श्री गुलशन :**

श्री प० ह० भील :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिजो और नागा विद्रोही पहाड़ी लोगों को डरा-धमका रहे हैं और अपने कोष के लिये जनसाधारण से धन वसूल कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन विद्रोहियों ने पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों से 1965-66 के दौरान (31 अक्तूबर, 1966 तक) कितनी धनराशि वसूल की है ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) नागा तथा मिज़ो विद्रोहियों ने कुछ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से जबर्दस्ती चंदा जमा किया है।

(ख) इन विद्रोहियों द्वारा जमा की गई ठीक ठीक राशि बताना सम्भव नहीं है क्योंकि पीड़ित व्यक्ति सदा ही अधिकारियों के पास रिपोर्ट नहीं लिखाते।

(ग) जब कभी उपयुक्त सूचना उपलब्ध होती है तब कानूनी कार्यवाही की जाती है।

पिंजौर के हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने में हड़ताल

230. **श्री गुलशन :**

श्री प० ह० भील :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पहले हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाना, पिंजौर (चंडीगढ़) के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या थीं तथा सरकार ने उनमें से कितनी मांगें स्वीकार कर ली हैं ; और

(ग) हड़ताल के कारण सरकार को कुल कितना घाटा उठाना पड़ा ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां, 27 अगस्त से 25 सितम्बर, 1966 तक।

(ख) सूचना संलग्न नोट में दी गई है।

(ग) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कार्मिक संघ द्वारा प्रस्तुत की गई कर्मचारियों की मांगे इस प्रकार थी :—

(एक) 9 मज़दूरों की बहाली।

(दो) मंहगाई भत्ते में 25 प्रतिशत वृद्धि।

(तीन) बोनस की अदायगी अधिनियम के अनुसार 15 प्रतिशत की दर से बोनस का भुगतान।

(चार) उपदान।

(पाच) दुहरा ऊपरी समय भत्ता।

(छः) बस किराये की समाप्ति।

(सात) सभी को वर्दियों के तीन जोड़े अथवा इसके स्थान पर 100 रुपये।

(आठ) साबून न देने के लिये प्रतिकर।

(नौ) ई० एस० आई योजना की समाप्ति अथवा प्रबन्धकों द्वारा भुगतान।

(दस) एक मज़दूर की बहाली।

(ग्यारह) माल न मिलने के कारण बेकार समय के लिये भुगतान पर भी बोनस देने के लिये बोनस अधिनियम में संशोधन किया जाये।

(बारह) लिपिकों का कार्यकाल $72\frac{1}{2}$ घंटों की बजाये $42\frac{1}{2}$ घंटे हो।

मजदूरों तथा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, पिंजौर के प्रबन्धकों के बीच औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत इस बीच एक समझौता हो गया है जिसकी शर्तें इस प्रकार हैं :—

(क) (दो), (छः), (नौ) और (दस) पर **मांगें** वापस ले ली गई थीं ;

(ख) (एक), पर मांग को मध्यस्थता के लिये पंजाब सरकार के श्रम विभाग के सचिव को निर्दिष्ट किया गया है।

(ग) (तीन) पर **मांग** : प्रबन्धक पिंजौर एकक के बारे में वर्ष 1964—65 के लिये सन्तुलन पत्र राज्य श्रम विभाग के सचिव के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और यदि मुनाफा सन्तुलन पत्र के अनुसार हुआ तो मजदूरों को बोनस अधिनियम के अनुसार बोनस मिलेगा।

(घ) (चार) पर **मांग** : कम्पनी के द्वारा मान ली गई।

(ङ) (पांच) पर **मांग** : यह स्वीकार किया गया कि मजदूरों को समय ऊपरी, भत्ता जब ग्राह्य होगा, कारखाना अधिनियम के अनुसार दिया जायेगा।

(च) (सात) पर **मांग** : वर्दियां पहले की तरह निर्धारित दर पर दी जायेंगी।

(छ) (आठ) पर **मांग** : प्रबन्धकों द्वारा मजदूरों के लिये साबुन तथा अन्य धुलाई सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी जैसा कि कारखाना अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में निश्चत की गई हैं।

(ज) (नौ) और (दस) पर **मांगें** : इन पर प्रबन्धकों, मजदूरों तथा राज्य सरकार की एक त्रिपक्षीय बैठक में विचार किया जायेगा।

(ग) लगभग 24 लाख रूपये।

भूतपूर्व पंजाब के तीन एककों में सामान्य सम्पर्क

231. श्री गुलशन :
श्री प० ह० भील :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को राजनैतिक दलों अथवा संस्थाओं से पंजाब और हरियाना के बीच प्रस्तावित सामान्य सम्पर्क के विरुद्ध अब तक कितनी याचिकायें अथवा संकल्प प्राप्त हुए हैं :

(क) पंजाब के बाहर रखे गये पंजाबी भाषी क्षेत्रों के विरुद्ध अब तक कितनी याचिकाएं अथवा संकल्प प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) इन याचिकाओं पर क्या कार्यवाही की जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). कुछ राजनैतिक दलों तथा संस्थाओं से सामान्य सम्पर्क अर्थात् दोनों सरकारों की सेवा करने वाली संस्थाओं अथवा अभिकरणों तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अधीन क्षेत्रों के बटवारे के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) इस विधि के अन्तर भी यह दिया गया है कि ऐसी संस्थाओं की संख्या अस्थायी होगी। यह योजना पुनर्गठन से प्रभावित क्षेत्रों की भलाई को ध्यान में रखते हुए और संक्रमण की दृष्टि से बनाई गई थी। क्षेत्रों का बटवारा एक आयोग द्वारा मामले की जांच के और संसद् द्वारा सावधानी से किये गये विचार के बाद किया गया था। इसलिये सरकार का इन याचिकाओं पर कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

नागाओं के हिंसात्मक कार्य

233. **श्री हेम बरुआ :**
श्री हरि विष्णु कामत : **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह पता लगाने में सफल हो गई है कि फरवरी और अप्रैल में आसाम में रेलगाड़ियों में हुई विस्फोट दुर्घटनाओं में नागा-विद्रोहियों का हाथ था

(ख) यदि हां, तो नागा-विद्रोहियों ने इन दुर्घटनाओं में किस प्रकार से भाग लिया था; और

(ग) सरकार ने आसाम की यात्रा करने वाली जनता की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) जांच करने पर पता चला कि विशेष रूप से प्रशिक्षित नागा विद्रोहियों ने देश के बने हुए टाइम-बमों का प्रयोग किया था।

(ग) सुरक्षात्मक उपाय किये गये हैं जिनमें आसाम व नागालैंड से लगते हुए दीमापुर तथा अन्य स्टेशनों पर सभी यात्रियों की तलाशी लेना भी शामिल है।

नई दिल्ली में क्वार्टरों की लागत का समायोजन

234. **श्री बाल्मीकी :**
श्री कपूर सिंह :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम पटेल नगर, नई दिल्ली के दुमन्जिले क्वार्टरों के अलाटियों की बार बार प्रार्थना करने के बावजूद, सरकार उनको दिये गये क्वार्टरों के लागत की बकाया धन राशि बताने से इन्कार करती रही है जिसके फलस्वरूप उनको, मकान दिये जाने की तारीख से लेकर पूरी अदायगी के दिन तक की, सारी धन राशि पर ब्याज देना होगा; और

(ख) यदि हां, तो ब्लाक ई के क्वार्टर संख्या 73 तथा 74 के अलाटियों से कितनी धन राशि ब्याज के रूप में ली गई तथा उनकी बकाया राशि भुगतान करने के उनके अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हान) : (क) जी, नहीं।

(ख) क्वार्टर संख्या ई–73 तथा 74 पश्चिम पटेल नगर के अलाटियों से क्रमशः 30.20 रुपये तथा 545.29 रुपये ब्याज के बारे में लिये गये हैं । केवल अलाटी क्वार्टर संख्या 74 पश्चिम पटेल नगर से ही किराये की छूट तथा भूमि के मूल्य पर छूट के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था । अभ्यावेदन पर विचार किया गया था और मामले की स्थिति उसे स्पष्ट कर दी गई थी।

पंजाब सर्कल में डाकघर बचत बैंक की सुविधाएं

235. **श्री हेमराज** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय योजना काल में तथा चौथी योजना काल के प्रथम वर्ष के पहले छः महीनों में, पंजाब सर्कल में, जिलावार, कितने डाकघरों में बचत बैंक सुविधायें उपलब्ध की गईं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : पंजाब सर्कल में तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में 2075 डाकघरों को और चौथी पंचवर्षीय योजना की पहली छमाही में 72 डाकघरों को बचत बैंक के अधिकार दिये गये थे। डाक मंडलों के अनुसार अलग-अलग आंकड़े सभा-पटल पर रख गये विवरण में दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 7173/66]** जिलावार अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

'स्टेट्समैन' के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

236. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** :
श्री उमानाथ : **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले "स्टेट्समैन" के कर्मचारियों ने सितम्बर-अक्टूबर, 1966 में हड़ताल कर दी थी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं ; और

(ग) बातचीत द्वारा समझौता कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां; 21 सितम्बर 1966 से।

(ख) श्रमिकों द्वारा पेश की गई मुख्य मांगें हैं—1965 के लिए 20 प्रतिशत बोनस, मैनेजमेंट द्वारा इस समय दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं के बदले में नकद अदायगी और अतिरिक्त छुट्टी सुविधाएं।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार और दिल्ली प्रशासन को इस मामले की जानकारी है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 1964 और 1965 के बोनस का मामला न्यायाधिकरण को भेज दिया गया है।

इलेक्ट्रोनिक संगणक यंत्र

237. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

श्री उमानाथ :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तार विभाग के विभागीय काम के लिए एक इलैक्ट्रोनिक संगणक यंत्र का प्रयोग करने के लिए पेशकश की गई है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इसका कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). कलकत्ता में टेलीफोन बिल तैयार करने से सम्बन्धित काम का कुछ अंश सर्विस व्यूरो के आधार पर एक ठेकेदार को सौंप दिया गया है। ठेकेदार द्वारा निकट भविष्य में दूसरे किस्म की मशीनों की बजाय संगणक यंत्रों का इस्तेमाल किये जाने की संभावना है। इस प्रकार मौजूदा मशीनों की बजाय संगणक यंत्रों का इस्तेमाल करने पर डाकतार कर्मचारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

Expenditure on Delhi Police

238. **Shri Rameshwaranand:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the amount incurrend annually (1965-66) on Delhi Police and the amount (including all allowances) out of that incurred on the Gazetted Officers and the non-Gazetted employees separately; and

(b) the amount incurred annually (1965-66) on Haryana Prant Police and the amount (including all allowances) out of it incurred on the Gazetted Officers and non-Gazetted employees, separately?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) A statement showing expediture incurred on pay and allowances of Delhi Police personnel during 1965-66 is laid on the Table of the House. [*Placed in the Library, see No. LT-* 7177/66].

(b) Does not arise as Haryana State came into existence only on 1st November, 1966.

बरोनी तेल शोधक कारखाने में पैट्रोलियम कोक का जमा हो जाना

239. **श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरौनी तेल शोधक कारखाने में पेट्रोलियम कोक की बहुत बड़ी मात्रा जमा हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कोक के निस्तापन के लिये कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या सरकार इस उत्पाद का निर्यात करने का विचार कर रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (ग). जी हां।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती

240. **श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केंद्रीय सरकार के कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अनेक कार्यालय दिहाड़ी पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके बारे में कोई अनुमान लगाया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मंत्रालयों तथा संलग्न कार्यालयों में चपड़ासी के पद पर खुली सीधी भर्ती पर रोक लगी है। किन्तु चपड़ासी श्रेणी की 5 मई, 1957 की स्वीकृत पद संख्या में से रिक्त पदों को एक मंत्रालय के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में (संलग्न कार्यालयों को मिला कर) अथवा विभिन्न मंत्रालयों में आपस में (उनके संलग्न कार्यालयों को मिला कर) फालतू कर्मचारियों के स्थानांतरण द्वारा भरा जा सकता है बशर्ते कि नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति और सब प्रकार से ऐसे पदों पर नियुक्ति की योग्यता रखता हो । चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अन्य पद-क्रमों में भर्ती पर कोई रोक नहीं है।

अधीनस्थ कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भरती पर कोई रोक नहीं लगी है।

(ख) और (ग) इस बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पेट्रो-रसायन उद्योगों के लिये नेफ्था

241. **श्री पु० र० पटेल :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रो-रसायन उद्योगों की स्थापना इसलिए की गई थी कि गुजरात तेल शोधक कारखाने के चालू होने पर नेफ्था तथा इसके अन्य उत्पादों का प्रयोग इनमें हो जाये;

(ख) क्या यह सच है कि हालांकि तेल शोधक कारखाना चालू हो गया है परन्तु पेट्रो-रसायन उद्योगों को अभी तक लाइसेंस भी नहीं दिये गये हैं; और

(ग) सरकार पेट्रो-रसायन उद्योगों को कब और कैसे स्थापित करना चाहती है, तथा इन्हें सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) पेट्रो-रसायन उद्योगों को शुरू में 1968 में चालू करने की योजना थी जबकि शोधनशाला को इससे बहुत पहले तीन चरणों में चालू करना था।

(ख) यह बिल्कुल ठीक नहीं है। एक बेंज़ीन टोलीन निष्कासन यूनिट निर्माणाधीन है और 1968 के अन्त तक चालू होने की आशा है । दूसरे उद्योगों को भी शीघ्र ही लाइसेंस दिये जायेंगे।

(ग) एरोमैटिक्स परियोजना सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जायेगी। इसके 1970 तक चालू होने की आशा है। नेपथा भंजन और इण्टरमिडीयेटस् (intermediates) निर्माण यूनिट सरकारी क्षेत्र या संयुक्त क्षेत्र में होंगे और अन्तिम उत्पाद यूनिट गैर-सरकारी क्षेत्र में होंगे। इन के 1970-71 तक स्थापित होने की आशा है।

प्राकृतिक गैस की कीमत

242. श्री पु० र० पटेल :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस किस कीमत पर बेची जा रही है ;

(ख) गुजरात में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों से तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा प्राकृतिक गैस की क्या कीमत मांगी जा रही है ; और

(ग) कीमतों में इस अन्तर का कारण क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) आसाम में आयल इंडिया द्वारा उत्पादित प्राकृतिक गैस, जो विभिन्न उपभोक्ताओं को बेची जाती है, की कीमतें निम्न प्रकार हैं :—

क्रम संख्या	परियोजना अधिकारी का नाम	कीमत (प्रति 1,000 घन मीटर)
1.	आसाम-राज्य विद्युत् बोर्ड और आसाम गैस कम्पनी (प्रति दिन 0.79 मिलियन घन मीटर तक)	8.83 रुपये
2.	भारतीय उर्वरक निगम (प्रति दिन 0.227 मिलियन घन मीटर तक)	42.38 रुपये
3	आसाम आयल कम्पनी (प्रति दिन 0.227 मिलियन घन मीटर	17.66 रुपये
4.	ईंटों के भट्टे और चाय उद्यानों	52.97 रुपये

ये कीमतें तेल क्षेत्रों की हैं अर्थात् इनमें उपभोक्ताओं के अहातों तक के परिवहन व्यय शामिल नहीं हैं।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग आसाम में कोई प्राकृतिक गैस नहीं बेचता है।

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और उपभोक्ताओं के बीच निम्न कुछ कीमतें अस्थायी तौर पर तय हुई हैं :—

1. कैम्बे गैस क्षेत्र से धुवारन विद्युत् केन्द्र को 80.00 रुपये प्रति 1,000 घन मीटर।
2. अंकलेश्वर क्षेत्र से उत्तारन विद्युत् केन्द्र को 100.00 रुपये प्रति 1,000 घन मीटर।
3. अंकलेश्वर क्षेत्र से गुजरात राज्य फर्टीलाइजरस को 100.00 रुपये प्रति 1,000 घन मीटर।
4. बरौदा उद्योगों को की गई सप्लाई के लिए 100.00 रुपये प्रति 1,000 घन मीटर।

2045 (Ai) LSD—8.

(ग) ये उपभोक्ताओं तक पहुंचाई गई गैस की कीमतें थीं अर्थात् परिवहन व्यय के साथ। सम्भवतः कीमतों के अन्तर के कारण किसी क्षेत्र में मांग और सप्लाई की स्थिति, गैस का उष्मीय मूल्य, पहुंच केन्द्र तथा प्रदायकों एवं खरीददारों के बीच बातचीत आदि है।

केरल में इलायची के कारखाने के लिये भूमि

243. **श्री इम्बीचीबावा :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने वर्तमान सरकारी इलायची अनुसन्धान केन्द्र, पम्पादुमपारा, जिला कोट्टायम, केरल के विस्तार के लिये लगभग 300 एकड़ भूमि अर्जित करने का सुझाव दिया था;

(ख) क्या सरकार को उक्त अनुसन्धान केन्द्र के निकट निवासियों से कोई ज्ञापनपत्र प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं। पम्पादुमपारा के इलायची अनुसन्धान केन्द्र में भूमि अर्जित करने के बारे में कोई सुझाव नहीं है। इलायची अनुसन्धान केन्द्र के लिये 250 एकड़ भूमि रखी गई है जिसमें से लगभग 100 एकड़ ऐसे टुकड़ों में थी जो अनुसन्धान केन्द्र की सीमा में पड़ते हैं और इन छोटे-छोटे टुकड़ों पर लोगों का कब्जा है। अवैध प्रवेश करने वाले तथा आवारा पशु इन टुकड़ों में जाने के लिये फार्म से हो कर गुजरते हैं और ऐसा करते समय वे प्रयोग की भूमि के टुकड़ों को कुचल कर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिये राज्य सरकार ने कोट्टायम के जिला समाहर्ता को हिदायतें दी हैं कि वह इस सारी की सारी 250 एकड़ भूमि की चकबन्दी करके इसे पूरी तरह अनुसन्धान कार्य के लिये अनुसन्धान केन्द्र के हवाले कर दे। प्रस्तावित क्षेत्र में केवल 16 झोंपड़ियां हैं जिनमें से केवल 8 में लोग रहते हैं और दो में दुकानें हैं। इलायची अनुसन्धान केन्द्र में कोई झगड़ा या आन्दोलन नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) इस ज्ञापन में आरोप लगाया गया था कि इलायची अनुसन्धान केन्द्र के विस्तार की योजना के फलस्वरूप अनुसन्धान केन्द्र के निकट बसने वाले 150 परिवारों के कब्जे से उनकी खेती की जमीन निकल जायगी। उन्होंने प्रार्थना की थी कि इसे छोड़कर भूमि के जो अन्य टुकड़े उपलब्ध हैं उन्हें अनुसन्धान केन्द्र के लिये अर्जित किया जाय।

(घ) इस मामले पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

त्रिपुरा में डाक व तार विभाग के कर्मचारियों द्वारा वेतन का न लिया जाना

244. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के डाक कर्मचारियों ने सितम्बर, 1966 के महीने में अपना मासिक वेतन नहीं लिया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या हैं ; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) सूचना यह मिली है कि बाढ़-अग्रदाय की 36 किस्तों में वसूली करने की बजाय, जिस की उन्होंने मांग की थी, उसकी 12 किस्तों में वसूली करने के विरोध में, जैसा कि नियमों में निर्धारित है, वेतन नहीं लिया गया था ?

(ग) इस मामले का केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों से सम्बन्ध था, अतएव दूसरों से पृथक् केवल डाक-तार कर्मचारियों के मामले में नियमों का व्यतिक्रम पर कुछ करना सम्भव नहीं था। फिर भी, इस पर वित्त मन्त्रालय में सरकार द्वारा गौर किया जा रहा है।

त्रिपुरा में पुलिस के मामले

245. **श्री वीरेन दत्त** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 और 1965–66 में त्रिपुरा में पुलिस के पास अपराध के कितने मामले दर्ज किये गये ;

(ख) कितने मामलों में पुलिस आरोपपत्र प्रस्तुत करने में असफल रही ;

(ग) कितने संदिग्ध व्यक्तियों की जमानत की याचिकाएं अस्वीकृत की गईं और उन्हें छः महीने से अधिक समय के लिये जेल की हिरासत में रखा गया; और

(घ) यदि नजरबन्द किये गये व्यक्तियों की संख्या अधिक है तो इस प्रकार अवैध रूप में नजरबन्दी के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

वर्ष	1964-65 में	1965-66 में
(क) पुलिस द्वारा पंजीकृत किये गये मामले .	2485	2459
(ख) ऐसे मामले जिनमें आरोप-पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये थे . . .	1507	1255
(ग) ऐसे मामले जिनमें जमानत की याचिकायें स्वीकार नहीं की गईं थीं और संदिग्ध व्यक्ति छः महीने से अधिक समय के लिये जेल में रहे	1	3

कोयला खानों द्वारा लाभ साझा बोनस की अदायगी

246. **श्री दाजी** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोयला खान मजदूर सभा, आसनसोल द्वारा आसनसोल और रानीगंज कोयला खानों में 1965 के लिये लाभ साझा बोनस के भुगतान न किये जाने के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो बोनस अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत 1965 के लिये लाभ साझा बोनस के भुगतान के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) कोयला खानों में नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों की बैठकें होती रही हैं और 1965 वर्ष के बोनस की अदायगी के लिए समय-सीमा बढ़ाने के प्रश्न पर विचार होता रहा है ताकि उक्त अदायगी के लिए परस्पर सहमत समय सीमा निश्चित की जा सके। सम्बन्धित पक्षों की पिछली बैठक 7 अक्तूबर, 1966 को हुई थी और आगे विचार-विमर्श के लिए उनकी बैठक होने वाली है।

कोयला खानों में दुर्घटनायें

247. **श्रीमती विमला देवी :**
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1963, 1964, 1965 और 1966 में 31 अक्तूबर तक कितने खनिकों और अन्य वर्गों के श्रमिकों को स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य घोषित किया गया और कितने दुर्घटनाओं के कारण पूर्ण रूप से विकलांग हो गये ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मुख्य खान-निरीक्षक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार जो व्यक्ति स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य घोषित किए गए हैं और जो कोयला खानों में दुर्घटनाओं के कारण पूर्ण रूप से विकलांग हो गए हैं, उनकी संख्या इस प्रकार है :—

वर्ग	1963	1964	1965	1966 सितम्बर तक
नौकरी के लिए अयोग्य घोषित	2	—	—	—
विकलांग	3	4	8	3

कोयला खानों द्वारा लाभ सहभाजन बोनस की अदायगी

248. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कोयला खानों का नाम क्या है जिन्होंने अभी तक 1964 के लिये लाभ सहभाजन बोनस नहीं दिया है ; और

(ख) सरकार इन मालिकों को बोनस देने के लिये बाध्य नहीं करने हेतु क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) 30-9-66 को जो कोयला खानें इस प्रकार की थीं उनके नाम परिशिष्ट "ए" में दिए गए हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 7174/66]**

(ख) दोषी कोयला खानों को 'कारण बताओ नोटिस' दिए गए हैं और उनसे पूछा गया है कि वे स्पष्टीकरण दें कि बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के उल्लंघन के लिये उनके खिलाफ कार्यवही क्यों न की जाए। बीस कोयला खानों के विरुद्ध पहले ही अभियोजन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

कोयला खानों द्वारा लाभ साझा बोनस का न दिया जाना

250. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोनस अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत, 1964 के लिये लाभ साझा बोनस के भुगतान न किये जाने के लिये कितनी कोयला खानों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये हैं ; और

(ख) उन कोयला खानों के क्या नाम हैं और उनमें कितने मजदूर काम करते हैं ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). नियोजकों द्वारा बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत 1964 के लेखा वर्ष के लिए लाभ साझा बोनस की अदायगी उद्योग के लगभग 90 प्रतिशत श्रमिकों को की जा चुकी है। जिन कोयला खानों ने बोनस की अदायगी नहीं की है वे अधिकांशत: बहुत छोटी हैं और उनके विरुद्ध कानूनी कार्य-वाही करने के लिए उन्हें 'कारण बताओ नोटिस' जारी नहीं किए गए हैं।

पंजाब इंजीनियरिंग कालेज, चंडीगढ़

251. **श्री दिगे :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने पंजाब के भाषा के आधार पर पुनर्गठन के पश्चात् ाब इंजीनियरिंग कालेज, चण्डीगढ़ को अपने हाथ में ले लेने के लिये संघ सरकार से प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). पंजाब सरकार ने काफी समय पहले सुझाव दिया था कि पंजाब इंजीनियरिंग कालेज, चण्डीगढ़ को एक राष्ट्रीय संस्था बना दिया जाये। उस सरकार को सूचित किया गया था कि मन्त्रालय का विचार चौथी योजना में चुनी हुई संस्थाओं का विकास राष्ट्रीय संस्थाओं के रूप में करने के लिये एक योजना शामिल करने का है और योजना में शामिल की जाने वाली संस्थाओं में पंजाब इंजीनियरिंग कालेज एक होगा यह प्रश्न कि पैंजाब इंजीनिरिंग कालेज का नये ढांचे के अन्तर्गत और विकास कैसे किया जाये, विचाराधीन है।

पाकिस्तान से आये विद्रोही मिजो लोग

252. **श्री बड़े :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में सशस्त्र विद्रोही मिजो लोगों का एक दल हथियार तथा गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का प्रशिक्षण प्राप्त करके पूर्व पाकिस्तान से मिजो जिले में वापस आ गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है ; और

(ग) इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां । मिजो विद्रोही प्रशिक्षण के लिये पाकिस्तान जाते रहे हैं और शस्त्र लेकर वापस लौटे हैं, कहा जाता है कि एक दल अक्तूबर, 1966 में लौटा है ।

(ख) पूर्वी पाकिस्तान के साथ की लम्बी सीमा और भूमि की बनावट को देखते हुए लोगों को छोटी-छोटी टुकड़ियों में प्रविष्ट होने से पूरी तरह रोकना कठिन है ।

(ग) सीमा के आर-पार आना-जाना रोकने के लिये यथासम्भव सभी उपाय किये गए हैं ।

Poisoning of Cows

253. Shri Bagri:
Dr. Ram Manohar Lohia:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some cows were poisoned to death in Subzi Mandi area of Delhi in the first week of October, 1966; and

(b) if so, whether some persons have been arrested in this connection and if so, the action taken against them?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No such incident was reported to the police.

(b) Does not arise.

Disappearance of Indian Nationals on Hussaniwala Border.

254. Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that three Indian Nationals are reported to have disapppeared from Ferozepur, Hussaniwala situated at Indo-Pak. border as reported in 'Vir Arjan', dated the 2nd October, 1966;

(b) whether it is also a fact that these persons had gone to see 'Bhagat Singh Samadhi' and that amongst them two were students; and

(c) if so, the action taken by Government in this matter?

(Shri Vidya Charan Shukla): The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (a) and (b) Yes Sir. Three Indian Nationals, who had gone to see the 'Bhagat Singh Samadhi' on 28th September, 1966, inadvertently crossed into Pak territory and were arrested by Pak Rangers.

(c) The Border Security Force authorities at Ferozepur took up the matter with Pak Rangers and secured the return of these persons on the 24th October, 1966.

महाराष्ट्र-मैसूर विवाद

255. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
श्री बासप्पा : **श्री तुला राम :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : **श्री मुहम्मद कोया :**
श्री विभूति मिश्र : **श्री वासुदेव नायर :**
श्री क० ना० तिवारी : **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री कोल्ला वेंकैया : **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर और महाराष्ट्र तथा मैसूर और केरल के बीच सीमा सम्बन्धी विवाद पर विचार करने के लिये एक सदस्यीय आयोग स्थापित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके विचारार्थ विषय क्या है ?

श्री हाथी : (क) और (ख) जी हां। आयोग की स्थापना करने वाले सरकारी संकल्प की एक प्रति संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 7175/66]**

पश्चिमी बंगाल के प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता

256. **श्री हरि विष्णु कामत : श्री हेम बरुआ :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : श्री नाथ पाई :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख कार्यकर्ता तथा पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के श्रम नेता श्री घनश्याम मिश्र एक महीने से भी अधिक समय से लापता हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल पुलिस उनका पता लगाने में असफल रही है ;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस की पूरी जांच करने के लिये यह मामला अपने अभिकरणों को सौंपना चाहती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) राज्य की पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक उसका कोई पता नहीं चला।

(ग) जी नहीं।

(घ) मामले पर राज्य की पुलिस खोज कर रही है इसलिये केन्द्रीय सरकार का अपने स्तर पर जांच तथा खोज करने का कोई विचार नहीं है।

नागाओं की हिंसात्मक गतिविधियां

257. **श्री हेम बरुआ :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागा विद्रोहियों ने हाल ही में मनीपुर के कुछ क्षेत्रों में बहुत ही बड़े पैमाने पर अपनी हिंसात्मक गतिविधियां आरम्भ कर दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस चुनौती का सामना करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) मनीपुर के कुछ क्षेत्रों में नागा विद्रोही बहुत दिनों से सक्रिय हैं।

(ख) लोक-व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यक तथा सम्भव उपाय किये गए हैं। इन उपायों में पुलिस द्वारा लगातार बरती जाने वाली सतर्कता भी शामिल है।

शिक्षा संबंधी योजना

258. **श्री द० ब० राजू :**
श्री बसुमतारी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के हेतु शिक्षा सम्बन्धी ठोस सुझाव देने के लिये विभिन्न दल नियुक्त किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के क्या विचार हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी हां। आयोजना आयोग के शिक्षा पेनल की हाल ही में हुई बैठक में पांच अध्ययन दल नियुक्त किये गये थे।

(ख) ऐसे अध्ययन और चर्चाएं उपयोगी हैं और ये सरकार द्वारा लिये जाने वाले अन्तिम निर्णयों में सहायक होंगे।

लड़कियों की शिक्षा

259. **डा० महादेव प्रसाद :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में विकास के स्तरों में विषमताएं काफी कम करने के उद्देश्य से तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो यह उद्देश्य कहां तक पूरा हुआ है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) तीसरी आयोजना के दौरान राज्य सरकारों द्वारा अपनाए गए विशेष उपायों के परिणामस्वरूप आयोजना अवधि में लड़कियों की शिक्षा ने अच्छी प्रगति की है। किन्तु लड़के और लड़कियों की शिक्षा के विकास स्तरों की असमानताओं में कोई कमी नहीं हुई है। असल में असमानताएं कुछ हद तक बढ़ी ही हैं। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण लड़कों की शिक्षा में तेजी से हुआ विकास और देहाती तथा पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा के प्रति माता-पिता की चली आती हुई हिचक है।

1960-61 और 1965-66 के लिए सम्बन्धित आंकड़े (अनुमानित) इस प्रकार हैं:—

दाखले की स्थिति

(संख्या लाखों में)

	1960-61		1965-66 (अनुमानित)	
कक्षा	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
I–V . .	235·9	114·0	333·0	182·0
VI–VIII . .	50·8	16·3	82·0	28·0
IX–XI . .	24·1	5·5	41·2	11·2

आयु वर्ग में कुल जन संख्या का प्रतिशत

	1960-61		1965-66 (अनुमानित)	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
I–V . .	81·4	41·9	99·6	56·2
VI–VIII . .	35·9	12·1	47·1	16·7
IX–XI . .	18·5	4·4	2·73	7.8

बुनियादी शिक्षा

260. **डा० महादेव प्रसाद**: क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान प्रारम्भिक स्कूलों का "पुनरनुस्थापन" करके उन्हें वांछनीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित 'बेसिक' अध्यापकों की आवश्यकता के बारे में कोई अनमान लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और चौथी पंचवर्षीय योजना में इस आवश्यकता को सरकार का विचार कहां तक और कैसे पूरा करने का है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं । पुनरस्थापन कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यमान स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में परिवर्तित करने के लिये केवल तैयार करने का है । इसलिये इसमें एक पाठ्यक्रम को अपनाने तथा साधारण शिल्प-कार्यों और समाज सेवा, सामूहिक जीवन, सांस्कृतिक तथा विनोद सम्बन्धी कार्यक्रमों जैसी गतिविधियां, जिन पर अधिक खर्च नहीं आता है, के लिये व्यवस्था है, इसमें अध्यापकों को बुनियादी शिक्षा में पूर्णतया प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है ।

त्रि-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम

261. **डा० महादेव प्रसाद**: क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रि-वर्षीय वाले डिग्री पाठ्यक्रम के अनुरूप, जैसा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किया गया था, विश्वविद्यालय शिक्षा के पुनर्गठन में कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): बम्बई विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों को छोड़ कर, बाकी सभी ऐसे विश्वविद्यालयों ने जहां कला, विज्ञान और वाणिज्य में अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है, तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम लागू कर दिया है ।

कोयला खानों का बन्द होना

262. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खान अधिनियम, 1952 की धारा 22 के अन्तर्गत खान विभाग द्वारा 1963 से 1966 में अब तक की अवधि के दौरान कितनी तथा कौन-कौन सी कोयला खानें बन्द की गई हैं; और

(ख) वे खानें कितनी अवधि के लिए बन्द की गई हैं ?

श्रम, रोज़गार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

अगरतला जेल में भूख हड़ताल

263. **श्री कोल्ला बेंकैया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए तथा अगरतला सेन्ट्रल जेल, त्रिपुरा में बन्दी किए गए कुछ लोगों ने भूख हड़ताल कर दी है क्योंकि उन्हें अपेक्षित सुविधायें नहीं दी गई हैं ।

(ख) कितने नजरबन्द लोगों ने भूख हड़ताल की है ;

(ग) उन लोगों की शिकायतें क्या हैं ;

(घ) क्या भूख हड़ताल करने वाले लोगों में कोई संसद् सदस्य अथवा विधान मंडल के सदस्य थे;

(ङ) यदि हां, तो उन नाम क्या हैं ;

(च) क्या उन लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(छ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी : (क) भारत सुरक्षा नियमों के नियम 41 (5) के अंतर्गत 8 व्यक्ति 29 अगस्त को गिरफ्तार किये गए और अन्वीक्षाधीन बन्दियों के रूप में अगरतला जेल में भेजे गए। इन व्यक्तियों को भारत सुरक्षा नियमों के नियम 30 के अन्तर्गत गिरफ्तार नहीं किया गया था । इनमें से किसी भी व्यक्ति ने आवश्यक सुविधाओं के अभाव में भूख हड़ताल नहीं की थी।

(ख) किसी भी बन्दी ने भूख हड़ताल नहीं की । पांच अन्वीक्षाधीन बन्दियों ने 12 अक्तूबर को एक दिन के लिए सांकेतिक भूख हड़ताल की थी।

(ग) उनकी मांग थी की उन्हें मुक्त कर दिया जाय ।

(घ) जी हां ।

(च) संसद् सदस्य	श्री दशरथ देव ।
विधान मंडल के सदस्य	श्री नृपेन्द्र चक्रवर्ती ।
	श्री सुधन्य देब वर्मा ।
	श्री राम चरन देब वर्मा ।
	श्री सुनील चौधरी ।

(छ) वे मुक्ति चाहते थे। इस बारे में न्यायालय निर्णय करता है।

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)

Re: CALLING ATTENTION\NOTICES
(Query)

अध्यक्ष महोदय : दोनों सदस्य बोलते जा रहे हैं। मुझे कुछ कार्यवाही करनी पड़ेगी। अब मैं उनसे कहता हूं कि सदन से बाहर चले जायें। **(व्यवधान)**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: The agitation is spreading throughout the country.

* * *

श्री कोल्ला वेंकैया (तेनाली) : मैं बताना चाहता हूं ....

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य से सभा से चले जाने को कह दिया है। वे सभा से जा रहे हैं अथवा नहीं ?

***कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

***Not recorded,

[श्री कोल्ला वेंकया सभा भवन से बाहर चले गये
(Shri Kolla Venkaiah left the House)]

श्री म० ना० स्वामी (ओंगोल) : वहां पर परिवहन की सुविधाएं नहीं हैं; बसों को रोका जा रहा है; 14 व्यक्ति मारे गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : मान० सदस्य सभा में अव्यवस्था उत्पन्न कर रहे हैं। उन्हें भी सभा से बाहर जाना पड़ेगा।

[श्री म० ना० स्वामी सभा भवन से बाहर चले गये
(Shri M. N. Swamy left the House)]

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : इस्पात के कारखाने के प्रश्न पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। सरकार इस पर वक्तव्य क्यों नहीं देती।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): Mr. Speaker, yesterday also certain members were asked to withdraw from the House. There are so many important questions facing the country. These are important and cannot be dealt with in the no-confidence motion. Hence you kindly give an opportunity in the form of admitting adjournment motion or by some other method.

Shri Bagri (Hissar): Mr. Speaker, you kindly tell us as to how the important questions can be raised here. We are also like you interested in maintaining the dignity and decorum of the House. But if important problems with which the country is face to face now will not be raised here, where else are they going to be raised. Nobody is interested to go out of House when he raises an important matter. This is the representative body of the country and problems will have to be discussed here.

Mr. Speaker: I wart that all the important problems should be discussed here, that is why a no-confidence motion has been admitted. Its scope is very wide and members can discuss the same in that motion. If these problems are not discussed in the no-confidence motion or they are not replied to, then I will consider over them. I cannot, therefore, take them straight away.

श्री रंगा (चित्तूर): मैं यह मानता हूं कि अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही हो तो काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा की आप अनुमति नहीं देंगे। परन्तु मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि लोक महत्व के प्रश्न भी आप न उठाने दें। इसमें तो केवल सरकार से सूचना प्राप्त की जाती है। उस्मानिया विश्वविद्यालय में शान्तिपूर्ण तरीके से आन्दोलन चल रहा है। ऐसे ही विशाखापटनम के इस्पात कारखाने की बात का प्रश्न महत्वपूर्ण है। ऐसे मामलों पर सरकार को वक्तव्य देने चाहियें।

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड): मैं इस बात से सहमत हूं कि आप अविश्वास के प्रस्ताव के समय काम रोको प्रस्ताव ले लें। परन्तु लोक महत्व के प्रश्न पर वक्तव्य दिये जाने से तो स्थिति के सुधार की संभावना होती है। इसलिये आप उसे मत रोकिये।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad): Mr. Speaker, you please read Article 21 of the Constitution. They * * * who have framed the Constitution. I have learnt that the Speaker refused to sign the Constitution.

***अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

***Expunged as ordered by the Chair.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur); Mr. Speaker, these words should be expunged.

Mr. Speaker: The members should themselves take into consideration that what they speak is proper or not.

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : अध्यक्ष महोदय, आप हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। मेरे विचार से इसे सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : डा० लोहिया के वे शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जायें। मैं सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि बोलते समय एक दूसरे के प्रति आदर दिखायें।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं नम्रता से यह निवेदन करूंगा कि मेरे सहयोगियों के साथ साथ जो यहां मौजूद हैं—आचार्य कृपालानी, श्री फ्रैंक एन्थनी, श्री रंगा आदि ऐसे लोग हैं जो डा० लोहिया से कम बहादुरी से आजादी के लिये नहीं लड़े थे। इस लिये उनके यह शब्द बोलना ठीक नहीं। हम सब ने जो यहां बैठे हैं संविधान की शपथ ली है। इस लिए उनके लिये ऐसे शब्द कहना गलत है।

Dr. Ram Manohar Lohia: When I read the English version of Constitution and someone checks me as to why I read English, I have then no option but to say that because it was framed by the slaves of English language. Wherefrom can I read in Hindi then. I am not fond of reading English.

In the article it is written that "no person shall be deprived of his right or personal liberty except according to procedure established by law." I want to know whether this Government can't function without depriving people of their life? People are being killed daily. In such circumstances Lok Sabha should ponder over these matters. People are being killed even for small mattersfl If someone breaks the glass pane of a bus, he is shot dead. Whether Government cannot function without killing people? It should be discussed.

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये आपके कथन से कोई औचित्य प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केरल शिक्षा नियमों के बारे में अधिसूचनायें

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं इन पत्रों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के संबंध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित केरल शिक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 37 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति, जिनके द्वारा केरल शिक्षा नियम, 1959 में कतिपय संशोधन किये गये :—

(1) एस० आर० ओ० संख्या 410/65 जो दिनांक 23 नवम्बर, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(2) एस० आर० ओ० संख्या 119/66 जो दिनांक 15 मार्च, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(3) एस० आर० ओ० संख्या 197/66 जो दिनांक 17 मई, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 7045/66 ।]**

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : श्रीमान् जी मैं आप का ध्यान इन पत्रों की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि नवम्बर, 1965 के हैं परन्तु आज सभा पटल पर रखे जा रहे हैं। इस तरह का विलम्ब नहीं होना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : इन्हें इससे पूर्व भी सभा पटल पर रखा जा चुका है । तथापि उस समय पर्याप्त समय नहीं था ।

भारत प्रतिरक्षा (चौथा संशोधन) नियम, 1966

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : मैं भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, 1962 की धारा 41 के अन्तर्गत भारत प्रतिरक्षा (चौथा संशोधन) नियम, 1966, जो दिनांक 1 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1676 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 7154/66 ।]**

रबड़ बागान के लिये केन्द्रीय मजूरी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशें

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं सरकारी संकल्प संख्या डब्लू बी-3 (18)/66, दिनांक, 29 सितम्बर, 1966 की एक प्रति जिसके द्वारा रबड़ बागान के लिए केन्द्रीय मजूरी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार के निर्णय प्रकाशित किये गये हैं, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 7155/66 ।]**

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्न-लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) जी० एस० आर० 1203 जो दिनांक 6 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में एक संशोधन किया गया ।

(दो) जी० एस० आर० 1204 जो दिनांक 6 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 6871/66 ।]

†(तीन) जी० एस० आर० 1228 जो दिनांक 13 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 6956/66 ।]**

[श्री हाथी]

(चार) जी० एस० आर० 1230 जो दिनांक 13 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनसूची III में कतिपय संशोधन किये गये।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 20 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1271 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6956/66।]**

(छः) जी० एस० आर० 1270 जो दिनांक 20 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7059/66।]**

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1329 जो दिनांक 3 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में एक संशोधन किया गया।

(दो) जी० एस० आर० 1330 जो दिनांक 3 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये।

(तीन) जी० एस० आर० 1366 जो दिनांक 10 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये।

(चार) भारतीय वन सेवा (पदाली) नियम, 1966 जो दिनांक 17 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1397 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 जो दिनांक 17 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1398 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय वन सेवा (प्रारम्भिक भर्ती) विनियम, 1966 जो दिनांक 17 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1399 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) जी० एस० आर० 1438 जो दिनांक 24 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये।

(आठ) भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) दूसरा संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 24 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1441 में प्रकाशित हुए थे ।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) दूसरा संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 24 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1442 में प्रकाशित हुए थे ।

(दस) जी० एस० आर० 1443 जो दिनांक 24 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(ग्यारह) जी० एस० आर० 1445 जो दिनांक 24 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(बारह) जी० एस० आर० 1446 जो दिनांक 24 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 13 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित जी० एस० आर० 1230 का शुद्धिपत्र दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०** 7156/66 ।]

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : मैं प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 43 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार (तीसरा संशोधन) आदेश, 1966 जो दिनांक 2 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2678 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार (चौथा संशोधन) आदेश, 1966 जो दिनांक 20 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2829 में प्रकाशित हुआ था । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7158/66 ।]**

धातुयुक्त खान (संशोधन) विनियम

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं इन पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) खान अधिनियम, 1958 की धारा 59 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत धातुयुक्त खान (संशोधन) विनियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 26 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1359 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7159/66 ।]**

(2) केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति धनबाद के 1965–66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7160/66 ।]**

(3) न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 की धारा 30क के अन्तर्गत न्यूनतम मजूरी (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 24 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1473 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7161/66।]**

(4) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :--

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (तेरहवां संशोधन) योजना, 1966 जो दिनांक 27 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1314 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि (चौदहवां संशोधन) योजना, 1966 जो दिनांक 27 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1315 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) कर्मचारी भविष्य निधि (पन्द्रहवां संशोधन) योजना, 1966 जो दिनांक 17 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1412 में प्रकाशित हुई थी।

(चार) कर्मचारी भविष्य निधि (सोलहवां संशोधन) योजना, 1966 जो दिनांक 17 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1413 में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7162/66।]**

(5) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1362 की एक प्रति जो दिनांक 3 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम को लाइसेंस प्राप्त लवण उद्योग पर लागू किया गया। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7163/66।]**

(6) कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजनायें अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:--

(एक) कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना, 1966 जो दिनांक 6 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1221 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना, 1966 जो दिनांक 6 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1222 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना, 1966 जो दिनांक 6 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2356 में प्रकाशित हुई थी।

(चार) कोयला खान भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) योजना, 1966 जो दिनांक 15 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1577 में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) योजना, 1966 जो दिनांक 15 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1578 में प्रकाशित हुई थी।

(छः) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) योजना, 1966 जो दिनांक 15 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1579 में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7164/66।]**

दिल्ली प्रशासन (कठिनाइयां दूर करना) आदेश

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं इन पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन (कठिनाइयां दूर करना) आदेश संख्या 2 की एक प्रति जो दिनांक 5 सितम्बर, 1966 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 10/28/66–एस० आर० में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7165/66।]**

(2) शस्त्रास्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत शस्त्रास्त्र (संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 8 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1534 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7166/66।]**

(3) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1530 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1531 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7167/66।]**

(4) (क) संविधान के अनुच्छेद 359 के खंड (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1276 की एक प्रति जो दिनांक 4 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 अक्तूबर, 1962 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1418 में प्रकाशित आदेश में एक संशोधन किया गया।

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

(ख) ऊपर की अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण । [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7168/66]

(5) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मद्य निषेध अधिनियम, 1950 की धारा 62 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति जिनके द्वारा भेषजीय तथा सौन्दर्य प्रसाधनों के, जिनमें एलकोहल तथा नशीली औषधयुक्त आसव तथा अरिष्ट सम्मिलित हैं, दुरुपयोग को रोकने तथा उनके आयात, निर्यात तथा परिवहन सम्बन्धी नियमों में कतिपय संशोधन किये गये :—

(एक) एस० आर० ओ० संख्या 372/66 जो दिनांक 4 अक्तूबर, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) एस० आर० ओ० संख्या 396/66 जो दिनांक 18 अक्तूबर, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7169/66]

(6) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत केरल लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) (परामर्श) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 19 जुलाई, 1966 के केरल राजपत्र में अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 277/66 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7157/66]

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं गत सत्र में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये निम्नलिखित दो विधेयक, जिन पर 3 सितम्बर, 1966 को सभा में पिछली बार प्रतिवेदन देने के पश्चात् राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी, सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1966

(2) रेल सम्पत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) विधेयक, 1966।

मैं गत सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये निम्नलिखित दस विधेयकों की, जिन पर 3 सितम्बर, 1966 को सभा में पिछली बार प्रतिवेदन देने के पश्चात् राष्ट्रपति की

अनुमति प्राप्त हुई थी, राज्य-सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणीकृत प्रतियां भी सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान (अठारहवां संशोधन) विधेयक, 1966

(2) व्यापारिक नौवहन (संशोधन) विधेयक, 1966

(3) दण्ड विधि संशोधन (संशोधी) विधेयक, 1966

(4) अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1966

(5) जयन्ती शिपिंग कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक, 1966

(6) अत्यावश्यक वस्तुयें (संशोधन) विधेयक, 1966

(7) दिल्ली उच्च न्यायालय विधेयक, 1966

(8) पंजाब राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1966

(9) बिजली (सम्भरण) संशोधन विधेयक, 1966

(10) पंजाब पुनर्गठन विधेयक, 1966

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILL AND RESOLUTIONS

छियानवेवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का छियानवेवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

विशेषाधिकार समिति

COMMITTEE OF PRIVILEGES

दसवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव : मैं विशेषाधिकार समिति का दसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

दिल्ली में हाल में हुई त्रिराष्ट्रीय बैठक के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: RECENT TRIPARTITE MEETING HELD IN DELHI.

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : 21 अक्तूबर 1966 से 24 अक्तूबर 1966 तक राष्ट्रपति नासर, राष्ट्रपति टीटो तथा भारत के प्रधान मंत्री की नई दिल्ली में बैठक हुई । इस सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय महत्व तथा आपसी हित के विषयों पर विचार-विमर्ष हुआ । इस सम्मेलन में नेताओं ने महसूस किया गुटनिरपेक्ष नीति सभी विकासशील देशों के लिये लाभदायक तथा हितकर है । हमने इस बात के महत्व को दोहराया है कि सभी

[श्रीमती इन्दिरा गांधी]

अन्तर्राष्ट्रीय वादों को बल से नहीं बल्कि शान्तिमय तरीकों से सुलझाया जाना चाहिये। हमें यह जान कर सन्तोष हुआ कि गुट निरपेक्षता की नीति की मान्यता बढ़ती जा रही है। ताशकन्द समझौते के इस बारे में योगदान के महत्व को भी समझा गया।

हमारे विश्लेषण से गुटनिरपेक्षता तथा शान्तिमय सहअस्तित्व को होने वाले खतरों का भी पता चला। यह मुख्य रूप से कई राष्ट्रों द्वारा अन्य राष्ट्रों के आन्तरिक विषयों में हस्तक्षेप करने के कारण होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जाति भेद की नीति तथा उपनिवेशवाद के अवशेषों तथा दरिद्रता आदि से अभी खतरा बना हुआ है। वियतनाम के बारे में हमारी संयुक्त विज्ञप्ति में दिया गया कि इस समस्या का शान्तिपूर्ण ढंग से हल किया जाना चाहिये।

इस बैठक ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने पूर्ण विश्वास को व्यक्त किया।

विश्व में हथियारों की होड़ के बारे में सम्मेलन ने चिन्ता व्यक्त की और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 20वें अधिवेशन में पास हुए संकल्प के अनुसार अणु हथियारों के विस्तार पर प्रतिबन्ध के बारे में संधि की मांग की।

सबसे महत्वपूर्ण बात आर्थिक चुनौतियों के सम्बन्ध में सामूहिक दृष्टिकोण हैं। इन चुनौतियों से विश्वशान्ति को बहुत खतरा है। हमने महसूस किया है कि नये स्वतन्त्र हुए देशों को आत्मनिर्भर होना चाहिये। तभी वे अपने उद्देश्यों में सफल हो सकते हैं। विश्व के विकसित देशों को अन्य देशों की सहायता करनी चाहिये। इस बारे में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में एक सम्मेलन हो चुका है और दूसरा सम्मेलन अगले वर्ष दिल्ली में होगा।

तीनों देशों में आर्थिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार किया गया। यह निर्णय किया गया है कि तीनों देशों के आर्थिक विषयों के मंत्रियों का एक सम्मेलन दिसम्बर के महीने में हो और इस बारे में अग्रेतर कार्यवाही की जाये। वाणिज्यिक, तकनीकी तथा औद्योगिक क्षेत्रों में तीनों देश एक दूसरे के अच्छे सहयोगी बन सकते हैं। सम्मेलन के उपरान्त राष्ट्रपति नासर कुछ दिन के लिये भारत में रहे और हमें अवसर मिला कि आपसी हितों के मामलों पर आगे विचार करें।

मुझे आशा है कि हमारे देशों के बीच मैत्री और बढ़ेगी और इससे विश्व शान्ति को बल मिलेगा। इस सम्मेलन के बाद जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति की एक प्रति मैं सभा पटल पर रखती हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7195/66]

श्री हेम बरुआ (गौहाटी): मेरा निवेदन यह है कि इस विषय पर जिन लोगों के नोटिस हैं उन्हें बोलने का अवसर दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर कोई चर्चा नहीं कर सकते, इस पर विचार हो चुका है और पुनः विचार करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने केवल स्पष्टीकरण के नाते कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दी है।

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा): यह प्रश्न नियम का है और केवल सभा ही इसका निर्णय कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय : सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई विवाद नहीं होगा। स्पष्टीकरण के लिये कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी जायेगी।

श्री के० दे० मालवीय (बस्ती) : इस बात का निर्णय हमें करना है । नियम बड़े स्पष्ट हैं । मेरा निवेदन यह है कि इस विवाद को बढ़ाना नहीं चाहिए ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष के आदेश के बाद कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए ।

Shri Radha Lal Vyas: Rule 372 is clear, it states that no question shall be asked at the time the statement is made. Even the Constitutionalists agree that the Speaker cannot allow any question after the statement of the Minister.

अध्यक्ष महोदय : यदि इसी तरह शोर चलता रहा तो मैं सभा की कार्यवाही स्थगित कर दूंगा । कोई औचित्य प्रश्न नहीं लिया जायेगा और मुझे कांग्रेस सदस्यों के विरुद्ध भी कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

श्री जी० भ० कृपालानी (अमरोहा) : मेरा विनम्र निवेदन है कि अध्यक्ष महोदय को संसदीय प्रक्रिया को नियमित करने का अवसर दिया जाना चाहिए । विरोधी पक्ष को भी उन्हें उदारता से ऐसा अवसर देना चाहिए ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I have to raise a point of order under 373. Over seven people have been turned out under this rule. Today congress men are behaving worst than that. Why the action is not taken for their disorderly behaviour? They are behaving like this under the instigation of the Prime Minister.

Shri Raghu Nath Singh (Varanasi): No instigation from the Prime Minister.

श्री उमानाथ (पुदुकोट्टै) : यह लोग शोर मचा रहे हैं माननीय अध्यक्ष उनके विरुद्ध कुछ नहीं कर रहे । क्या कांग्रेस दल को कोई विशेषाधिकार प्राप्त है ? यह भेदभाव नहीं होना चाहिए ।

Shri Maurya (Aligarh): Congress members have been creating disturbance for the last many minutes but they have not been turned out. Why are they not being given any punishment

श्री नाथ पाई (राजापुर): मैं इधर उधर की बातों में न जा कर प्रधान मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या बार बार बड़े सिद्धान्तों की बातें कर के हम वियतनाम के लोगों के दुःखों को दूर कर सकेंगे अथवा उस संघर्ष का अन्त करवा सकेंगे ? चीन ने जो हमारा 14000 वर्ग मील इलाका अपने कब्जे में कर रखा है उसके बारे में उन्हें क्या कहना है ? जब हमारी प्रधान मंत्री शिखर सम्मेलन में दुनिया भर की चीजों पर चर्चा कर रही थीं उसी समय सिक्किम और भूतान में घुसपैठ हो रही है । प्रधान मंत्री को इसका उत्तर देना चाहिये ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : चीन के आक्रमण की उपेक्षा करने का कोई प्रश्न नहीं है और उसके प्रति हम जागरूक भी हैं, परन्तु हम उन बातों को लेना चाहते थे जिन पर अधिक से अधिक सहमति सम्भव हो सकती थी । द्विपक्षीय झगड़ों का उल्लेख हम सामान्य विज्ञप्ति में नहीं करना चाहते थे ।

श्री नाथ पाई : प्रधान मंत्री कृपया मेरे प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर देवें । यह खेद की बात है कि हमारे हित की सभी बातें छोड़ दी गई हैं । द्विपक्षीय झगड़ों को छोड़ा गया है यह भी गलत है । ईसराइल की निन्दा की गई है परन्तु भारत की सुरक्षा की दृष्टि से जो बात महत्वपूर्ण है वह नहीं कही गयी । हमारे ऊपर हमला करने वालों की भी निन्दा नहीं की गई है । राष्ट्रपति नासर

[श्री नाथ पाई]

और संयुक्त अरब गणराज्य का ईसराइल से झगड़ा है और हम फिलस्तीन के अरबों का समर्थन कर रहे हैं। यदि यह है तो फिर चीन के हमले का उल्लेख क्यों नहीं कर सकते हैं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने कहा है कि उन बातों को लिया गया जिन पर अधिक से अधिक सहमति थी। चीन के प्रश्न पर भी दोनों नेताओं से बातचीत हुई परन्तु यह मामला अभिव्यक्ति का था।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर) : हम विश्वशान्ति चाहते हैं। हमारी शान्ति को चीन और पाकिस्तान से धक्का लगा है पर हमने केवल इन तीन देशों को ही शिखर सम्मेलन में बुलाने का निर्णय किया।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस सम्मेलन का आरम्भ भारत की ओर से नहीं हुआ था। अतः हमारे बुलाने का कोई प्रश्न नहीं है। उन प्रयत्नों को लिया गया जिन में हमारी रुचि है।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : क्या यह ठीक है कि संयुक्त अरब गणराज्य अन्य अरब राष्ट्रों को साथ लेकर ईसराइल को संसार के मानचित्र से मिटा देना चाहता है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हमारा उद्देश्य अधिक से अधिक औद्योगिक और आर्थिक मामलों में सहयोग प्राप्त करना था। केवल इन दोनों देशों से नहीं अन्य देशों से भी सहयोग का विचार था। यह केवल एक अवसर की बात है कि इन तीनों राष्ट्रों की बैठक पहले भी हो चुकी है। हमने अपने यहां भी उसकी बैठक रख ली। अन्य देशों में भी ये बैठकें हो सकती हैं।

श्री नारायण दांडेकर : यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है।

श्री उमानाथ : संयुक्त अरब गणराज्य का मतलब जहां तक वियतनाम में सेनाओं को वापस बुलाने का है केवल अमरीकी सेनाओं से ही है। सभी विदेशी सेनाओं से नहीं, क्या हमारी सरकार की भी यही स्थिति है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : उनका मतलब सभी देशों की सेनाओं से था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम) : दो रिपोर्टें परस्पर विरोधी हैं। एक में कहा गया है कि भारत के अतिरिक्त दोनों राष्ट्र अमरीका को हमला करने वाला मान रहे थे, परन्तु इस बात को विज्ञप्ति में भारत के विरोध के कारण व्यक्त नहीं किया गया। एक रिपोर्ट यह है कि उत्तरी वियतनाम सरकार ने इन तीनों ही राष्ट्रों से कहा था कि वियतनाम के मामले का उल्लेख न किया जाये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हमारा दृष्टिकोण तो स्पष्ट ही था वहां तो इसका उल्लेख मांग करने वाली बात थी। यह बात ठीक है कि उत्तर वियतनाम की सरकार ने हमें इस प्रकार की प्रार्थना की थी।

Dr. Ram Manohar Lohia: Just now Prime Minister has stated two contradictory things. She said that non-alignment is getting successful only there are some difficulties in the way. On the other hand she refers to the increasing pressure. I want Prime Minister to explain very clearly what are the achievements of this policy.

Shrimati Indira Gandhi: I have already stated that we are gradually getting cooperation of each other countries. The decisions taken are solid. We are not ignoring our own important problems.

मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : काफी संकोच के साथ मैं निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सभा मंत्रि परिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है।"

Shri Yashpal Singh (Kairana): I rise on a point of Order. The hon. leader of the Jan Sangh is speaking in English while his language is Hindi. He knows Hindi very well.

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur): The hon. Member has left all his principles and is accusing the Jan Sangh only to get few votes of Mohammedans.

अध्यक्ष महोदय : श्री त्रिवेदी अपना भाषण जारी रखें।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : गत कुछ महीनों में देश में तथा विधान मण्डलों में हुई घटनाओं से पता चलता है कि लोगों द्वारा सरकार की अपेक्षा की जा रही है और यदि इस प्रवृत्ति को नहीं रोका गया तो भारत में लोकतन्त्र का विनाश निश्चित है। लोग खुले आम तानाशाही की बातें करते हैं। हिटलर के समय हमने जर्मनी में तानाशाही का नमूना देखा है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

देश के सामने जो बुराइयां हैं उनकी औषधि तानाशाही का शासन नहीं है। आम जनता में यह भावना उत्पन्न हो गई है कि कोई भी बात मनवाने के लिये बल प्रयोग करना, हिंसात्मक कार्यवाही करना तथा आन्दोलन चलाना आवश्यक है। आम लोगों में यह भावना उत्पन्न करने की जिम्मेदारी सरकार पर है। विद्यार्थियों के आन्दोलन के बारे में भी यही भावना कार्य कर रही है।

लोगों में प्रांतीयवाद की भावना उत्पन्न हो गई है और 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात् विशेषकर समस्त भारत में यह भावना बढ़ती ही जा रही है। बम्बई बन्द के दौरान गैर-महाराष्ट्रीयों को परेशान किया गया और पुलिस खड़ी देखती रही। जिसके फलस्वरूप दो मंत्रियों सहित विधान मण्डल के 17 सदस्यों ने अपने त्यागपत्र दे दिये। मैसूर-महाराष्ट्र सीमावाद के लिये दंगे हुए और पुलिस खड़ी देखती रही। राज्य सरकारों ने इस प्रवृत्ति को कम करने के बजाय उसे और बढ़ावा दिया है। केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की। इसी प्रवृत्ति के कारण विभिन्न राज्यों में दंगे हुए तथा सार्वजनिक सम्पत्ति का विनाश हुआ है। इसके लिये केवल वर्तमान सरकार को ही दोषी ठहराया जा सकता है।

लोगों तथा संस्थाओं द्वारा सरकार की उपेक्षा की प्रवृत्ति से लोकतन्त्र को खतरा उत्पन्न हो गया है। अब समय आ गया है जबकि सरकार को प्रांतीयवाद की इस भावना को बढ़ने से दृढ़ता से रोकना चाहिए। सरकार ने लोगों की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण आन्दोलन आदि करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है। देश में वर्तमान स्थिति के लिये सरकार ही जिम्मेदार है।

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

जहां तक देश की खाद्य स्थिति का संबंध है 1955 में केवल छः लाख टन की कमी थी। 1966 में यह कमी बढ़कर एक करोड़ टन बल्कि कुछ विशेषज्ञों के अनुसार दो करोड़ टन हो गई है। सरकार की गलत नीतियों के कारण एक स्थान पर लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है तो दूसरे स्थान पर अनाज सड़ रहा है। ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति नहीं है जो कि देश की खाद्य स्थिति को हल कर सके।

जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है हम देश से इस रोग को दूर करने में असफल रहे हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि हम इसको बढ़ने से रोकने में भी असफल रहे हैं। सरकार के प्रत्येक विभाग में भ्रष्टाचार फैल गया है। कांग्रेसी ऐसे भ्रष्टाचारियों तथा अधिकारियों को बचाते हैं। ऐसे कई मामले मेरे अपने चुनाव क्षेत्र तथा राजस्थान में हुए हैं। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये कोई ठोस उपाय किये जाने चाहिए।

यह बड़े शर्म की बात है कि पंजाब जैसे छोटे से राज्य में 21 व्यक्तियों को मंत्रि परिषद् में लिया गया है। इनमें भी तीन व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी दास आयोग ने निन्दा की है।

संविधान बनाते समय कुछ मूल अधिकार भी रखे गये थे। परन्तु इनके अतिरिक्त कुछ निदेशक सिद्धान्त भी हैं। उन में से एक यह है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने के बारे में है। परन्तु चाहे कितना भी यत्न क्यों न किया जाय राजस्थान सरकार ऐसा करने के लिये सहमत नहीं होगी। वहां पर लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है और उनके साथ किसी प्रकार की रियायत नहीं की जा रही है। कुछ अन्य राज्यों में भी न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक नहीं किया गया है। संविधान के निदेशक सिद्धान्तों में नागरिकों को जो अन्य आश्वासन दिये गये है जैसे कि गौ-संरक्षण, उनको भी पूरा नहीं किया गया है और इस प्रकार जनता को धोखा दिया जा रहा है। जो धोखा देते हैं उनको शक्ति में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक ओर तो हम संविधान** के निदेशक सिद्धान्तों में लोगों को आश्वासन देते है और दूसरी ओर हम गौ-हत्या पर रोक नहीं लगा रहे हैं

परमिट, नियंत्रण और लाइसेंस प्रणाली देश के लिये अभिशाप का काम कर रही है।

यह कहना भी उचित नहीं होगा कि हम गुटों से अलग रहने की नीति का अनुसरण कर रहे हैं जब तिब्बत पर चीन ने कब्जा किया, तो हम चुप रहे इसी प्रकार जब रूस की सेना ने हंगरी में प्रवेश कर वहां की जनता का दमन किया तो हम खामोश रहे। राष्ट्रपति नासर ने इसरायल को नष्ट करने की घोषणा की तो हम मौन रहे और चुपचाप इस बात को स्वीकार कर लिया। श्री टीटो, जो कि अपने देश में एक तानाशाह हैं हमारे मित्र हैं। उन्होंने दक्षिण वियतनाम में हो रहे आक्रमण के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। यह किस प्रकार की गुटनिरपेक्षता है।

एक बड़े देश के नाते जिसकी आबादी लगभग 45 करोड़ है हमें अपने गुणों के आधार पर विश्व की राजनीति पर प्रभाव डालने में समर्थ होना चाहिए।

हमारे विदेश मंत्री श्री स्वर्ण सिंह ने ब्रिटिश प्रधान मंत्री को कहा बताते हैं कि हम परमाणु शक्ति वाले प्रमुख राष्ट्रों से सामूहिक गारंटी स्वीकार कर सकते हैं परन्तु हम ऐसी किसी एकतरफा पेशकश स्वीकार नहीं कर सकते। यह दृष्टिकोण बहुत ही हास्यास्पद है। इसका अर्थ यह हुआ कि

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

**Expunged as ordered by the Chair.

अमरीका तथा रूस के साथ चीन भी हमें हमारे बचाव की गारंटी दे। ऐसा सोचना पागलपन के अलावा और कुछ नहीं है।

शत्रुओं को प्रसन्न करने के लिये मित्रों में बिगाड़ने की सरकार की प्रवृत्ति ने हमें विश्व की नजरों में गिरा दिया है। हमने साम्यवादी चीन से मित्रता बनाने के लिये फारमोसा की उपेक्षा की। इसी प्रकार हमने इसरायल की उपेक्षा की और उन लोगों से की जिन्होंने स्वेज के मार्ग से आने वाले हमारे सामान को जब्त कर लिया था।

सरकार ने नागालैंड तथा काश्मीर के बारे में भी अत्यंत अस्पष्ट नीति अपनायी है। हमने सैंट्रल रिजर्व पुलिस की शक्ति में वृद्धि की है। परन्तु इसके बावजूद भी हम तीन लाख नागा लोगों को नहीं दबा सके हैं। हाल ही में पुलिस दल के सात व्यक्ति मारे गये हैं। परन्तु यदि पुलिस वालों के हाथों कोई नागा व्यक्ति मारा जाये तो कहा जाता है गरीब नागे मारे जा रहे हैं। सरकार तीन लाख नागाओं को नियंत्रण में रखने में असफल हुई है। यदि हमें अवसर दिया जाये तो हम दस दिन के अन्दर स्थिति पर नियंत्रण कर सकते हैं और नागा समस्या को हल कर सकते हैं।

काश्मीर के संबंध में भी हम एक अनिश्चित नीति का अनुसरण कर रहे हैं। हमें यह दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि काश्मीर का रक्षा के लिये भारत में विलय हो चुका है। हमें हिंदू तथा मुसलमान के नाते से न सोचकर भारतीय के नाते से विचार करना चाहिए। मुसलमानों को यह बताना कि वे अल्प-संख्यक हैं एक पागलपन है। इसलिये मेरा कहना है कि काश्मीर मुसलमानों का एक अल्प-संख्यक राज्य नहीं बल्कि भारत संघ का एक भाग समझना चाहिए तभी इस समस्या का कुछ समाधान हो सकता है।

यह सरकार हिन्दुओं की शत्रु है। वह हिंदुओं की उपेक्षा करके भी मुसलमानों को प्रसन्न रखना चाहती है। कांग्रेस ने ही मुसलमानों के दिल में डर की यह भावना पैदा कर दी है कि वे अल्पसंख्यक हैं और कि उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। सरकार के इस रवैये ने देश में गड़बड़ सी उत्पन्न कर दी है।

सरकार घरेलू, विदेशी तथा आर्थिक मोर्चे पर भी असफल रही है। राष्ट्रीय मोर्चे पर इसने लोगों को अनैतिक बना दिया है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, धर्म को नष्ट किया है और समूचे विश्व में देश की प्रतिष्ठा को गिरा दिया है। अवमूल्यन से देश की प्रतिष्ठा को और भी धक्का लगा है। सरकार लोकतन्त्रात्मक सिद्धांतों की अवहेलना कर देश को साम्यवाद की ओर ले जा रही है। यदि देश में लोकतन्त्र को बनाये रखना है तो वर्तमान सरकार को अपदस्थ करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि यह सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है।"

श्री मी० स० मसानी (राजकोट) : वास्तव में अविश्वास का प्रस्ताव जनता द्वारा आगामी फरवरी महीने में पास किया जायेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस की उस चुनाव में हार होगी।

इस समय देश की स्थिति चिन्ताजनक है। जहां तक संविधान का सम्बन्ध है इसका कई बार उल्लंघन किया गया है और इसमें लग भग 20 संशोधन किये गये हैं। कई संशोधन उच्चतम न्यायालय

[श्री मी० स० मसानी]

के निर्णयों को निष्फल करने के लिए किये गये हैं। इस प्रक्रिया में हमारे मूल अधिकारों को भारी आघात पहुंचा है। यद्यपि देश की सुरक्षा को कोई भारी खतरा नहीं है तथापि कई वर्षों तक आपात की स्थिति को जारी रखकर इसे स्थायी बना दिया गया है। सत्तारूढ़ व्यक्ति भारत रक्षा नियमों का आश्रय लेकर प्रशासन चला रहे हैं। आज हमें ब्रिटिश काल की सी स्थिति का ही सामना करना पड़ रहा है।

राष्ट्रीय एकता के मोर्चे पर भी हम लगातार पिछड़ रहे हैं। भाषायी तथा प्रादेशिक विवादों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यही कारण है कि देश के छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं।

कांग्रेस शासन के पिछले 19 वर्षों में जनता की नैतिकता पर बहुत प्रभाव पड़ा है। देश में भ्रष्टाचार स्वार्थपरता और अदक्षता फैली हुई है। जब तक विनियंत्रण नहीं किया जाता अथवा परमिट और लाइसेंस के शासन को समाप्त नहीं किया जाता तब तक भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता।

यद्यपि पंजाब का क्षेत्रफल पहले से एक तिहाई रह गया है तथापि पहले से दुगने व्यक्तियों को मंत्री बनाया गया है। हरियाना की विधान सभा में कुल 41 सदस्य हैं उनमें से 18 को मंत्रिपरिषद् में ले लिया गया है। इन दोनों सरकारों को इस अवस्था में बनाये रखने का कोई कारण नहीं है।

जैसा श्री त्रिवेदी ने कहा कि दास आयोग की सिफारिशों की भी उपेक्षा की गई है और चार दोषी व्यक्तियों को पुनः मंत्रिमंडल में ले लिया गया है।

समाचारपत्रों अथवा राजनीतिज्ञों द्वारा जो उचित और रचनात्मक आलोचना की जाती है उसकी भी उपेक्षा की जाती रही है। लोग यह समझने लग गये हैं कि जब तक हिंसा का प्रयोग नहीं किया जायेगा तब तक सरकार कोई बात नहीं मानेगी। किसी भी समाज में वहां की जनता की नैतिकता पर यह एक गम्भीर आघात है।

"हिन्दुस्तान टाइम्स" ने अपने एक अग्रलेख में लिखा है कि देश में स्वतन्त्रता के पश्चात् गत 19 वर्षों में इतनी गम्भीर स्थिति कभी भी उत्पन्न नहीं हुई जितनी कि आज है।

कई कारणों से देश का भविष्य अन्धकारमय है और इन सब की जिम्मेदारी सीधे कांग्रेस के 19 वर्षीय शासन पर है।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी हम अपने शत्रुओं तथा मित्रों में पहिचान करने में असफल रहे हैं। हमने हिमालय जैसी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, और साम्यवादी चीन को अपना बहुत सा क्षेत्र दे दिया है। वियतनाम के प्रश्न पर भी हम यह महसूस नहीं कर सके कि यदि चीन को वहीं रोका गया तो हम चीन तथा उसके साथियों द्वारा कराची से ले कर सिंगापुर तक घेरे में ले लिये जायेंगे।

एशिया में भी हम किसी प्रकार की प्रादेशिक सामूहिक सुरक्षा प्रणाली बनाने में असफल रहे हैं। छोटे छोटे देश चीन से बचाव के लिए आपस में मिल रहे हैं। हमारी अन्तर्राष्ट्रीय नीति का वास्तविक परिणाम यह निकला है कि इस समय हम विश्व में बिल्कुल अलग पड़ गये हैं। हमारा एक भी मित्र ऐसा नहीं है जिसके पास हम आवश्यकता के समय जा सकें।

जहां तक हमारी आर्थिक स्थिति का सम्बन्ध है लन्दन के एक पत्र "लन्दन एकानिमिस्ट" ने हाल में लिखा है कि देश में मुद्रा स्फीति बढ़ी है। सरकारी क्षेत्र में जहां बहुत अधिक संसाधन लगाये गये हैं कुछ लाभ नहीं हुआ है।

सरकार की गलत नीतियों के कारण मुद्रा स्फीति बढ़ गई है।

आज प्रातः हमने पढ़ा कि गाजियाबाद के एक डाकघर पर यह नोटिस लगा हुआ है कि कोई पोस्ट कार्ड अथवा टिकट उपलब्ध नहीं है। समाचारपत्र में आगे लिखा है कि तीन दिन से ये स्टाक में नहीं हैं। क्या अंग्रेजों के शासनकाल में भी ऐसा कभी हुआ था। सरकार इन मूलभूत कामों की भी उपेक्षा कर रही है और हरेक वह कार्य करने का यत्न कर रही है जोकि उसे नहीं करना चाहिए।

हमें बताया गया था कि निर्यात को बढ़ाने के लिए ही अवमूल्यन किया गया है। क्या कोई मंत्री बतायेगा कि हमारे निर्यात में क्या वृद्धि हुई है।

चौथी पंच वर्षीय योजना में वे सभी बुराईयां हैं जो दूसरी तथा तीसरी पंच वर्षीय योजना में थी। यदि इस योजना को क्रियान्वित किया गया तो इससे देश की बर्बादी होगी। यह कहना गलत है कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था नहीं होगी क्योंकि यह तो इसमें सन्निहित है।

जब तक कांग्रेस सरकार रहेगी मूल्यों में वृद्धि होगी। जब तक कांग्रेस सरकार रहेगी अनाज की भी कमी रहेगी। यदि फरवरी, 1967 में यह सरकार पुनः शक्ति में आ जाती है तो मुझे यह कहने की अनुमति दीजिए कि 1967 के मध्य में अकाल पड़ेगा और हजारों व्यक्तियों की इसमें मृत्यु होगी। हमारे देश की स्थिति इतनी खराब है कि ऐसी सरकार के लिए एक दिन भी बने रहना उचित नहीं है।

यह समझना गलत है कि कांग्रेस अपराजेय है। मैं सैकड़ों शिक्षित लोगों को यह कहते सुनता हूं कि कांग्रेस अपराजेय है। लोक प्रशासन संस्थाओं द्वारा महानगरों में शीघ्र मतदान (गैलप-पौल) से यह स्पष्ट हुआ है कि कांग्रेस की लोकप्रियता समाप्त हो रही है और इसका स्थान गैर-सरकारी समाजवादी दल ले रहे हैं। सरकार को गत चुनावों में कभी भी जनता का बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। अधिक से अधिक कांग्रेस को 48 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे। हमारे यहां छः सात दल हैं और यही कारण है कि 44 प्रतिशत मत प्राप्त करने पर भी कांग्रेस को लोक सभा में 72 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुए हैं। इसलिए मेरा कहना है कि देश की चुनाव प्रणाली में परिवर्तन होना चाहिए। जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी गुजरात, राजस्थान और मैसूर में स्थानों के बटवारे के बारे में सहमत हो गयी हैं। और मैं चाहता हूं कि समूचे देश में सभी विरोधी दल एक हो जायें और ऐसी लोक सभा बननी चाहिए जिसमें जनता के बहुमत का वास्तविक प्रतिनिधित्व हो।

बहुत से लोगों का विचार है कि देश में राजनैतिक स्थिरता बनाये रखने के हित में है कि कांग्रेस सरकार बनी रहे। परन्तु ऐसा सोचना भी गलत है क्योंकि देश की स्थिरता केवल इसी स्थिति में बनी रह सकती है जबकि फरवरी-मार्च में इस सरकार को बदल दिया जाये।

2 अक्तूबर के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में यह प्रकाशित हुआ है कि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने श्रीनगर में कहा है कि काश्मीर में दूसरे दल की आवश्यकता नहीं है। एक अन्य स्थान पर उन्होंने कहा है कि 'एक राष्ट्र एक दल' होना चाहिए'। क्या वह भारत में एक दलीय राष्ट्र बनाना चाहती हैं। किसी भी लोकतन्त्र देश में नारा यह होना चाहिए 'एक राष्ट्र दो दल" एक वह जिसकी सरकार हो तथा दूसरा विरोधी दल।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : अविश्वास के इस प्रस्ताव में वास्तविकता, गम्भीरता तथा जिम्मेदारी की भावना का अभाव है। मेरा विचार है कि विरोधी दल के सदस्य भी ऐसा ही महसूस करते हैं। हम ऐसे प्रस्तावों के लिए बिल्कुल तैयार होकर आये हैं।

[श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए
Shri Sham Lal Saraf in the Chair]

जब अपना दृष्टिकोण स्वीकार कराने में विरोधी दल के अन्य सभी तरीके विफल हो गये तो उन्होंने अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया।

इस देश में संविधान के बनने के पश्चात् लोकतन्त्र की सब से खेदजनक बात गैर-जिम्मेदार विरोधी दल का होना है। श्री मसानी ने छः अथवा आठ ग्रुपों की बात कही है परन्तु यदि हम समाचारपत्रों को पढ़ें और सरकार के विरुद्ध वक्तव्य देने वाले सदस्यों के नाम देखें तो पता चलेगा कि कम से कम भी एक दर्जन ग्रुप विद्यमान है। आजकल सभा में यह जो घटनाएं घट रही हैं यह केवल वास्तविकता, गम्भीरता तथा जिम्मेदारी की भावना के अभाव के कारण ही हैं।

अविश्वास के प्रस्ताव के समर्थन में असंतोषजनक तर्क दुहराये गये हैं। मैं विरोधी दलों को परामर्श दूंगा कि वे इस प्रकार अविश्वास के प्रस्ताव लाकर अपनी शक्ति नष्ट न करें बल्कि उसको रचनात्मक कार्यों में लगायें।

श्री त्रिवेदी ने सभी बातें प्रदेशवाद के बारे में कही हैं। मैं नहीं समझ सका कि अविश्वास प्रस्ताव का किसी एक क्षेत्र अथवा प्रदेश से क्या सम्बन्ध है।

इस मामले में सरकारी कर्मचारियों तथा भ्रष्टाचार का भी उल्लेख किया गया है। इस बारे में विरोधी दलों ने जो रवैया अपनाया है वह आश्चर्यजनक है। जब सरकारी कर्मचारी कर्तव्य निष्ठ से कार्यालय में काम करते हैं तो उनको भ्रष्ट बताया जाता है और जब वे आन्दोलन करते हैं तो उनको देवता कहा जाता है।

श्री मसानी ने 'बम्बई बन्द' के दौरान पुलिस के व्यवहार के बारे में शिकायत की है। इस शिकायत से भी विरोधी दलों के दुहरे रवैये का पता चलता है।

श्री मसानी का यह कहना कि अगले फरवरी महीने में कांग्रेस की पराजय होगी और उनका दल सत्तारूढ़ होगा एक स्वप्न देखने के समान है। वह इस बात से नाराज हैं कि संविधान में संशोधन किया गया है। पहले जब श्री कामत ने ऐसे आक्षेप सरकार पर लगाये थे तो मैंने इनका उत्तर दिया था।

संविधान में अधिकांश संशोधनों को, सर्व सम्मति से पास किया गया है। कई संशोधन देश की अखण्डता के लिए किये गये हैं। इसलिए यह कहना निरर्थक है कि संविधान में कई बार संशोधन किया गया है।

एक बात से मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है। श्री मसानी ने आज के समाचारपत्र की खबर का उल्लेख किया है कि एक डाकघर में पोस्टकार्ड उपलब्ध नहीं हैं और ऐसा ब्रिटिश शासन में भी कभी नहीं हुआ। मैं उनसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि वह पिछले 150 वर्ष की फाइलें देखें और पता लगायें कि ब्रिटिश शासन में क्या क्या हुआ है। वह सब प्रकार की खबरों में विश्वास रखते हैं परन्तु भारत सरकार जो रिपोर्ट प्रकाशित करती है वह केवल उसी में विश्वास नहीं रखते।

श्री जय प्रकाश नारायण के बारे में मेरा अनुभव यह है कि वह जिस कार्य में हाथ डालते हैं उसमें गड़बड़ कर देते हैं । नागा समस्या में गड़बड़ करने के पश्चात् अब वह शेख अब्दुल्ला के मामले में पड़ रहे हैं।

यह भी कहा गया है कि हमने अल्पसंख्यकों के मतों से बहुमत प्राप्त किया है । दूसरे लोक तंत्र देशों में भी इसी प्रकार सरकारें बनती हैं। ब्रिटेन में वर्तमान विल्सन सरकार ४७ प्रतिशत मत प्राप्त करके ही बनी है । इसलिये यह कहना निरर्थक है कि हमें बहुमत प्राप्त नहीं है। यह कहना भी गलत है कि देश के स्थायित्व के लिये कांग्रेस को हटा देना आवश्यक है । मैं तो यह कहूंगा कि यह स्थायित्व के लिये आवश्यक है कि कांग्रेस की सरकार बनी रहे। कांग्रेस शासन का बना रहना तब तक आवश्यक है जब तक देश का एकीकरण पूरा न हो जाय और अन्तर्राष्ट्रीय तथा अन्य समस्याएं हल नहीं हो जातीं। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का शासन बना रहेगा।

विद्यार्थियों का आन्दोलन समूचे देश में चल रहा है । विद्यार्थियों के आन्दोलन की एक अनोखी बात यह है कि वे संगठित ग्रुप के रूप में कोई कार्य नहीं करते हैं।

जो विद्यार्थी आन्दोलन कर रहे हैं मैं उनके सम्पर्क में हूं। वैसे मैंने देखा है कि विद्यार्थियों में एक ही दल की विचारधारा के लोग नहीं हैं। सभी दलों के हैं। वाम पक्षी दक्षिण पक्षी साम्यवादियों की तरह उनके भी दल उपदल हैं। अतः मेरा निवेदन यह है कि इस आन्दोलन को ठीक प्रकार से सम्भालना चाहिए। मेरे विचार में शिक्षा मंत्री इससे निपट सकते हैं । राजनीतिक दलों को विद्यार्थियों का शोषण नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी स्वयं ही विद्यार्थियों के हितों की उपेक्षा कर रहे हैं वैसे यह भी खेद की बात है कि गत 19 वर्षों में हमने भी विद्यार्थियों की हालत को सुधारने की दिशा में कुछ नहीं किया।

हमने देश में बहुत ही शीघ्रता से विधान बना कर उसे देश में लागू किया । हमने योजना आयोग भी बनाया । स्वतंत्रता के साथ साथ प्रथम योजना का कार्य आरम्भ हो गया । हम इन तथ्यों की उपेक्षा नहीं कर सकते कि सरकार ने बहुत कुछ किया है। लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा है। पटसन और चीनी के मामले में तथा अन्य बहुत सी चीजों में हम आत्मनिर्भर हो गये हैं। इस्पात का उत्पादन भी 20 लाख से 60 लाख टन हो गया। अलमोनियम भी 10,000 टन से बढ़ कर 80,000 टन पर पहुंच गया है। मुझे आशा है कि सारी स्थिति को देखते हुए मुझे विश्वास है कि मतदाता अपना वही फैसला देंगे जो कि उन्होंने 1957 और 1962 के चुनावों में दिया था।

Shri M P. Mishra (Begusarai): To bring this type of No-Confidence Motion in season and out of the season in every session, denotes the sense of irresponsibility on the part of opposition parties. It is not a very healthy practice. It will not lead us anywhere except to make the Government Complacent. We discussed this type of motion only in the last session. Nothing special has taken place within this period and the motion comes again. There are two major problems which have been mentioned again and again. Shortage of food grains and the famine conditions in Bihar. Secondly the unrest of the students.

Let me submit that to hold Government responsible for each and every thing is not a good policy. Government should not be held responsible for the natural calamities. Even in the most developed countries also. sometimes people have to face such calamities. Tomorrow if there will be some earth-quake somewhere in any part of the country and we will have here the no-confidence motion against the Government.

[Shri M. P. Mishra]

The second problem is the unrest of the students. We are seeing that students are participating in the various types of agitations throughout the country. I am of the opinion that students should take part in politics. Students have played a very useful role in struggle for India's independence. Even now, I feel that when there is any national crisis, the students must come forward but they should become tools in the hands of politicians. Particularly those politicians who want to gain their own selfish ends. Students have been great help during the invasion of China and Pakistan in the recent past. This is also a fact that the Communists are trying to create chaos in the country. Communist have their ideology and they don't believe in the democratic methods. And it is quite clear now that they are the main force behind the students agitation. They are in the look out to wreck the democratic system.

This factor also cannot be ignored that the opposition parties are very badly divided among themselves. It is really very sad that instead of setting their house in order they try to find fault with the party in power. They have no faith in their strength and performance. They are talking of changing the Constitution, to have the proportional representation. But if at all it comes it will create chaos. The fact of the matter is that there is no well-organized party which can take the place of the Congress Government.

I also repudiate the charge that people are fed up with the Congress and they don't like Congress rule. We must not forget that it is the Congress organization which has aroused the aspirations of the people of the country. And if today there is an agitation for a better life there is nothing improper in it. Position today is that everybody is against the Congress but not the voter. Only two months have left every thing will come to the fore. I am confident that all the hopes of the opposition parties will be dashed to pieces. They also know that they will be defeated. I congratulate the Prime Minister that she has taken a strong stand on the issues of agitation. The agitational approach to problems are not in the interest of the country.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरक पुर) : मैंने अभी दो भाषण सुने हैं। वे दोनों ही गर्व से भरे हुए थे। गर्व से मनुष्य गिरता है, उठता नहीं है। कहा गया है कि जो कुछ देश में हो रहा है, वे सब चुनाव की चालबाजियां हैं। उनके भाषण में वही बातें हैं जो कि प्राय: वह अपने चुनाव क्षेत्र में भी करेंगे। देश में उत्पादन बढ़ा, उद्योग बढ़ रहे हैं इत्यादि। परन्तु यह बात वह कभी नहीं कहते कि देश में कीमतें बढ रही हैं, काला बाजार बढ़ रहा है और सामान्य व्यक्ति का जीवन नरक बन रहा है। गत दो वर्ष में देश में जो सर्वत्र चीत्कार सुनाई देता रहा है, उसका उनके भाषण में कहीं उल्लेख नहीं।

जो हिंसा की घटनाएं अब सुनने में आई हैं, वे पहले कभी नहीं सुनी गई थीं। हजारों लोग पुलिस की लाठी और गोली का शिकार हो चुके हैं। हो सकता है कि प्रत्येक राज्य में इन आन्दोलनों के विभिन्न कारण हों। परन्तु यदि व्यापक दृष्टि से देखा जाय तो इन सब के पीछे एक समान कारण भी है। वह यह है कि हमारे सतारूढ़ सहयोगी प्रशासन को ठीक ढंग से चला नहीं पाये। युवक छात्र मारे गये हैं, अध्यापक तथा प्राध्यापकों का बुरा हाल हुआ है। इतने अल्पकाल में इतनी भयंकर घटनायें यदि किसी अन्य देश में होतीं तो सरकार को कभी का उखाड़ फेंक दिया जाता। मगर यहां तो सरकार अधिक से अधिक पुलिस राज स्थापित करती चली जा रही है।

खेद इस बात का है कि डंडे से आन्दोलनों को कुचलने तथा दबाने का प्रयास किया जाता है। इन आन्दोलनों के पीछे क्या भावना है और इसके मूलभूत कारण क्या हैं उसे दूर करने का प्रयास नहीं किया जाता है। विद्यार्थियों को सरकार सबक सिखाने का यत्न कर रही है। अच्छा रहता कि सरकार विद्यार्थियों की खबर लेने की बजाय उन्हें खबर देने का प्रयास करती। मेरा निवेदन यह है दूसरों को दोष देने के स्थान पर अच्छा यह था कि सरकार यह सोचती कि वह स्वयं कहां तक इसके लिए उत्तरदायी हैं। कितने दुःख की बात है कि शिक्षा संस्थाओं, विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता और पवित्रता को कलंकित कर दिया गया है। उपकुलपतियों तथा प्रतिपालकों को अपमानित किया गया है। शिक्षा संस्थाओं में राजनीति का प्रवेश आया है। और मेरा निवेदन यह है कि यह राजनैतिक पक्षपात ही शिक्षा क्षेत्र की अधिकतर बीमारियों का कारण है। उन लोगों को विश्वविद्यालयों में चुनने का प्रयास हो रहा है जो वहां के स्नातक भी नहीं हैं। विश्वविद्यालयों में भी शिक्षा का वातावरण उपलब्ध नहीं होता। वहां भी नौकरशाही का बोलबाला है। नियुक्तियां तथा पदोन्नतियां राजनीति के आधार पर होती हैं। 1964 में मुख्य मंत्रियों ने विद्यार्थियों के असन्तोष पर विचार किया था परन्तु क्रियात्मक तौर पर कोई पग नहीं उठाया गया उल्टा दमन चक्र चला दिया गया।

यह तथ्य है कि सरकार ने विद्यार्थियों की मांगों पर विचार करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। बेचारे छात्रों को प्रवेश पाने के लिए इधर से उधर भागना पड़ रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो काम भी करते हैं और पढ़ते भी हैं। वे लोग काफी परिश्रम करते हैं। वे प्रातः उठकर स्टेशन की ओर भागते हैं। आगे गाड़ियां लेट आती हैं। वे शिकायत करते हैं, अधिकारियों को लिखते है, विरोध व्यक्त करते हैं, जब असन्तोष चरम सीमा को पहुंचता है तो पुलिस लाठी गोली लेकर आ जाती है। पुलिस बुलाने से अच्छा यह है कि विद्यार्थियों के महानिरीक्षकों को बुलाया जाता। उनके प्रतिनिधियों से परामर्श किया जाता। ऐसा नहीं किया गया। मेरा निवेदन यह है कि यदि समस्या को अपेक्षित ढंग से सुलझाने का प्रयास न हुआ तो इसका रूप और भी भीषण हो जायगा। पुलिस के अत्याचार विद्यार्थियों के प्रबल आन्दोलन को नहीं दबा सकेंगे। इसका हल सामाजिक और शिक्षा के दृष्टिकोण से ही हो सकेगा। पुलिस बुलाने से अथवा डंडे से यह समस्या हल न होगी। हमें यह बात न भूलनी चाहिए कि बहुत से अभिभावक भूखे रह कर अपने बच्चों को शिक्षा देने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे लोगों को स्फूर्ति देने के लिए हमने कुछ नहीं किया।

विद्यार्थियों के विरुद्ध बल प्रयोग की सर्वत्र निन्दा की गई है। प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों ने भी यही मत व्यक्त किया है। विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन करने की अपेक्षा है। परन्तु हम ने कुछ नहीं किया। आज तो लोग धन के पीछे भाग रहे हैं। उन आदर्शों को भी हमने भुला दिया है जो कि अंग्रेजों से संघर्ष करते समय हमारे सामने थे। आज तो हम अमरीका के प्रभाव में आते जा रहे हैं। हमारी गुटों से निर्लेप रहने वाली नीति भी खतरे में चल रही है। हमारे योजना मंत्री स्वयं ही अपने कृत्यों को, योजना की कार्यान्विति को खतरे में डाल रहे हैं। वह योजना मंत्री के स्थान पर भिक्षा मंत्री बन कर रह गये हैं।

एक बैल मिशन आ चुका था और दूसरा आया है। अब हम से योजना के बारे में विस्तार से जानकारी मांगी जा रही है। हमारे प्रतिरक्षा सम्बन्धी गोपनीय कागज़ भी शायद उन्हें दिखाये जा रहे हैं। यह है हमारी शोचनीय स्थिति और इसी कारण सर्वत्र हमारी प्रतिष्ठा गिरती चली जा रही है। अवमूल्यन का क्या इतिहास है यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। हम कहते हैं कि कीमतों को बढ़ने नहीं दिया जायेगा। पर इस पर भी कीमतें बढ़ रही हैं। गत तीन मास

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

में प्रत्येक वस्तु को कीमत बड़े भयंकर रूप में बढ़ी है । कपड़े की कीमतों को बढ़ाना हमने स्वीकार कर लिया है । विदेशी पूंजी को भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं । फिर भी विदेशी पूंजी सन्तोषजनक ढंग से नहीं आ रही । ये लोग अधिक से अधिक रियायतें मांगते चले जा रहे हैं । 900 करोड़ की विदेशी सहायता का आश्वासन था परन्तु उसका कुछ भाग ही आया है । यह भी 1965 के लिए और अब 1966 समाप्त हो रहा है । श्री अशोक मेहता की बातें गलत सिद्ध हो रही हैं । यह दीवालिया नीति नहीं तो और क्या है ।

ठीक यही दशा हमारी राजनीति की है । यह पेटेन्ट बिल क्या है ? अमरीका के सन्देहों को दूर करने का प्रयास हो रहा है । हम अमरीकी साम्राज्यवाद का शिकार होते जा रहे हैं । यह वही अमरीका है जिसने उस समय पाकिस्तान की सहायता की जबकि उसने हम पर हमला किया था । हम पश्चिमी जर्मन के निकट जा रहे हैं, और वह चीन की सहायता कर रहा है । हम पूर्वी जर्मन को मान्यता नहीं दे रहे । हम चीन के विरोधी हैं परन्तु अमरीका के पक्ष में भी नहीं हैं । हमारी वियतनाम की नीति भी ऐसी ही है । वियतनाम के सैनिकों को विदेशी सैनिक कैसे माना जा रहा है । हम इस प्रश्न को ठीक ढंग से सुलझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं । हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि वियतनाम के दोनों भाग एक हो जायें । अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग का जो काम था, वह पूरा नहीं किया गया । वियतनाम में यदि किसी विदेशी शक्ति के सैनिक हैं तो वे अमरीका के हैं । उन्हें वहां से हट जाना चाहिए । उनका वियतनाम में क्या काम है । क्य हम ने अंग्रेजों को यहां से नहीं निकाला क्योंकि वे सब विदेशी थे । हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि हमारी आजादी की रक्षा में कोई भी शक्ति हमारी सहायता नहीं करेगी । हमें अपनी रक्षा आप ही करनी होगी । हमें अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए और भिखारी बन कर किसी के द पर नहीं जाना चाहिए । आज हालत यह है कि सर्वत्र सरकार की प्रतिष्ठा गिर रही है और विदेशों में भी हमारा गौरव बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है ।

आज बिहार और उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा है और वहां पर अकाल की स्थिति है । सरकार ने इसके लिये कुछ भी नहीं किया क्योंकि सरकार की समस्त मशीनरी ही खराब है । आज हमें पी० एल० 480 का आश्रय लेना पड़ रहा है और उसके लिये भी हमें भुगतान डालर में करना है । अवमूल्यन के कारण हमें भुगतान भी पहले से अधिक करना पड़ेगा ।

खाद्य के बारे में कोई राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए । खाद्य निगम समाप्त कर देनी चाहिऐ । कमी वाले सभी क्षेत्रों में राशन व्यवस्था लागू की जानी चाहिए । देश में भुखमरी तथा दिवालियेपन के लिये यह सरकार ही जिम्मेदार है । इसलिये देश की इस दयनीय स्थिति के लिये हम सरकार पर दोष लगाते हैं । इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं ।

श्री पें० वेंकटसुब्बया (अडोनी) : मुझ से पहिले बोलने वाले माननीय सदस्य ने सरकार तथा उसकी नीतियों पर जोरदार आक्रमण किये हैं । परन्तु उन्होंने कोई भी ठोस सुझाव नहीं दिया है और उन्होंने अपने भाषण में नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है।

विरोधी दल देश में विभिन्न 'बन्ध' और आन्दोलन करके गड़बड़ फैला रहे हैं और लोकतन्त्र को हानि पहुंचा रहे हैं । विरोधी दल चुनाव के लिये गठजोड़ नहीं बल्कि समायोजन कर रहे हैं । परन्तु मतदाता जानते हैं कि विरोधी दल देश में स्थायी सरकार स्थापित नहीं कर सकेंगे और इनका उद्देश्य देश में केवल अराजकता उत्पन्न करना है ।

एक कृषक के नाते मैं जानता हूं कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी प्रगति हुई है। सिंचाई की क्षमता बढ़ी है। देश में कृषि उत्पादन कार्यक्रमों में काफी सुधार हुआ है। आंध्र प्रदेश में विरोधी दल वहां पर इस्पात कारखाने के लिये हो रहे आन्दोलन से लाभ उठा कर 'बन्द' आदि गठित कर रहे हैं और इस प्रकार जलती आग पर तेल छिड़क रहे हैं।

आज प्रात: मैंने वामपंथी साम्यवादियों से आंध्र के लोगों के नाम इस आशय की एक संयुक्त अपील जारी करने को कहा था कि वे लूटमार न करें और सांविधानिक तरीके से आन्दोलन को जारी करने के लिये प्रार्थना की थी परन्तु वे ऐसी अपील जारी करने को तैयार नहीं हैं। इसलिये यह बात स्पष्ट है कि इस आन्दोलन के पीछे किन लोगों का हाथ है। मैं राष्ट्र को चेतावनी देना चाहता हूं कि वह इन लोगों से सतर्क रहें जोकि अपने निजी हितों के लिये देश को बेचने के लिये भी तैयार हैं।

सरकार ने देश को आर्थिक दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर बनाने के लिये एक प्रभावशाली कार्यक्रम बनाया है मेरे विचार से सभी का यह कर्तव्य है कि वे इसमें सरकार को सहयोग दें ताकि हमें खाद्यान्नों तथा अन्य चीज़ों के लिये दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े। विरोधी दलों ने केवल प्रचार हेतु ही यह अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है अन्यथा वे जानते हैं कि इसका क्या होने वाला है।

इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि इन वर्षों में देश का विकास हुआ है। हर बात के लिये सरकार को दोष देना उचित नहीं है।

आन्दोलन करने की प्रवृत्ति को समाप्त किया जाना चाहिए। विरोधी दलों से मेरी अपील है कि वे लोकतन्त्रात्मक तरीकों से काम लें तथा जनता के निर्णय का सम्मान करें। यदि मतदाता विरोधी दल के पक्ष में अपना निर्णय देते हैं तो हम सत्ता सम्भालने तथा विरोधी पक्ष में बैठने को तैयार हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों का थोड़ा सा उत्साह बढ़ाने पर हम चौथी पंच-वर्षीय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे।

जहां तक देश में विधि व्यवस्था का सम्बन्ध है इसमें कोई सन्देह नहीं कि विद्यार्थियों में असंतोष है। इससे कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। परन्तु इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि कुछ बाहरी तत्त्व उनको सरकार के विरुद्ध भड़का रहे हैं तथा आन्दोलन करने के लिये उत्तेजित कर रहे हैं सरकार विद्यार्थियों की कठिनाइयों को समझती है और हमारी उनसे पूरी सहानुभूति है।

पुलिस में संघ बनाने की प्रवृत्ति एक स्वस्थ प्रथा नहीं है। मैं गृह-कार्य मंत्री तथा अन्य सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से निवेदन करूंगा कि वे पुलिसवालों की शिकायतों पर विचार करें तथा उनको दूर करने का प्रयत्न करें।

जहां तक अध्यापकों में असंतोष तथा विधि व्यवस्था सम्बन्धी अन्य बातों का सम्बन्ध है सरकार को सतर्कता से काम लेना चाहिए और जनता की भावनाओं को अच्छी तरह समझना चाहिए तथा उनकी मांगें अधिक रचनात्मक ढंग से पूरी करनी चाहिएं।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में जनता की शिकायतों पर विचार करने के लिये दो निकाय बनाने का सुझावदिया है। प्रशासन में सुधार करने के लिये ठोस कार्यवाही की जानी चाहिए।

2045(Ai) LSD—10.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): In U.P. unprecedented atrocities have been committed upon the students and the principals of various colleges have been maltreated. It has been said that there has been a hand of left Communists in these agitations and that is why the situation has become so serious. But I would like to say that representatives of the students have made it abundantly clear that they have no connection with the politics. Instead of making false and baseless allegation on opposition. Government should go into the root-cause of this trouble. Basic problems of the students should be attended to. I would like to say that discipline cannot be taught to the students by lathi charge and firing. Lathi was charged even on the girl students. Judicial enquiry should be held into the police atrocities and firing on the students.

So far as drought condition in the country is concerned, it has been said that it is a natural calamity. Had minor irrigation facilities been provided it would have been possible to save the whole of U.P. and Bihar from this drought out of 52 districts 47 districts have been affected by drought. Ninteen years of misrule by Congress is responsible for drought, unemployment and starvation.

Government is shielding the big business magnates because they contribute to the Congress funds. In Kanpur exemption of 31 lakhs of rupees has been granted in the income tax to Shri Ram Rattan Gupta, proprietor of Lakshmi Rattan Cotton Mills. Strike is going on in that Mill for the last 47 days. Labourers have not been paid their salaries for the last three months. This Mill has not been taken over even after the recommendations of the Chief Minister. Dilatory tactics are being used.

On the one hand one is told that the threat of Pakistan and China is still continuing and on the other hand labourers are being retrenched from the ordnance factories.

So, I would suggest that the proposed retrenchment in the ordnance factories should not be done. As the threat on our borders is continuing such a step would not be justified.

Electric computers are being installed in the Insurance establishments which will lead to the retrenchment of 24,000 insurance employees. We should not resort to any such step.

Discontentment and dissatisfaction is prevailing in all sections of the people; teachers, students, bank and insurance employees, all sections of Government employees and even in police. We all know that police employees in Delhi did not draw their salary on the first of this month and about ten thousand police employees held demonstration in Delhi. This all has happened because of Congress misrule. Such Government should not be tolerated at all.

Shri A. P. Sharma (Buxar): The no-confidence motion has been brought as an election stunt because it is a pre-election year and this is the last session of the present Lok Sabha. But opposition will not become successful in achieving their selfish ends which they should bear in their minds.

All the hon. Members of the opposition who have spoken before me have repeated the old stories because nothing worth mentioning has happened after the last session.

The opposition parties are exploiting the student agitations for their interests. To accuse the Government for suppressing these agitations and not

paying heed to the genuine demands of the students is not correct. Government on the other hand is doing its best to look into the grievances of the students and to find out ways and means to redress these grievances.

In Bihar and U.P. severe drought conditions are prevailing. Our Government is vigilant and is taking all necessary steps to meet the situation. I can assure my friends in the House that no person anywhere in this country will die of starvation so long as this Government is there.

Government has done its level best to improve the standard of living of the labour class and Government employees. In spite of the fact that our country is passing through a financial crisis 31 crores of rupees have been granted as dearness allowance to the Governments Compulsory arbitration and joint consultative machinery has been established to solve the dispute. In this way all the disputes between government and its employees would be solved peacefully.

On the one hand opposition parties are inciting these agitations and creating confusion and chaos in the country and on the other hand they are putting all the blame on the Government for their own political ends.

I have no doubt in my mind that division in the Communist Party has been brought just to deceive the people otherwise for all practical purposes they are chips of the same block.

Communist, Swatantra and Jan Sangh parties have blamed the Government for destroying the democracy in the country and for also encouraging parochialism.

It can be proved from the speeches of their own leaders that Jan Sangh is a Communal Party. Congress is the only Party which can keep the democracy intact. There are other parties which believe in dictatorship. In Congress interests of all sections of people, religious and of the democracy are safeguarded.

Mr. Chairman: I would request the hon. Members not to interrupt like this and listen patiently. This is a very important and serious matter.

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

पचासवां प्रतिवेदन

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का ५०वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

मंत्री-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव--जारी

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS—*contd.*

Shrimati Savitri Nigam: There is no doubt that country to-day is faced with a grave situation of drought and famine. But it is unfair on the part of the opposition parties to bring at this juncture this motion of no-confidence.

[Shrimati Savitri Nigam]

Drought conditions are prevailing throughout the country. Opposition parties intend to exploit the situation for their own selfish ends. Instead of giving any concrete suggestions they are provoking the students for violent activities. This type of opposition is a danger for democracy. Such parties cannot be entrusted with the work of running the Government.

I would request the hon. Members of the opposition to go to the rural areas and see the promtp action being taken by Government to meet the drought conditions. In my own district Banda, had the prompt action been not taken in time the history of Bengal Famine would have repeated itself. It is unfortunate that instead of helping the Government the opposition parties incited the farmers of Banda to loot the Government treasury. In spite of repeated appeals made to them opposition parties have not come forward to assist in the relief work. But Government at its own is doing what can be done to help the affected people. Water is being rushed to drought striken areas through trains. The concerned officers have discharged their duties well.

[श्री सोनावने पीठासीन हुए
Shri Sonavane in the Chair]

The need of the hour is that we all should get together and save the people and the cattle wealth of the country.

I congratulate the hon. Food Minister for taking some very good steps and also for changing the whole food strategy of the country. But still I would request him to provide irrigation facilities in Bundelkhand area so that food production could be increased and fifty lakh inhabitants of this area may not remain dependent on Government help. The work in this regard should be done on war footing. Some anti-social elements who have hoarded the foodgrains should not be allowed to take advantage of the serious situation. Government should take necessary steps to bring this hoarded foodgrains to the market. Therefore, I would request that State-trading in the foodgrains should be taken up.

श्री शिंकरे (मारमागोश्रा) : मैं इस चर्चा में भाग नहीं लेना चाहता था क्योंकि हम ने श्रपने दल की श्रोर से डा० स्वैल का नाम दे रखा है । परन्तु मैं देख रहा हूं कि विरोधी दलों के श्रधिकांश सदस्य उपस्थित नहीं हैं । शायद उनके श्रनुपस्थित होने का कारण यह है कि उनको पता नहीं है कि सभा का समय छः बजे तक बढ़ा दिया गया है ।

श्री शिव नारायण (बांसी) : श्रविश्वास प्रस्ताव के प्रस्तावक भी उपस्थित नहीं हैं । यह एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

सभापति महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री शिंकरे : यह समय है देश तथा संसद् को सरकार की त्रुटियां तथा श्रसफलताएं बताने का । इसके लिये विरोधी दलों के पास श्रविश्वास का प्रस्ताव एक हथियार है । गत श्रधिवशन के बाद जो कुछ हुश्रा है वह न केवल पिछले दो महीनों बल्कि 19 वर्ष के कांग्रेस सरकार के कुशासन के लिये सरकार की निन्दा करने के लिये पर्याप्त सामग्री है । गत चुनाव में कांग्रेस के समर्थक "हिन्दुस्तान टाइम्स" ने भी गत 19 वर्ष में कांग्रेस सरकार के कुशासन की घोर निन्दा की है । वर्तमान सरकार ने कभी भी राष्ट्रीय दृष्टिकोण को सम्मुख रख कर निर्णय नहीं किये

हैं। यह सरकार सदा दल के हितों तथा चुनाव को ध्यान में रख कर निर्णय करती है। पुनर्गठित पंजाब की दोनों शाखाओं अर्थात् पंजाब और हरियाना में मंत्रि-परिषदों का स्थापित किया जाना इस बात का प्रमाण है।

सरकार समाजवाद की बातें तो बहुत करती है परन्तु उसने देश में समाजवाद लाने के लिये कुछ नहीं किया है। मेरा सुझाव है कि सरकार को तुरन्त व्यय कर लगाना चाहिये। इससे देश में समाजवाद लाने में सहायता मिलेगी। सरकार को इसकी वांछनीयता पर विचार करना चाहिए। यदि तत्काल पर्याप्त व्यय कर नहीं लगाया जाता तो देश में समाजवाद नहीं आयेगा। परन्तु मैं जानता हूं कि सरकार ऐसा नहीं करेगी क्योंकि अगले चुनाव आने वाले हैं और उनको चुनाव आन्दोलन के लिये धन चाहिए।

अवमूल्यन अपने आप में सरकार की असफलताओं का प्रमाण है। यह गत 19 वर्षों की आर्थिक नीतियों की निन्दा का प्रतीक है। परन्तु इसके बाद भी कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है। सरकार न केवल निर्यात बढ़ा रही है बल्कि वह आयात को बढ़ा रही है। श्री मनुभाई शाह ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि गत तीन महीनों में हम ने कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं की है।

लोकतन्त्र का अर्थ केवल बहुमत का शासन ही नहीं है बल्कि इसका अर्थ है स्वस्थ लोकतन्त्रात्मक परम्पराओं को स्थापित करना। सत्तारूढ़ दल ने स्वस्थ लोकतन्त्रात्मक प्रथाओं की स्थापना के गत 19 वर्षों में कुछ नहीं किया है। अब समय आ गया है जब कि उनको गत अनुभव से कुछ सीखना चाहिए और दिखा देना चाहिए कि वह राष्ट्र को पहले तो दल को दूसरे नम्बर पर रखते हैं।

Shrimati Kamla Chaudhuri (Hapur): It appears as it has become a fashion for the opposition parties to bring no confidence motion. It is the third time that a no-confidence motion has been moved within a period of nine months. I think the present no-confidence motion has been brought keeping in view the forthcoming elections otherwise there is no substance in it.

Opposition parties and anti-social elements are inciting the students for agitations. I have personally contacted few students in my own district in this regard. These agitations have led to arson and looting at some places. To prevent all this, police have to resort to lathi charge and firing at some places. Blame cannot be imposed on the Government for such state of affairs. I agree that it is the responsibility of the Government to maintain law and order in the country but opposition parties should also feel their responsibility and discourage such type of agitations.

So far as corruption is concerned, it is a social evil. As it is prevalent in the society it is also reflected in the administration because in administration people are taken from the same society. Law alone cannot eradicate this evil. All should feel that this is an evil and this must be eradicated.

Criticism has also been levelled by the opposition against our policy of non-alignment formed by the Government. I would say that our non-alignment stands for peace.

No hon. Member of the opposition has given any concrete suggestion in regard to the agitation going on in the country. We should all get together and consider the difficulties of the students. I think the existing arrangement

[Shrimati Kamla Chaudhury]

for medium of instructions in educational institutions is also somewhat responsible for resentment amongst the students. Mother-tongue should be the medium of instruction in educational institutions.

While concluding I would say that the farmers who have installed their own tube-wells should be supplied electricity immediately and all conditions in this regard should be removed. Where it is not possible to supply electricity to private tube-well owners, Government should install their own tube-wells. In this way only we can solve the food problem.

Shri Mohammed Tahir (Kishen Ganj): There are Parliaments in other parts of the world also. But when I look upon this Parliament of our own country it appears to me as the members of the opposition have come from different countries such as China, Russia and America.

Opposition should consider their country as their own and do some constructive work so that the country is benefited. But it is regrettable that they are behaving in an improper and irresponsible manner and that too at time when the country is faced with a serious economic crisis. Trains are being burnt, rail tracks are being uprooted and other national property is being destroyed in these agitations, and bundhs. For all this Congress party or the Government cannot be held responsible. All these violent agitations are highly deplorable. Opposition parties have failed to realise that these agitations and bundhs are causing great harm to the nation.

In U.P. and Bihar severe drought and famine conditions are prevailing. The hon. Members of the opposition should have gone in these areas and have done something for the help of the people instead of criticising the Government and bringing this no-confidence motion. The efforts of the opposition to harm the Congress, would not be successful. The Congress party have served the people honestly and sincerely and will continue to do so. The record of the party is very neat and clean.

Shri Sheo Narain (Bansi): I thank you, Sir, for giving me an opportunity to speak on this no-confidence motion. The mover of this motion is absent and this is a proof of the failure of this motion.

Mr. Chairman: He may continue his speech tomorrow.

इसके पश्चात लोकसभा शुक्रवार, 3 नवम्बर, 1966/12 कार्तिक, 1888 के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Thursday, November 3, 1966/Kartika 12, 1888 (Saka).

GMGIPND—LSIII—2045(Ai)LS—4-3-67—600